THE UTTAR PRADESH AVAS EVAM VIKAS PARISHADADHINIYAM, 1965

ARRANGEMENT OF SECTIONS

SECTIONS

CHAPTER I- (Preliminary)

1. Short title, extent and commencement
2. Definitions,

CHAPTER II- (Establishment rand conduct of business of the Board)

3. Constitution of the Board
4. Disqualification's for being Adhyaksh or Member, etc,
5. Term of office of Adhyaksh and non-official members.
6. Provisions regarding office of Adhyaksh.
7. Provisions relating of Housing Commissioner.
8. Appointment of officer and servants.
9. Units
10. Avas Samitis.
11. Supervision and control by Housing Commissioner.
12. Delegation of powers.
13. Disqualification from participating in proceedings on account of interest.
14. Acts not to be invalidated by informality, vacancy, etc.

CHAPTER III- (Functions and powers of the Board)

15. Functions of the Board
16. Housing or Improvement Scheme when to be framed by the Board.
17. Matter to be provided for in housing or improvement schemes.
18. Types of housing and improvement schemes.
19. Grihsthan Yojna.
20. Malin Basti Sudhar Aur Nipatan Yojna.
21. Punarwas Yojna
22. Sarak Yojna.
23. Bhavi Sarak Yojna.
24. Parasar Yojna.
25. Bhoomi Vikas Yojna.
26. Bazar Yojna.
27. Barh Yojna.
28. Notice of housing and improvement schemes.
29. Notice of proposed acquisition or levy of betterment fee.
30. Objections.
31. Abandonment, modification or sanction of Scheme.
32. Commencement of Scheme.
33. Alteration of Scheme after commencement.
34. Execution of Scheme.
35. Restriction on building in area proposed for or comprised in a Scheme.
36. Special powers relating to execution of Malin Basti Sudhar Aur Nipatan Yojna.
37. Provisions regarding tenants in Area comprised in Malin Vasti Sudhar Aur Nipatan Yojna.
38. Transfer to Board of building or land vested in local authority.
39. Transfer of private street or square to Board for purpose of scheme.
40. Repairs of streets vested in the Board.
41. Transfer of streets and open spaces to local authority.
42. Arrangement during work in streets.
43. Power of close public street or square.
44. Effect of schemes under this Act on powers of other local authorities.
45. Transfer of land, etc. by State Government to Board for purposes of scheme or management, etc.
46. Power of Board to undertake other projects at the instance of others.
47. Execution of other schemes by the Board.
48. Supervision and centage charges.
49. Power of State Government to call for the records of the Board and to modify or annul any scheme.

CHAPTER IV- (Betterment Fee)

50. Declaration regarding betterment fee.
51. Assessment of betterment fee.
52. Notice of demand.
53. Betterment fee as a charge on land.
54. Recovery of betterment fee. etc. as arrears of land revenue.

CHAPTER V- (Property, Contract and Finance)

55. Power to acquire land.
56. Power to acquire and dispose of land by agreement.
57. Execution and registration of contracts, etc.
58. Financial provisions.
59. Debentures.
60. Repayment of Loans
61. Grants and loans by Government.
62. Additional stamp duty on transfers of property.
63. Accounts and audit.

CHAPTER VI- (Tribunal)

64. Function and constitution of Tribunal.
65. Transfer of pending cases to the Tribunal.
66. Finality of decisions of Tribunal.
67. Other provisions relating to awards and orders of Tribunal.

CHAPTER VII- (Eviction from and Recovery of Rent and Damages relating to Board Premises)

68. [****]
69. [****]
70. Appeal
71. Recovery of rent through deduction from salary or wages.
71 A [****]
72. [*****]

CHAPTER IX- (Miscellaneous)

82. Power to direct removal of unauthorised erections.
83. Exercise of powers and functions of local authority.
84. Power of entry.
85. General power to pay compensation.
86. Adhyaksh, etc. to be deemed public servants.
87. Protection for acts done in good faith.
88. Suits and legal proceedings.
89. Mode of proof of document of the Board.
90. Copies from assessment books to be furnished by local authorities to Board.
91. Mode of recovery of dues and penalties.

CHAPTER XI- (Rules and Regulations)

94. Power to make rules
95. Power to make regulations.

CHAPTER OF VIII- (Offences and Penalties)

73. Penalty for building in contravention of schemes.
74. Penalty for obstructing contractor or removing mark.
75. Penalty for acquiring share or interest in contract, etc. With the Board
76. Penalty in other cases.
77. Offender's liability to pay compensation.
78. Offences by companies.
79. Procedure.
80. Duty of Police Officers.
81. Compounding of offences.

CHAPTER X- (External Control)

92. Control of the State Government over the Board and other local authorities.
93. Dissolution of the Board.

CHAPTER XII- (Repeal and Transitional Provisions)

96. Repeal, Amendments and Savings.
97. Dissolution of Improvement Trust and its consequences.
98. Power to remove difficulties

SCHEDULE

THE UTTAR PRADESH AVAS EVAM VIKAS PARISHAD ADHINIYAM, 1965

(U.P. ACT NO. 1 OF 1966 AS AMENDED TILL DATE)

(Approved by U.P. Legislative Assembly on 17th August 1965 and U.P. Legislature Council on 6th September 1965.)
(In pursuance of Article 201 of constitution of India President is pleased to approved on 28th January 1966, Published in U.P. Gazette, Extra., on 16th February, 1966.)

An Act to provide for the establishment, incorporation and functioning of a housing and development board in Uttar Pradesh.
It is hereby enacted in the Sixteenth Year of the Republic of India as follows:

CHAPTER I

Preliminary

1. Short title, extent and commencement.-

(1) This Act may be called the Uttar Pradesh Avas Evam Vikas Parishad Adhiniyam, 1965.
(2) It extends to the whole of Uttar Pradesh excluding cantonment areas.
(3) It shall come into force in such area and on such date as the State Government may by notification in the Gazette appoint; and different dates may be appointed for different areas of Uttar Pradesh.

2. Definition.- In this Act, unless the context otherwise requires-

(a) "Adhyaksh" means the Adhyaksh of the Board;
(b) "appointed day" in relation to any area, means the day on which this Act comes into force in that areas;
(c) "betterment fee" means the fee livable under Chapter IV;
(d) "Board" means the Uttar Pradesh Awas Evam Vikas Parishad established under this Act;
(e) "Board premises" means any premises belonging to, or vested in, the Board or taken on lease by the Board or which are entrusted to, or are in the possession or control of, the Board for the purpose of this Act;
(f) "building" means a house, out-house, stable, shed, hut (other than a hut made of mud appurtenant to or situated in a cultivated field in any area, outside the limits of a City, municipality, town area or notified area) or other enclosure or structure, whether of masonry, bricks, wood, mud, metal or any other material whatsoever, and whether used as a human dwelling or otherwise, and includes any verandah, platform, plinth, staircase, door-step or wall, including compound wall other than a boundary wall of a garden or of a agricultural land not appurtenant to a house, but does not include a tent or other such portable temporary shelter;

(g) "City" means any local area constituted to be a City under Section 3 of the [1][Uttar Pradesh Municipal Corporation Act, 1959] (U.P. Act No. II of 1959);

(h) "land" includes benefits to arise out of land and things attached to the earth or permanently fastened to anything attached to the earth;

(i) " Master Plan" means a Master Plan prepared under any law for the time being in force;

(j) "municipality" means a municipality as defined in clause(9) of Section 2 of the U.P. Municipalities Act, 1916 (U.P. Act No. II of 1916);

(k) [2]["Municipal Corporation Act‖] means a [2][Municipal Corporation Act] established under Section 4 of the [Uttar Pradesh Municipal Corporation Act, 1959] (U.P. Act No. II of 1959);

(l) [3]["Notified area"] means a notified area as defined in sub-section(2) of Section 337 of the U.P. Municipalities Act, 1916(U.P. Act No. II of 1916);

(m) "premises" means any building or part of building, and includes-
(i) any garden, grounds, land and out-houses appertaining to such building or part; and

(ii) any fittings affixed to such building or part of the more beneficial enjoyment thereof;

(n) "prescribed" means prescribed by rules;

(o) "prescribed authority" means any authority appointed by the State Government by notification in the Gazette to perform all or any of the functions of a prescribed authority under this Act;

(p) "regulations" means regulations made under this Act;

(q) "rules" means rules made under this Act;

(r) "State Government" means the Government of Uttar Pradesh;

(s) [3]["town area"] means any local area declared or defined under Section 3 of the [4][U.P. Town Areas Act, 1914](U.P. Act No. II of 1914) to be a town area;

(t) "Tribunal" means a Tribunal constituted under Section 64;

(u) "Unit" means a Housing Unit established under Section 9; and
(v) except in clauses (f), (g) and (j), references to a 'City', or 'municipality' shall be construed as including references to areas lying within a distance of five kilometers beyond the limits of such City or municipality.

1. Subs by U.P Act No. 12 of 1994 (w.e.f. 30th may, 1994),
2. Subs by U.P Act No. 12 of 1994 (w.e.f. 30th may, 1994),
3. Vide U.P. Act No. 12 of 1994 now is “Nagar Panchayat”.
4. U.P. Town area Act, 1914 repealed by U.P. Act No. 12 oft 1994 (w.e.f. 30 th may, 1994)

CHAPTER II

Establishment and Conduct of Business of the Board

3. Constitution of the Board.-

(1) The State Government shall by notification in the Gazette establish a Board to be called the Uttar Pradesh Avas Evam Vikas Parishad.

(2) The Board shall be a body corporate, with the name aforesaid, having perpetual succession and common seal and may sue and be sued in its to acquire, hold and dispose of property and to contract and do all things necessary for the purposes of this Act.

(3) For the purpose of the Land Acquisition Act, 1894(ActI of 1894), the Local Authorities Loans Act, 1014(Act IIX of 1914) and any other law for the time being in force the Board shall be deemed to be a local authority.

(4) The Board shall have its head office at a place to be specified by the State Government and also an office at the headquarters of each Unit and may have offices at such other places as it may consider necessary or be directed by the State Government.

[1][(5) The Board shall consist of

[2][(a) The Minister, Housing and Urban Planning Department Uttar Pradesh-Adhyaksh ex officio,:

(a-1) The Principal Secretary/Secretary to the Government of Uttar Pradesh in Housing and Urban Planning Department-Karyakari Adhyaksh/Sadasya-ex officio,]

(b) Three Upadhyaksh who shall be the non-official members appointed by the State Government.

(c) the Principal Secretary/Secretary to the Government of Uttar Pradesh in the Finance Department, ex-officio member;

(d) the Principal Secretary/Secretary to the Government of Uttar Pradesh in the Urban development, ex-officio member ;

(e) the Principal Secretary/Secretary to the Government of Uttar Pradesh in the Bureau of public Enterprises Department ex-officio member;

(f) the Chief Town and Country Planner, Uttar Pradesh, ex-officio member;

(g) The Director, Central Building Research Institute Roorkee – ex officio member.

(h) The Housing Commissioner, Uttar Pradesh Avas Evam Vikas Parishad-ex officio member.

(i) The Chief Engineer, Uttar Pradesh Avas Evam Vikas Parishad-ex officio member.

(j) The Finance Controller, Uttar Pradesh Avas Evam Vikas Parishad-ex officio member.

(k) The Chief Architect Planner, Uttar Pradesh Avas Evam Vikas Parishad-ex officio member.]

1. Sub-section -5,6,7 subs. By .UP Act No. 11 of 2007 (w.e.f. 15 june 2007)
2. Subs by Act No.-7 of 2010

[1][(6) An officer referred to in clause (b), clause (c) or clause (d) of subsection (5) may instead of attending a meeting of the Board himself depute officer next junior to him available in his department to attend the meeting. The officer so deputed shall have the right to take part in the proceedings of the meeting and shall also have the right to vote.

(7) The appointment of the Adhyaksh and the members referred to in clause (a) of sub-section (5) shall be notified in the Gazette.]

[2][(8) The Karyakari Adhyaksh shall in absence of Adhyaksh perform the functions and discharge the duties of Adhyaksh with the approval thereof.]

4. Disqualification's for being [3][Upadhyaksh], etc.-

A person shall be disqualified for being chosen as and for being the [3][an Upadhyaksh] of the Board if he—

(a) has been convicted of an offence involving moral turpitude;

(b) is an undischarged insolvent;

(c) is of unsound mind and stands so declared by a competent court;

(d) holds, except as provided in Sections 6 and 7, any office of profit under the Board;

(e) has directly or indirectly, by himself or by any partner, employer or employee, any share or interest, whether pecuniary or of any other nature, in any contract or employment with, by, or on be-half of, the Board; or

(f) is a director or a secretary, manager or other officer or any company which has any share or interest in any contract or employment with, by, or, on behalf of, the Board:

Provided that a person shall not be disqualified under clause (e) or clause (f) by reason only of his, or the company of which he is a director, secretary, manager or other officer, having a share or interest in—

(i) any sale, purchase, lease or exchange of immovable property or any agreement for the same;

(ii) any agreement for loan of money or any security payment of money only;

(iii) any newspaper in which any advertisement relating to the affairs of the Board is published;

(iv) the occasional sale to the Board, up to a value mot exceeding ten thousand rupees in any one year, of nay article in which he or the company regularly trades.

Explanation.- A person shall not be deemed to have any share or interest in any contract or employment with, by, or on behalf of, the Board by reason only of his being a shareholder of a company which has such share or interest.

1. Sub-section -5,6,7 subs. By .UP Act No. 11 of 2007 (w.e.f. 15 june 2007)
2. Inserted by UP Act No. 11 of 2007 (w.e.f. 15 june 2007)
3. Subs by UP Act No. 11 of 2007 (w.e.f. 15 june 2007)

[1][5. Term of office of Upadhyaksh.-

(1) An Upadhyaksh shall hold office for a period of three years unless his term is determined earlier by the State Government by notification in the Gazette.

(2) An Upadhyaksh may at any time by writing under his hand addressed to the State Government resign his office and on such resignation being accepted he shall be deemed to have vacated the office.]

[1][6. Provisions regarding office of Upadyaksh.-

The Upadhyaksh shall be paid from the Board's fund such remuneration as may be prescribed.]

7. Provision relating to Housing Commissioner.-

(1) There shall be a Housing Commissioner appointed by the State Government for the purposes of this Act.

(2) The conditions of service of the Housing Commissioner shall be such as may be prescribed. He shall be remunerated from the Board's fund.

(3) The State Government may, if it is of opinion that special circumstances so require appoint the Housing Commissioner to be the Adhyaksh in addition to his own duties.

(4) The State Government may also appoint the Housing Commissioner as an authority under any other law for the time being in force.

8. Appointment of officers and servants.

[2][(1) Subject to such control and restrictions as may from time to time be imposed by the State Government, by special or general orders, the Board may appoint such officers and servants as it considers necessary for the efficient performance of its functions.]

(2) The Board may, with the previous approval of the State Government appoint a servant of the Central or the State Government or of a local authority on any of the posts under it on such terms and conditions as may be agreed upon.

9. Units.-

(1) The Board may by resolution establish a Housing Unit, for any City and, with the previous approval of the State Government, for any other area for the efficient performance of its functions in that area.

(2) Every Unit shall be under the charge of an officer who shall be under the administrative control of the Housing Commissioner and shall also exercise, perform and discharge such powers, duties and functions as may be delegated to him under Section 12.

1. Subs by UP Act No. 11 of 2007 (w.e.f. 15 June 2007)
2. Subs. By UP Act No. 47 of 1976

(3) So far as may be and subject to the rules, the accounts of income and expenditure of each Unit shall be kept separately and the savings of any one Unit shall be spent over that area only to which that Unit relates.

10. Avas Samitis.-

(1) The State Government may for any Unit constitute a local advisory committee to be called Avas Samiti consisting of a Chairman and such other members and on such terms and conditions as may be prescribed.

(2) The Chairman of the Avas Samiti shall be—

(a) in the case of a City, the Nagar Pramukh of the Nagar Mahapalika thereof;

(b) in the case of a municipality, the President of the municipal board thereof;

(c) in the case of any other area (which may include a municipality or part thereof), the President or Chairman of any local authority having jurisdiction in that area, to be appointed by the State Government.

(3) The Board shall consult the Avas Samiti concerned on such matters as may be prescribed and may also consult it on any other matter.

11. Supervision and control by Housing Commissioner.-

Subject to the provisions of this Act and the rules, the Housing Commissioner shall exercise supervision and control over all officers and servants of the Board.

12. Delegation of powers.-

(1) Subject to the provisions of this Act and the rules, the Board may by general or special order delegate, either unconditionally or subject to such conditions, including the condition of review by itself, as may be specified in the order, to any committee appointed by it or to the Housing Commissioner or any officer of the Board such of its powers and duties under this Act, as it may deem necessary.

(2) Subject to the provisions of this Act and the rules, the Housing Commissioner may by general or special order delegate, either unconditionally or subject to such conditions, including the condition of review by himself, as may be specified in the order, to any officer of the Board such of his powers and duties under this Act, not being powers and duties delegated to him under sub-section (1), as he may deem necessary.

13. Disqualification from participating in proceedings on account of interest.-

(1) A member of the Board or of an Avas Samiti or of a committee appointed by the Board who-

(a) has any share or interest of the nature described in clause (e) or clause (f) of Section 4 in respect of any matter, or

(b) has acted professionally, in relation to any matter, on behalf of any person having therein any such share or interest as aforesaid,

(2) shall not, notwithstanding anything contained in the proviso to Section 4, vote or take part in any proceeding of the Board, Avas Samiti or committee relating to such matter.

(3) If any member of the Board or of an Avas Samiti or f a committee appointed by the Board has, directly or indirectly, any interest in any land situated in an area comprised in any of the schemes framed under this Act, or in an area in which it is proposed to acquire land for any of the purposes of this ?Act, he shall not take part in any meeting of the Board, Avas Samiti or committee in which any matter relating to such land is considered.

(3) Nothing in sub-section (1) or sub-section (2) shall prevent any member of the Board, Avas Samiti or committee from voting on, or taking part in the discussion of, any resolution or question relating to any subject other than a subject referred to in those sub-sections.

14. Acts not to be invalidated by informality, vacancy, etc.-

No act done or proceeding taken under this Act by the Board, an Avas Samiti or a committee appointed by the Board shall be invalidated merely on the ground of-

(a) any vacancy or defect the constitution of the Board, Avas Smiti or committee; or

(b) any defect or irregularity in the appointment of a person acting as a member thereof; or

(c) any defect or irregularity in such act or proceeding not affecting the substance.

CHAPTER III

Function and Powers of the Board

15. Function of the Board.-

(1) Subject to the provisions of this Act and the rules and regulations, the functions of the Board shall be-

(a) to frame and execute housing and improvement schemes and other projects;

(b) to plan and co-ordinate various housing activities in the State and to ensure expeditious and efficient implementation of housing and improvement schemes in the State;

(c) to provide technical advice for and scrutinize various projects under housing and improvement schemes sponsored or assisted by Central Government;

(d) to assume management of such immovable properties belonging to the State Government as may be transferred or entrusted to it for this purpose;

(e) to maintain, use, allot lease, or otherwise transfer plots, buildings and other properties of the Board or of the State Government placed under the control and management of the Board;

(f) to organise and run workshops and stores for the manufacture and stock-piling of building materials;

(g) on such terms and conditions as may be agreed upon between the Board and the State Government, to declare houses constructed by it in execution of any scheme to be houses subject to the U.P. Industrial Housing Act, 1955 (U.P. Act No. XXIII of 1955);

(h) to regulate building operations;

(i) to improve and clear slums;

(j) to provide roads, electricity, sanitation, water supply and other civic amenities and essential services in areas developed by it;

(k) to acquire movable and immovable properties for any of the purposes before mentioned;

(l) to raise loans from the market, to obtain grants and loans from the State Government, the Central Government, local authorities and other public corporations, and to give grants and loans to local authorities, other public corporations, housing co-operative societies and other persons for any of the purposes before mentioned;

(m) to make investigation, examination or survey of any property or contribute towards the cost of any such investigation, examination or survey made by any local authority or the State Government;

(n) to levy betterment fees;

(o) to fulfill any other obligation imposed by or under this Act or any other law for the time being in force; and

(p) to do all such other acts and things as may be necessary for the discharge of the functions before mentioned;

(2) Subject to the provisions of this Act and the rules and regulations, Board may undertake, where it deems necessary, any of the following functions, namely-

(a) to promote research for the purpose of expediting the construction of and reducing the cost of buildings;

(b) to execute works in the State on behalf of public institutions, local authorities and other public corporations, and departments of the Central Government and the State Government;

(c) to supply and sell building materials;

(d) to co-ordinate, simplify and standardise the production of building materials and to encourage and organise the prefabrication and mass production of structural components;

(e) with a view to facilitating the movement of the population in and around any city, municipality, town area or notified area, to establish, maintain and operate any transport service, to construct, widen, strengthen or otherwise improve roads and bridges and to give financial help to others for such purposes;

(f) to do all such other acts and things as may be necessary for the discharge of the functions before mentioned.

16. Housing or improvement scheme when to be framed by the Board.-

(1) A housing or improvement scheme may be framed by the Board of its own motion or at the instance of a local authority and shall be framed when so directed by the State Government.

(2) The Board may refuse to frame and execute a housing or improvement scheme at the instance of a local authority if the Board is satisfied that such scheme is unnecessary or not feasible or that the funds at its disposal do not permit the framing or execution of such scheme, and intimate its refusal to the authority. The Board shall intimate its decision within one year from the date of receipt of the request from the local authority that a scheme be framed.

(3) Any local authority aggrieved by the refusal of the Board under sub-section (2) may, within two months from the date of receipt of the intimation, appeal to the State Government who nay pass such orders thereon as it thinks fit and the Board shall give effect to such orders.

17. Matters to be provided for in housing or improvement schemes.

Notwithstanding anything contained in any other law for the time being in force, and without prejudice to other provisions of the this Chapter, a housing or improvement scheme may provide for all or any of the following matters, namely.

(a) the acquisition by purchase, exchange or otherwise of any property necessary for or affected by the execution the scheme;

(b) the laying or re-laying out of any land comprised in the scheme;

(c) the distribution or redistribution of sites belonging to owners of the property comprised in the scheme;

(d) the improvement or clearance or dwellings or portions of dwellings unfit for human habitation;

(e) the demolition of buildings or portions of building causing obstruction in the proposed lay-out;

(f) the construction reconstruction of buildings;

(g) the sale (including sale on hire-purchase basis), lease or exchange of any property comprised in the scheme;

(h) the construction or alteration of roads, streets, lanes, bridges, culverts or causeways;

(i) the drainage, water supply or lighting of the streets included in the scheme;

(j) the provision of schools, community buildings, parks (including children's parks), swimming pools, playing fields, open spaces, and approaches thereto, for the benefit of any area comprised in the scheme or any adjoining area;

(k) the making of sanitary arrangements required for the area comprised in the scheme, including the conservation of and the prevention f injury to or contamination of rivers or other sources and means of water-supply;

(l) the provision of accommodation for any class of persons;

(m) the provision of facilities for communication and transport;

(n) the collection of such information and statistics as may be necessary for the purposes of this Act;

(o) the reclamation, development or reservation of lands for markets, commercial and industrial sites, gardens, playing fields and tree plantation;

(p) the provision of restaurants, shops, markets, fuel depots; laundries, and other amenities in the area comprised in the scheme;

(q) the advance of loans for the purposes of the scheme; and

(r) any other matter which may be prescribed:

Provided that any such scheme shall, so for as may be, conform with the Master Plan, if any, for the time being in force.

18. Types of housing and improvement schemes.-

(1) A housing or improvement scheme shall be of one of the following types, or a combination of two or more of such types or of special features thereof, namely-

(a) Grihsthan Yojana (house accommodation scheme);

(b) Malin Basti Sudhar Aur Nipatan Yojana (slum improvement and clearance scheme);

(c) Punarvas Yojana (re-housing scheme);

(d) Sarak Yojana (street scheme);

(e) Bhavi Sarak Yojana (deferred street scheme);

(f) Prasar Yojana (expansion scheme);

(g) Bhumi Vikas Yojana (land development scheme);

(h) Bazar Yojana (market scheme);

(i) Barh Yojana (flood scheme).

(2) The State Government may, on such terms and conditions as it may after consultation with the Board think fit to impose, direct the Board to undertake any housing or improvement scheme of a type not specified in sub-section (1).

19. Gristhan Yojana.-

(1) Whenever the Board is of opinion that it is expedient or necessary to meet the need for house accommodation in any area, the Board may frame a Grihsthan Yojana (house accommodation scheme).

(2) Such scheme shall specify the lay-out of the area where the house are to be constructed and may provide for the building of houses by the Board and by others.

(3) The Board may lease out or sell, including sale on hire-purchase basis, any house so built by the Board.

(4) The Board may provide in the area roads, streets, drainage, water-supply, street lighting, community buildings and other amenities.

20. Malin Basti Sudhar Aur Nipatan Yojana.-

(1) Whenever it appears to the Board-

(a) that in any area, any buildings used or intended or likely ot be used as dwelling houses are unfit for human habitation, or

(b) that danger to the safety, health or morals of the inhabitants in any area or on the neighbourhood of such area is likely to be caused by-

(i) the narrowness, closeness, or faulty arrangement or design or condition of streets or buildings or groups of building in such areas, or

(ii) over-crowding in such area, or

(iii) want of light, air, ventilation, or of proper conveniences in such area, or

(iv) any other sanitary defect in such area,

The Board may frame a Malin Basti Sudhar Nipatan Yojana (slum improvement and clearance scheme) in respect of such area.

(2) Such scheme may provide for-

(a) the reservation f sites for, and the construction and provision of roads, streets, lanes and open spaces and other amenities, and the enlargement of the existing roads, streets, lanes, open spaces and other amenities in the area.

(b) the re-laying out of the sites of the area;

(c) the acquisition by the Board of any site or building comprised in the area;

(d) the carrying out of and maintenance of works of improvement on lands and buildings in the area;

(e) the regulation of erection, re-erection or alteration of or addition to, buildings in the area

(f) the alteration or demolition of the existing buildings and their appurtenances on the sites of the area;

(g) the construction of houses and other buildings on the sites of the area;

(h) the advance of moneys to the owners on such terms and conditions as may be provided under the scheme with a view to assist them in reconstructing or altering existing buildings or erecting new buildings in accordance with the scheme.

21. Punarvas Yojana.-

Whenever the Board is of opinion that it is necessary to provide accommodation for persons-

(a) who are displaced or likely to be displaced by the execution of any housing or improvement scheme under this Act, or

(b) whose removal from any area is necessary for relieving congestion in that area,

the Board may frame a Punarvas Yojana (re-housing scheme) for the construction, maintenance and management of such dwelling houses and shops or for providing such open plots along with roads, streets and open spaces as may be deemed necessary.

22. Sarak Yojana.-

(1) Whenever the Board is of opinion that for the purposes of –

(a) providing building sites, or

(b) remedying defective ventilation, or

(c) creating new or improving existing means of communication and facilities for traffic, or

(d) affording better facilities for conservancy,

it is expedient to lay-out new streets or alter existing streets (including bridges, cause-ways and culverts) in any area, the Board may frame a Sarak Yojana (street scheme) for such area.

(2) Such scheme may, within the limits of the area comprised in the scheme, provide for the following matters, namely-

(a) the acquisition of any land which, in the opinion of the Board, is necessary for the scheme;

(b) the re-laying out of all or any of the lands so acquired including the construction and reconstruction of buildings by the Board or by persons authorised by the Board in that behalf and the laying out, construction and alteration of streets and thoroughfares;

(c) the drainage, water supply and lighting of streets and thoroughfares so laid-out, constructed r altered;

(d) the reclaiming or raising or lowering the level of any land vested in, or acquired by, the Board for the purposes of the scheme; and

(e) the provision of open spaces for the better ventilation of the area comprised in the scheme.

23. Bhavi Sarak Yojana.-

(1) Whenever the Board is of opinion that it is necessary to provide for the future widening of any street by altering the existing alignments of such street but that it is not necessary immediately to acquire all or any of the properties lying within the proposed improved alignments, the Board may frame a Bhavi Sarak Yojana (deferred street scheme), defining the alignment on each side of the street, and specify the time-limit for the execution of such scheme, which may be extended by the Board from time to time:

Provided that such time-limit including extensions, if any, made by the Board shall in no case exceed twenty years from the date of coming into force of the scheme.

(2) Such scheme shall provide for the following matters, namely-

(a) the acquisition of the whole or any part of any property lying within the defined alignments of the street within the time-limit for the execution of the scheme;

(b) the relaying out of all or any of such properties, including the construction and reconstruction of building by the Board or by any other person, and the formation and alignment of the street; and

(c) the drainage, water supply and lighting of the streets so formed or altered.

(3) After such scheme has come into force-

(a) no person shall, within the time-limit for the execution of the scheme, erect, re-erect, add to or alter any building so as to make it project into the defined alignments of the street except with the previous written permission of the Board;

(b) if the Board, fails to acquire or to institute proceedings for the acquisition of any property situate within the defined alignment of the street, the owner of such property may at any time, within the time-limit for the execution of the scheme, or within three years thereafter, give the Board notice requiring it to acquire or to institute proceedings for the acquisition of such property before the expiration of six months from the date of such notice, and hereupon the Board shall acquire by agreement, or institute such proceedings by notice under clause (c) and acquire, the property accordingly; and if the Board fails to do so, it shall pay such compensation as may be determined in accordance with the provisions of this Act and the rules;

(c) the Board shall, before proceeding to acquire any property lying within the defined alignment of the street, give (i) in respect of any property regarding which it has notice under clause (b), fifteen days' notice; and (ii) in respect of other property, six months' notice to the owner of its intention to acquire such property;

(d) notwithstanding anything contained in the Uttar Pradesh Nagar Mahapalika Adhiniyam, 1959 (U.P. Act No. II of 1959), the U.P. Municipalities Act. 1916 (U.P. Act II of 1916), the Uttar Pradesh Kshettra Samitis and Zila Parishads Adhiniyam, 1961 (U.P. Act No. XXXIII of 1961), or any other enactment constituting a local authority in an area in which a scheme under this section has been notified, such local authority shall not have power to define or prescribe any alignment of the street within the area comprised in the scheme and any such alignment previously defined or prescribed within such limits shall cease to be operative.

24. Prasar Yojana.-

(1) Whenever the Board is of opinion that it is expedient to control and provide for the future expansion or development of a City, municipality, town area or notified area, the Board may frame a Prasar Yojana (expansion scheme) and specify the time-limit, which may be extended by the Board from time to time, for the execution of the scheme:

Provided that such time-limit including extensions, if any, made by the Board shall in no case exceed twenty years from the date of coming into force of the scheme.

(2) Such scheme shall specify the proposed lay-out of the area to be developed and the purposes for which particular portions thereof are to be

(3) After any such scheme has come into force, no person shall, without the previous written permission of the Board, erect, re-erect, add to, or alter any building within the area comprised in the scheme.

(4) If the Board refuses to grant permission to any person to erect, re-erect, add to, or alter any building on his land in the area aforesaid, and does not proceed to acquire such land within one

year from the date of such refusal the Board shall pay such compensation as may be determined under this Act and the rules to the person for any damage sustained by him in consequence of such refusal:

Provided that if the Board neither grants nor refuses to grant permission as aforesaid within a period of three months from the receipt of an application duly presented in that behalf it shall be deemed to have refused permission on the date expiration of such period.

25. Bhoomi Vikas Yojana.-

(1) Whenever the Board is of opinion that it is expedient to provide building sites in any area, the Board may frame a Bhoomi Vikas Yojana (land development scheme).

(2) Such scheme shall specify the proposed lay-out of the area to be developed and the purposes for which particular portions thereof are to be utilised.

(3) The Board may provide roads, streets, open spaces, drainage, water supply, street lighting and other amenities for the area comprised in the scheme.

(4) The Board may lease out or sell, including sale on hire-purchase basis, the building sites in the area comprised in the scheme.

26. Bazar Yojana.-

(1) Whenever it appears to the Board that any area is lacking in adequate facilities for marketing, shopping or commerce or that the existing markets of professional or commercial establishments are inconvenient to producers, bankers, traders, members of professions, consumers, customers or clients, or that it is otherwise expedient to improve, alter or demolish the existing markets or commercial or professional centers or lay-out new markets or centers in any area, the Board may frame a Bazar Yojana (market scheme) for the area.

(2) A Bazar Yojana may provide for-

(a) the construction of mandis, shops, stalls, godowns, restaurants, cinemas, commercial houses, professional office, petrol pumps, mechanical servicing and repair stations, laundries and other requisite buildings and structures;

(b) the laying of roads, streets, lanes, side-walks, parks and parking spaces, the provision of water supply, bus stands, and stands for cycle and other vehicles, lavatories, resting places and other services and amenities;

(c) the acquisition by the Board of any site or building comprised in the area included in the scheme; and

(d) the transfer by the Board of any market to any local authority or other person, either absolutely or for management, on such terms and conditions as may be agreed upon with such local authority or person.

27. Barh Yojana.-

(1) Whenever it appears to the Board that any area has been or is likely to be affected by the flooding of any river or rivulet or by water logging, the Board may frame a Barh Yojana (flood scheme) for such area.

(2) A Barh Yojana nay provide for-

(a) the construction of structures for the protection of houses and essential supply installations affected or likely to be affected by flood;

(b) the repair or reconstruction of houses damaged by flood;

(c) the construction of drains and other outlets for drainage of accumulated water;

(d) the raising of the level of any area;

(e) the re-laying of sites in any area;

(f) the acquisition of any land necessary for the scheme;

(g) the evacuation of the inhabitants of any locality affected or endangered by flood and the provision of alternative accommodation for them.

28. Notice of housing and improvement scheme.-

(1) When any housing or improvement scheme has been framed, the Board shall prepare a notice to that effect specifying-

(a) the boundaries of the area comprised in the scheme;

(b) the dates, hours and place or places at which a map of the area, particulars of the scheme, and details of the land proposed to be acquired and of the land in respect of which betterment fee is proposed to be levied may be seen; and

(c) the date by which objections to the scheme may be made.

(2) The Board shall-

(a) cause the said notice to be published weekly for three consecutive weeks in (i) the Gazette (ii) two daily newspapers having circulation in the area comprised in the scheme at least one of which shall be a Hindi newspapers; and

(b) send a copy of the notice to the local authority or authorities within whose jurisdiction the area comprised in the scheme lies.

(3) The Housing Commissioner shall cause copy of any document referred to in clause (b) of sub-section (1) to be delivered to any applicant on payment of such fee as maybe provided by regulations.

29. Notice of proposed acquisition or levy of betterment fee.-

Within six weeks from the date on which any notice is first published under Section 28 in respect of any housing or improvement scheme the Board shall serve a notice in such form, on such persons or classes of persons and in such manner as may be prescribed, stating that the Board proposes to acquire any specified land or building for the execution of the scheme or proposes to levy betterment fee.

30. Objections.-

(1) Any local authority to whom a copy of the notice has been sent under clause (b) of sub-section, (2) of Section 28 may within sixty days from the receipt of the copy of the notice file any objection against the scheme.

(2) Any person on whom a notice under Section 29 has been served may within thirty days from the service of the notice, r within such further time as the Board may, for sufficient cause, allow, make an objection in writing to the board against the scheme or the proposed acquisition or levy.

(3) Any other person may file an objection against the scheme within the time specified in the notice under Section 28.

31. Abandonment, modification or sanction of scheme.-

(1) After considering the objections, if any, received in pursuance of the foregoing provisions and after giving an opportunity of being heard to the objectors, the Board may, so for as may be, within six months from the date of receipt of the last such objection, either abandon the scheme, or, if the estimated cost of the scheme does not exceed twenty lakhs of rupees, sanction it with or without modifications, and if the estimated cost of the scheme exceeds twenty lakhs of rupees, submit it to the State Government for sanction with such modifications, if any, as the Board may suggest.

(2) The State Government any sanction with or without modifications, or refuse to sanction, or return for reconsideration, any scheme submitted to it under sub-section (1).

(3) If a scheme returned for reconsideration under sub-section (2) is modified by the Board it shall be republished in accordance with Section 28-

(a) if the modification affects the boundaries of the area comprised in the scheme or involves acquisition of any land or building not previously proposed to be acquired; or

(b) if the modification is in the opinion of the Board of sufficient importance to require republication,

And on such republication the procedure prescribed in Sections 29 and 30 shall, so for as may be applicable, be followed as if the republication were an original publication under Section 28.

32. Commencement of scheme.-

(1) Whenever the Board or the State Government sanctions a housing or improvement scheme, it shall be notified in the Gazette.

(2) The notification under sub-section (1) in respect of any scheme shall be conclusive evidence that the scheme has been duly framed and sanctioned.

(3) Any person who, or a local authority which had filed objections under Section 30, aggrieved by the decision of the Board sanctioning a housing or improvement scheme may, within thirty days from the date of the notification under sub-section (1), appeal to the State Government whose decisions thereon shall be final.

(4) If the State Government cancels or alter the scheme as a result of an appeal filed under sub-section (3), the conciliation or alteration shall be notified in the Gazette.

(5) The scheme shall come into force-

(a) if sanctioned by the State Government, on the date the notification under sub-section (1a);

(b) if sanctioned by the Board-

(i) where no appeal is preferred under sub-section (3), on the expiry of thirty days from the date of the notification under sub-section (1a), and

(ii) where an appeal is preferred and the scheme is on appeal maintained with or without alteration, on the date of the decision of the appeals and where more appeals than one are preferred, on the date of the decision of the appeal last decided.

33. Alteration of scheme after commencement.-

(1) At any time after a housing or improvement scheme has come into force and before it has been fully executed, the Board may for reasons to be recorded alter or cancel it:

Provided that-

(a) if any alteration is likely to increase the estimated cost of executing a scheme by more than ten percent or if any altered scheme is estimated to cost more than twenty lakhs of rupees, the alteration shall not be made without the previous sanction of the Government;

(b) before making any alteration which involves acquisition, otherwise than by agreement, of building not proposed to be acquired in the original scheme, or owing to which any land not previously liable under the scheme to payment of betterment fee becomes liable to such payment, the Board shall serve a notice, in such form, on such persons or classes of persons and in such manner, as may be prescribed, of classes of persons and in such manner, as may be prescribed, of the proposed alteration, and consider the objections, if any, received in pursuance of the notice within thirty days from the service of the notice or within such further time as the Board may, for sufficient cause, allow, and give an opportunity of being heard to the objectors;

(c) no scheme estimated to cost over twenty lakhs of rupees shall be altered or cancelled without the previous sanction of the State Government.

(2) any alteration or cancellation of a scheme under sub-section(1) shall be notified in the Gazette and have effect from the date of such notification, so however, that any such modification shall be without prejudice to the validity of anything previously done under the original scheme.

34. Execution of scheme.-

(1) After a housing or improvement scheme has come into force the Board shall forthwith proceed to execute it, and in the case of a Bhavi Sarak Yojana(deferred street scheme) or Prasar Yojana(expansion scheme) complete it within the time-limit specified in the scheme or as extended by the Board. On the execution of the scheme being completed the Board shall by notification in the Gazette make a declaration to that effect.

(2) Nothing in sub-section(1) shall be construed to prohibit the Board from employing any agency of the State Government or of a local authority, with the consent of that Government of authority, in the execution of any scheme.

35. Restriction on building in area proposed for or comprised in [1][a scheme].-

(1) Where a notice has been published under Section 28 in respect of a [1][housing or improvement scheme] no person shall, until the scheme is abandoned, or sanctioned, and if the scheme has come into force, during a period of two year from the date of its commencement, erect, re-erect, add to, or alter any building or otherwise develop any land in the area comprised in the scheme except in accordance with the scheme and subject to such restrictions and conditions as the Housing Commissioner may, upon an application for permission in this behalf, by order impose.

(2) A person aggrieved by an order of the Housing Commissioner refusing permission or imposing restrictions or conditions under sub-section(1) may, within such time as may be prescribed, appeal to the Board whose decision thereon shall be final.

36. Special Powers relating to execution of Malin Basti Sudhar Aur Nipatan Yojana.-

(1) At any time after a Malin Basti Sudhar Aur Nipatan Yojana(Slum improvement and clearance scheme) has come into force, the Housing Commissioner may, in respect f the area comprised in the scheme,-

(a) serve upon the owner of any building or land a notice requiring him within such reasonable time, being not less than forty-five days, as may be specified in the notice or as may be extended by him from time to time, to execute any work of improvement specified therein on the building or land, and in the event of default, cause to be done, through such agency as may be specified by him in this behalf, all or any of the things required by the notice to be done;

(b) serve upon the downer of a building which in his opinion is not for human habitation and is not capable at a reasonable expense of being rendered so fit and upon every other person having, within the knowledge of the Housing Commissioner, an interest in the building, whether as a lessee, mortgagee,

1. Subs. By Act No. 47 of 1976.

or otherwise, a notice to show cause, within such time as may be specified in the notice, as to why an order of demolition of the building be not made, and after giving such persons reasonable opportunity of being heard, direct the owner to demolish the same within six weeks of the date of vacation thereof or within such further period as may be allowed, and in the event of default, cause the same to be demolished through such agency as may be specified by him in this behalf;

(c) for any other purposes mentioned in clauses(a) and (b), serve a notice upon any occupier of a building or land to vacate the same within a period specified therein, being not less than thirty days from the date of the service of the notice, and in the event of default, cause the building or land to be vacated, and use such force for that purpose as may be necessary.

(2) In case the Housing Commissioner cause any work of improvement to be carried out under sub-section(1) the expenses incurred thereon, to be determined by the Housing Commissioner, together with interest at such rates as may be prescribed, from the date of demand till the date of payment, shall be recoverable by the Board in such installments as may be prescribed from the owner of the building or the land, as the case may be, as arrears of land revenue:

Providing that the liability of the owner, on his satisfying the Housing Commissioner that he-

(a) has been receiving the rent of the building or land merely as agent or trustee for some other person, and

(b) has not in his hands on behalf of that other persons sufficient money to satisfy the whole demand,-

shall be limited to the total amount of money in his hands as agent or trustee.

(3) In case the Housing Commissioner causes any building to be demolished under sub-section(1) the expenses incurred on the demolition shall be deemed to have been reimbursed in full from the sale proceeds, if any, of the materials thereof. The balance, if any, of the sale proceeds of the materials, after deducting the expenses incurred on the demolition of the building and on the sale of the materials, to be determined by the Housing Commissioner, shall be paid to the owners:

Provided that if the owner desires to remove the materials or any portion thereof before the sale he may remove the same after payment to the Housing Commissioner of the entire expenses incurred on the demolition within such time as may be allowed.

(4) Where any work if improvement has been carried out in any building under sub-section(1) and is maintained by the Board the expenses of such maintenance, to be determined by the Housing Commissioner, shall be recoverable by the Board from the occupier of the building as arrears of land revenue.

(5) Where there are more persons than one who are owners or occupiers of the building land or have an interest in the building, whether as lessees, mortgages or otherwise, the Housing Commissioner may determine the liability of each such person in respect of the expenses determined under sub-section(2), sub-section(3) or sub-section(4).

(6) Where any building is ordered t be vacated in pursuance of an order under this section, the Housing Commissioner shall, as far as may be, offer temporary alternative accommodation to the occupier of the building in such manner and to such extent as may be prescribed.

(7) Any person aggrieved against an order determining the amount of expenses under sub-section(2), sub-section(3) or sub-section(4) or making an apportionment under sub-section(5) may appeal against the order to the Tribunal within such time as may be prescribed, and the decision of the Tribunal thereon shall be final. Explanation.- For the purposes of this section, the terms "occupier", "owner", and "work of improvement" shall have the same meanings as given to them in clauses(f),(g)(i) of Section 2 of the Uttar Pradesh Slum Areas(Improvement and Clearance) Act, 1962(U.P. Act XVIII of 1962), as amended from time to time, subject to the modification that in the said clause(l) the world " Housing Commissioner", shall stand substituted for the words "Competent authority", and the expression " reasonable expense" shall have the same meaning as given to it in sub-section(1) of Section 4 of the said Act.

37. Provisions regarding tenants in area comprised in Malin Basti Sudhar Aur Nipatan Yojana.-

(1) In an area in which a Mailn Basti Sudhar Aur Nipatan Yojana is in force, notwithstanding anything contained in any other law for the time being in force, no person shall, except with the previous permission in writing of the prescribed authority-

(a) institute any suit or proceeding for obtaining any decree or order for the eviction of a tenant from any building or land in the area, or

(b) where any decree or order is obtained in any suit or proceeding instituted before the commencement of the scheme for the eviction of a tenant from any building or land in such area, execute such decree or order:

Provided that nothing in this sub-section shall apply to or in relation to the eviction under any law of a tenant from any building or land belonging to the Government, the Board or any other local authority.

(2) In granting or refusing to grant the permission under sub-section(1), the prescribed authority shall follow such procedure as may be prescribed and shall take into account the following factors, namely-

(a) whether alternative accommodation within the means of the tenant would be available to him if he were evicted;

(b) Whether the eviction is in the interest of slum improvement or clearance in the area;
(c) such other factors, if any, as may be prescribed.

(3) Any person aggrieved by an order of the prescribed authority granting or refusing to grant the permission referred to in sub-section(1) may, within such time as may be prescribed, prefer an appeal to the Tribunal whose decision thereon shall be final.

(4) Where a tenant in occupation of any building in such area vacates any building or is evicted there from on the ground that it was require for the purpose of executing any work of improvement or for the purpose of demolition and re-erection of the building, the tenant may, within such time as may be prescribed, file a declaration with the prescribed authority that he desires to be replaced in occupation of the building after the completion of the work of improvement or re-erection of the building, as the case may be.

(5) On receipt of such declaration, the prescribed authority shall by order require the owner of the building to furnish to it, within such time as may be prescribed, the plans of the work of improvement or re-erection of the building and estimates of the cost thereof and such other particulars as may be necessary and shall, on the basis of such plans and estimates and particulars, if any, furnished and having regard to the provisions of sub-section(8) and after holding such inquiry as it may think fit, provisionally determine the rent that would be payable by the tenant if he were to be replaced in occupation of the building in pursuance of the declaration made by him under sub-section(4).

(6) The rent provisionally determined under sub-section(5) shall be communicated in the prescribed manner to the tenant and the owner.

(7) If the tenant after the receipt of such communication intimates in writing to the prescribed authority within such time as may be prescribed that when he is replaced in occupation of the building in pursuance of the declaration made by him under sub-section(4), he would pay to the owner, until the rent is finally determined under sub-section(5), the prescribed authority shall direct the owner to place the tenant in occupation of the building after the completion of the work of improvement or re-erection of the building, as the case may be, and the owner shall be bound to comply with such direction.

(8) Where any such building is let to a tenant in pursuance of a direction issued under sub-section(7) the tenant shall, notwithstanding any law relating to the control of rent in force in the area, be liable to pay to the owner such rent as may, on application given in this behalf to the prescribed authority within ninety days from the completion of the work of improvement or re-erection of the building, as the case may be, or within such further time as may on sufficient cause being shown be allowed, be finally determined by the prescribed authority , which shall be as follows:

(a) if any work of improvement has been executed in relation to the building , an annual rent of a sum equivalent to the aggregate of the following amounts, namely-

(i) the annual cent the tenant was paying immediately before he vacated the building for the purpose of execution of the work of improvement;

(ii) six per cent of the cost of the work of improvement; and

(iii) six per cent of the cost of any land which may have been acquired for the purpose of effecting such improvement;

(b) if the building has been re-erected, an annual rent of a sum equivalent to four per cent of the aggregate cost of reconstruction of the building and the cost of the land on which the building is re-erected.

Explanation.- For the purposes of this sub-section, the cost of the land shall be deemed to be sum equivalent to the compensation payable in respect of the land if it were acquired by the Board under Section 55, and the date of commencement of the work of improvement or the re-erection of the building were the date with reference to which the market value of the land were adjudged under Section 23 of Land Acquisition Act, 1894 (Act No. I of 1894), as modified by the said Section 55.

(9) Any party aggrieved against the determination of rent under sub-section(8) may, within such time as may be prescribed, prefer an appeal to the Tribunal whose decision thereon shall be final.

(10) Where the rent is finally determined under sub-section(8), or on appeal under sub-section(9), then the amount of rent paid by the tenant before such determination shall be adjusted against the rent so finally determined and if the amount so paid falls short of, or is in excess of, the rent finally determined, the tenant shall pay the determined, the tenant shall pay the deficiency, or be entitled to a refund, as the case may be.

38. Transfer to Board of building or land vested in local authority.-

(1) Whenever any building or land or any street or any part thereof, vested in a local authority lies within the area comprised in any housing or improvement scheme, the Board may give notice to that local authority that the same is required for the purposes of the scheme, and thereupon such building, land or street, or part thereof, shall vest in the Board.

(2) Where the Board makes a declaration while giving notice under sub-section(1) that such land, street, or part, as the case may be, will be retained by the Board only until it re-vests in the local authority as a street or an open space, or part thereof, under Section 41, no compensation shall be payable by the Board to the local authority except in respect of buildings, if any, situated on that land.

(3) Except as provided in sub-section(2), where any land or building vest in the Board under sub-section(1) the Board shall pay to the local authority as compensation, a sum equal to the market value of such land or building or both, as the case may be, as on the date on which the scheme comes into force.

(4) Where after a declaration has been made under sub-section(2), the land does not fe-vest in the local authority compensation in respect of such land in accordance with the provisions of sub-section(3).

(5) If any question arises as to whether any building, land or street, or any part thereof, is required for the purposes of the scheme or as to whether compensation is payable under this section, or as to the amount of such compensation, the matter hall be referred to the State Government whose decision thereon shall be final.

39. Transfer of private street or square to Board for purpose of scheme.-

(1) Whenever any private street or square or part thereof which the public has right to pass along or use and which is not vested in the Board or in any local authority is required for executing any housing or improvement scheme, the Board shall cause to be affixed in a conspicuous place in or near such street or square or part a notice signed by the Housing Commissioner and-

(a) stating the purpose for which such street or square or part is required, and

(b) declaring that the Bard will, on or after a date to be specified in the notice, take over charge of such street or square or part from the owner thereof,

and shall simultaneously sent a copy of such notice to the owner of such street or square or part.

(2) After considering the objections, if any, received in writing before the date specified in this behalf in the notice, the Board may take over charge of such street or square or part, and the same shall thereupon vest in the Board.

(3) When the Board alters or closes any private street or square or part thereof which has vested in it under sub-section(2), it shall pay to the previous owner compensation determined on the basis of the market value, on the date of vesting, of his rights therein.

(4) If the alteration or closure of any such street or square or part causes damage or substantial inconvenience to the owners of property adjacent thereto, or to the residents in the neighborhood, the Board shall forthwith provide some other reasonable means of access fr the use of persons who were entitled o use such street or square or part as a means of access to any property or place, and if the provision of such means of access does not sufficiently compensate any such owner or resident for such damage or in convenience, the Board shall also pay him reasonable compensation in money.

40. Repairs of streets vested in the Board.-

Whenever ht e Board allows any street vested in it to be used for public traffic, it shall keep the street in good repair and do all things necessary for the safety and convenience of persons using it.

41. Transfer of streets and open spaces to local authority.-

(1) The Board may hand over any street laid-out or altered by and vested in it to the local authority within whose jurisdiction it lies, after giving it one month's notice, when-

(a) any such street has been duly leveled and metalled,

(b) lamp posts necessary for the lighting of such street have been provided, and

(c) water, drains and sewers have been provided in such street, in the manner provided in the scheme.

(2) When any open space for the purposes of ventilation or recreation has been provided by the Board in executing any housing or improvement scheme, the Board may resolve that such space shall, on completion of the scheme be transferred to the local authority concerned, and thereupon notice of the resolution shall be given to such authority.

(3) The local authority may, on receipt of a notice under sub-section(3), make objections to the Board or may require the Board before any such open space is so transferred to enclose, level, turf, drain and lay out such space and provide footpaths and lamp-posts therein. The Board shall consider such objections and requirements and then pass a final resolution reaffirming or modifying the proposal.

(4) Such street or open space shall, upon the expiry of the period of notice or in accordance with the final resolution, as the case may be, vest in, and thenceforth be maintained, kept in repair, lighted and cleansed by, the local authority.

(5) If any difference of opinion arises between the Board and the local authority in respect of any matter referred to in this section, the matter shall be referred to the State Government whose decision thereon shall be final and binding on the Board and the local authority.

42. Arrangement during work in streets.-

(1) When any work which may lawfully be done, is being executed by the Board in any street vested in it, the Board may direct that such street shall, during the progress of such work, be either wholly or partially closed to traffic generally or to traffic of any specified description:

Provided that the Board shall, so far as may resonably be practicable, make adequate provision for-

(a) the passage of or diversion of traffic;

(b) securing access to all premises approached from such street; and

(c) any drainage, water supply, or means of lighting which is interrupted by reasons of the execution of the work.

(2) When any such direction has been give, the Board shall affix in a conspicuous place in or near the street an order prohibiting traffic to the extent so directed, and fix such bars, chains, or post across or in the street as it may think proper for ensuring compliance with the order.

43. Power to close public street or square.-

(1) The Board may-

(a) turn, divert, discontinue the public use of , or permanently close, any street vested in it or any part thereof; or

(b) discontinue the public use of, or permanently close, any square vested in it or any part thereof.

(2) Whenever the Board discontinues the public use of, or permanently closes, any street or square vested in it, or any part thereof, it shall pay shall pay such compensation as may be determined in accordance with the rules to any person who sustains special damage by reason of such discontinuance or closure.

(3) When any street or square vested in the Board, or any part thereof, is permanently closed under sub-section(1), the Board may sell or lease so much of the same as is no longer required by it.

44. Effect of schemes under this Act on powers of other local authorities.-

(1) Where the State Government is of opinion, after a notice of a housing or improvement scheme in relation to any area has been published under Section 28, that it is expedient in the public interest that any scheme framed under the Uttar Pradesh Nagar Mahapalika Adhiniyam, 1959, covering the same area or part thereof should not be further proceeded with, whether by way of notification, consideration, sanction, abandonment or otherwise, under the said Adhiniyam, it may, after giving to the Nagar Mahapalika concerned an opportunity of making written objections, direct that the scheme shall not be so proceeded with or that it shall be proceeded proceedings, if any, relating to the scheme or such part thereof as may be specified shall stand transferred to the Board, and thereupon the Board shall proceed further with the scheme or part thereof, as the case may be, from the stage at which it was transferred to it, in accordance with the corresponding provisions of this Act:

Provided that the Board may, if it thinks fit, recall any step or proceeding already gone through under the said Adhiniyam, and take that step or proceeding afresh, under the corresponding provisions of this Act.

(2) If a notice has been published under Section 28, no Nagar Mahapalika or other local authority having jurisdiction over any area comprised in the scheme shall, without the permission of the State Government, dispose of any property in such area or don anything on or in relation to any such property so as to alter the character of the property or make any outlay or improvement on or cause any damage to such property.

(3) The State Government may, by general or special order, provide for adjustment between conflicting or overlapping schemes under this Act and under the said Adhiniyam.

Explanation.- The expression "corresponding provision of this Act" means, in case of doubt, such provision as may be specified by the State Government by general or special order to be the corresponding provision for that purpose.

45. Transfer of land, etc. by State Government to Board for purposes of scheme or management, etc.-

The State Government may, after consultation with the Board, transfer to it any land belonging to or vested in the State Government or acquire under the provisions of the Uttar Pradesh Slum Areas(Improvement and Clearance)Act, 1962(U.P. Act XVIII of 1962), or made available to the competent authority under the said Act, being either under its direct management or under the management of any local authority, on such term and conditions, including the condition of resumption by the Government on the occurrence of a specified contingency, as the Government may think fit to impose.

46. Power of Board to undertake other projects at the instance of others.-

The Board may undertake the execution of any housing or other building project at the request of the State Government or, with the previous approval of the State Government, at the request of any other person such terms and conditions as may be agreed upon.

47. Execution of other schemes by the Board.-

(1) Without prejudice to the power of the State Government under sub-section (2), the Board may, on such terms and conditions as may be agreed upon between the Board and any other local authority, take over the execution or further execution of any housing or improvement scheme undertaken by such local authority, and the Board shall thereafter execute such schemes as if it had come into force under sub-section(5) of Section 32 of this Act.

(2) Where the State Government is of opinion that is expedient in the public interest that an improvement scheme sanctioned or partly executed under the Uttar Pradesh Nagar Mahapalika Adhiniyam, 1959 should be further proceeded with by the Board, it may, after giving to the Nagar Mahapalika concerned an opportunity of making written objections, direct that the execution or further execution of any such scheme be transferred to the Board on such terms and conditions as it may deem fit, and the Board shall there after execute such scheme as if it had come into force under sub-section(5) of Section 32 of this Act.

(3) Whenever the execution of further execution of a scheme is under taken by the board under sub-section(1) or sub-section(2), the Board shall have the same power of levying betterment fee in relation to such scheme as if the scheme were framed and sanctioned under this Act:

Provided that the declaration referred to in Section 50 may, in the case of any such scheme, be made by a notice, which shall be published in the Gazette and daily newspapers having circulation in the Area comprised in the scheme, at least

one of which shall be a Hindi newspaper, and a copy which shall be sent to the local authority or authorities within whose jurisdiction the area comprised in the scheme lies. Thereupon the provisions of Section 29 and 30 shall, mutatis mutandis, apply so far as they relate to the proposal to levy betterment fee , and the Board may, after considering the objections, if any, received in pursuance of the said provisions and after giving an opportunity of being heard to the objectors, either abandon or, with or without modifications, confirm the proposal.

(4) Whenever the execution or further execution of a scheme is transferred to the Board under sub-section(1) or sub-section(2), any legal proceeding, including any proceeding under the Land Acquisition Act, 1894, (Act No. I of 1894), pending in relation to that scheme by or against the Nagar Mahapalika may be continued, prosecuted or enforced by or against the Board.

48. Supervisions and centage charges.-

The Board may include in the cost of any housing or improvement scheme framed by it or any work undertaken by it supervision and centage charges at such rates as may be fixed by it:

Provided that the rate so fixed shall not be more than twelve and a half per cent of the other cost of the scheme or work.

49. Power of State Government to call for the records of the Board and to modify or annul any scheme.-

(1) Notwithstanding anything contained in the foregoing previsions of this Chapter, the State Government may at any time call for and examine the records of the Board relating to any housing or improvement scheme which is proposed to be or has been framed by the Board or which is being executed by it, and modify, annual or remit for reconsideration to the Board any such scheme or direct that the scheme be executed with such modifications as may be specified, or issue such other directions as it may deem fit:

Provided that if any modification involves acquisition, otherwise than by agreement, of any land or building not proposed to be acquired in the original scheme, or if owning to any modification any land not previously liable under the original scheme to payment of betterment fee becomes liable to such payment, the modification shall not be made without giving an opportunity to the persons so affected of making objections against the proposed modification.

(2) The State Government may stay the execution of any such scheme pending the passing of orders under sub-section(1).

(3) Any modification of a scheme under sub-section(1) shall be notified in the Gazette and shall have effect from the date of such notification, so, however, that any such modification shall be without prejudice to the validity of anything previously done under the original scheme.

CHAPTER IV

Betterment Fee

50. Declaration regarding betterment fee.-

(1) When by the execution of a housing or improvement scheme, any land in the area comprised in the scheme which is not required for the execution thereof will, in the opinion of the Board, be increased in value, the Board, in framing the scheme, may declare that betterment fee shall be payable by the owner of the land or any person having an interest therein in respect of the increase in value of the land resulting from the execution of the scheme.

(2) Such increase in value shall be the amount by which the value of the land on the completion of the execution of the scheme estimated as if the land were clear of buildings, exceeds the value of the land prior to the execution of the scheme estimated in the like manner; and the betterment fee shall be one-third of such increase in value.

(3) The Board may, with the previous approval of the State Government, declare that such betterment fee shall be payable also in respect of any land which is not situated in the area comprised in the scheme but is adjacent to, and within half a kilometre of the boundaries of, that area, if such land will be increased in value consequent on the execution of the scheme.

51. Assessment of betterment fee.-

(1) When it appears to the Board that the scheme is sufficiently advanced to enable the amount of the betterment fee to be determined, the Board shall, by resolution passed in this behalf, declare that for the purpose of determining such fee, the execution of the scheme shall be deemed to have been completed and shall thereupon give notice in writing to every person on whom a notice has been served under Section 29 or to the successor-in-interest of such person, as the case may be, that the Board proposes to assess the amount of betterment fee payable in respect of such land under Section50.

(2) After giving such person an opportunity of being heard, the Board shall in the manner prescribed, assess the amount of betterment fee payable by him, and serve on him a copy of the order of assessment.

(3) The assessment made under sub-section(2) shall, subject to the result of appeal, if any, under sub-section(4), be final.

(4) Any person aggrieved against an order of levy or assessment under sub-section(2), may file an appeal before the Tribunal within such time and in such manner as may be prescribed.

(5) The Tribunal may, after giving an opportunity of hearing to the parties in the prescribed manner, pas such orders as it may deem fit.

(6) The Tribunal may, pending decision of the appeal, pass such interim orders as it may deem fit.

52. Notice of demand.-

(1) When the amount of betterment fee has been assessed under Section 51, the Board shall be notice require the assessee to pay the betterment fee so assessed in such annual installments, not exceeding ten, and by such dates as may be fixed in this behalf:

Provided that an assessee may at any time pay the entire amount of the betterment fee or of the balance then due, and in such case he may be allowed such rebate as may be prescribed.

(2) Where any installment of betterment fee is not paid by the date fixed under sub-section(1), interest at such rate, not exceeding six per cent per annum, as may be prescribed, shall be payable by the assessee from such date and shall be deemed to be part of the betterment fee.

53. Betterment fee as a charge on land.-

(1) Any person liable to pay betterment fee in respect of any land may, at any time, at his option, instead of paying the same to the Board, execute an agreement with the Board leaving the payment of the betterment fee or the balance thereof, as the case may be, outstanding as a charge on his interest in such land, subject to the annual payment, in perpetuity, of interest on such amount at the rate of six per cent per annum.

(2) Every payment due from any person in respect of a betterment fee, including a payment referred to in sub-section(1), shall notwithstanding anything contained in any law or agreement for the time being in force, be the first charge upon the interest of such person in such land, subject to the prior payment of land revenue, if any, due to the State Government, on such land.

(3) If any installment of interest due under an agreement executed in pursuance of sub-section(1) be not paid on the due date, or within such period of grace as may be, shall become payable on that date, in addition to such installment

(4) At any time after an agreement has been executed in pursuance of sub-section (1) any person may pay off the amount for which the charge has been created, with the interest due up to the date of such payment.

54. Recovery of betterment fee, etc, as arrears of land revenue.-

All moneys payable in respect of any land by any person under this Chapter in respect of betterment fee or any interest due thereon up to the date of realisation, shall be recoverable by the Board from the said person or his successor-in-interest as arrears of land revenue.

CHAPTER V

Property, Contract and Finance

55. Power to acquire land.-

(1) Any land or any interest therein required by the Board for any of the purposes of this Act, may be acquired under the provisions of the Land Acquisition Act, 1894 (Act No. I of 1894), as amended in its application to Uttar Pradesh, which for this purpose shall be subject to the modifications specified in the Schedule to this Act.

(2) If any land in respect of which betterment fee has been levied under this Act is subsequently required for any of the purposes of this Act, such levy shall not be deemed to prevent the acquisition of the land under the I, and Acquisition Act, 1894 (Act No. I of 1894).

56. Power to acquire and dispose of land by agreement.-

Subject to such conditions and restrictions as may be prescribed, the Board may-

(1) by agreement with any person, purchase, lease or exchange any land of any interest therein required by it for any of the purposes of this Act; or

(2) retain or sell, exchange, lease or otherwise dispose of any land vested in or acquired by it:

Provided that in transferring by sale, exchange, lease or otherwise, any land acquired for any scheme under this Act, preference to such extent and in such manner as may be prescribed shall be given to the persons whose land was acquired for such scheme.

57. Execution and registration of contracts, etc.-

(1) Every contract or assurance of property on behalf of the Board shall be in writing and executed by such authority and in such manner as may be prescribed.

(2) Notwithstanding anything contained in the Indian Registration Act, 1908(Act No. XVI of 1908), it shall not be necessary for the Housing Commissioner or any officer of the Board authorised to execute on behalf of the Board any agreement or other instrument to appear in person or by agent at any registration office in any proceedings connected with the registration of any such agreement or instrument or to sign as provided in Section 58 of that Act:

Provided that the registering officer to whom such instrument is presented may, he thinks fit, refer to the Housing Commissioner or such officer for information respecting the same and shall, on being satisfied of the execution thereof, register the instrument.

58. Financial provisions.-

(1) The Board shall have its own fund which shall be deemed to be a local fund and to which shall be credited all moneys received by or on behalf of board.

(2) The Board's fund shall be kept in the State Bank of India or, with the previous sanction of the State Government, in the U.P. Co-operative Bank or in a scheduled bank:

Provided that nothing in this sub-section shall be deemed to preclude the Board from retaining such balance in cash as may be necessary for current payments or form investing any portion of the fund not required for immediate expenditure in any of the securities described in Section 20 of the Indian Trusts Act, 1882(Act No. II of 1882)

(3) Subject to such conditions and limitations as may be prescribed, the Board may from time to time raise loans or enter into financial arrangements for the purposes of this Act.

(4) Subject to such conditions and limitations as may be prescribed, the Board may grant loans and advances, on such terms and conditions as it may determine, to any other local authority, any co-operative society, or to any other person for the construction of houses.

59. Debentures.-

(1) The Board may, from time to time, with the previous sanction of the State Government, issue debentures for such amounts and on such terms and conditions as may be prescribed.

(2) The State Government may guarantee, in such manner as it thinks fit, the payment of the principal and interest, or of either the principal or the interest, of any debentures issued under sub-section(1):

Provided that the State Government , shall , so long as any such guarantees are in force, lay before both Houses of the State Legislature in every year during the budget session, a statement of the guarantees, if any, given during the current financial year, and an up-to-date account of the total sums, if any, which have been paid out of State revenues by reason of any such guarantees or paid into State revenues towards repayment of any money so paid out.

(3) Debentures issued by the Board under this section shall be issued, transferred, dealt with and redeemed in such manner as may be prescribed.

60. Repayment of loans.-

(1) The Board shall, for the purpose of repayment of any loan raised by it, established a sinking fund in such manner as may be prescribed.

(2) Every such sinking fund shall be maintained, invested and applied in such manner as may be prescribed.

(3) The Board may, and if so directed by the State Government, shall, create a trust in the prescribed manner for investment of a sinking fund and for repayment of the loans for which such fund was established.

61. Grants and loans by Government.-

The State Government may, from time to time, make grants or advance loans to the Board for the purposes of this Act on such terms and conditions as the State Government may determine.

62. Additional stamp duty on transfers of property.-

(1) The duty imposed by the Indian Stamp Act, 1899(Act No. II of 1899), on any deed of transfer of immovable property shall, in the case of immovable property situated within the area in which this Act is in force, be increased by two per cent [1][on the amount or value of the consideration with reference to which the duty is calculated under the said Act]:

Provided that the Board may, with the previous approval of the State Government, enhance the aforementioned per centage of the increase in stamp duty up to five.

(2) All collections resulting from the said increase shall, after deduction of incidental expenses, if any, be allocated and paid by the State Government to the Board alone or to the Board ad the Nagar Mahapalika or the municipal board, as the case may be, in such proportions as may from time to time be determined in such manner and in accordance with such principles as may be prescribed.

(3) For the purposes of this section, Section 27 of the Indian Stamp Act, 1899(Act No. II of 1899), shall be read as if it specifically required the particulars referred to therein to be separately set forth in respect of-

(a) the property situated within the area where this Act is in force, and

(b) the property situated outside such area.

(4) For the purposes of this section, Section 64 of the Indian Stamp Act, 1899 (Act No. II of 1899), Shall be read and construed as if it refereed to the Board as well as to the State Government.

(5) The provisions of clause (g) of sub-section(2) of Section 172 and Section 1991 of the Uttar Pradesh Nagar Mahapalika Adhiniyam, 1959 (U.P. Act No. II of 1959), and of clause (xiii-B) of Section 128 and Section 128-A of the U.P. Municipalities Act, 1916(U.P. Act No. II of 1916) 18 [1][shall not apply in relation to any local area in which this Act is in force], and the provisions of this section shall prevail.

[2][The provisions of Sections 6, 8 and 24 of the U.P. General Clauses Act, 1904, shall apply in relation to such cesser as they apply in relation to repeal and re-enactment.]

63. Accounts and audit.-

[3][(1) (a) The Housing Commissioner shall lay before the Board, at a special meeting to be held before the commencement of a financial year, a budget of the Board for that year.

1. Subs by UP Act no. 10 of 1978
2. Proviso added by UP Act No 29 of 1966
3. Subs…..by UP Act No. 4 7 of 1976

(b) Every such budget shall be prepared in such from as may be prescribed and shall make and shall make provisions for-

(i) the housing and improvement schemes which the Board proposes to execute whether in part of whole during that year;

(ii) the due fulfillment of all the liabilities of the Board; and

(iii) the efficient administration of this Act;

and shall contain a statement showing the estimated receipts and expenditure on capital and revenue accounts for that year, and such other particulars as maybe prescribed.

(c) The Board shall after considering the budget sanction it with or without modifications, and submit the same to the State Government for approval.

(d) The State Government may either approve the budget as sanctioned by the Bard, or return it to the Board for such modifications as the State Government may direct.

(e) Where a budget is so returned the Board shall forthwith make such modifications and submit the budget as so modified to the State Government, which may then approve it.

(f) The Housing Commissioner may, at any time during the financial year for which a budget has been approved by the State Government, lay before the Board a supplementary budget and the foregoing provisions for this sub-section shall mutatis mutandis apply to such supplementary budget.

(2) The Board shall maintain the accounts and prepare the balance sheet in such from and manner as may be prescribed.

(3) The accounts of the Board shall be audited by such auditor in such manner and at such times as may be prescribed, and the auditor so appointed shall have such powers of requiring the production of documents and the furnishing of information respecting such matters, and such powers in respect of disallowance and surcharge against the Adhyaksh, the Housing Commissioner and members, officers and servants of the Bard for any loss, waste or misapplication of the fund or property of the Board through neglect or misapplication of the fund or property of the Board through neglect or misconduct on their part, and shall follow such procedure in respect of surcharge and recovery of the amount surcharged, and in respect of disallowance and surcharge be subject to such appeal and in such manner, as may be prescribed.

(4) The accounts of the Board as certified by the auditor, together with the audit report thereon, shall be forwarded annually to the State Government who may issue such instructions to the Board in respect thereof as it may deem fit, and the Board shall comply with such instructions.

(5) The State Government shall-

(a) cause the accounts of the Board, together with the audit report thereon, received by it under sub-section(4) to be laid annually before each House of the State Legislature, and

(b) cause the accounts of the Board to be published in the prescribed manner and make available copies thereof for sale at a reasonable price .

CHAPTER VI

Tribunal

64. Functions and constitution of Tribunal .-

(1) The State Government may, y notification in e Gazette, constitute one or more Tribunals for the purposes of-

(a) Performing the functions of the Curt with reference to the acquisition of land for the Board under the Land Acquisition Act, 1894 (Act. No. U of 1894), as modified by the Schedule to this Act;

(b) Determining, in case of dispute and on reference in the prescribed manner the compensation payable by the Board under the various provisions of this Act;

(c) Deciding appeals relating to levy or assessment of betterment fee;

(d) Deciding appeals under Sections 36 and 37 [1][***]; and

(e) Deciding such other matters as may be prescribed.

(2) The tribunal shall exercise jurisdiction with respect to such area as may be specified in the notification under sub-section(1).

(3) The Tribunal shall consist of civil judicial officer not below the rank of Judge.

Explanation.- The expression "District Judge" includes an Additional District Judge.

(4) Except as otherwise provided by or under this Act, the Tribunal shall have the same powers as are vested in a civil court under the Code of Civil procedure, 1908 (Act No. VI of 1908), shall follow the same procedure as laid down in that Code, ad shall be deemed to be a civil court within the meaning of Sections 480 and 482 of the Code of Criminal Procedure, 1898 (Act No. V of 1898), and any proceeding before the Tribunal shall be deemed to be a judicial proceeding within the meaning of Section 193 and 228 of the Indian Penal Code (Act No. XLV of 1860).

(5) The judicial officer appointed as Tribunal shall be paid such remuneration as may be prescribed.

1. The words -and chapter VII omitted by UP Act. No. 22 of 1972.

(6) The Tribunal may, with previous sanction of the State Government, appoint such officers ad servants as it considers necessary for the conduct of its business, and the remuneration and other conditions of service of such officers and servants shall be such as may be prescribed.

(7) The remuneration payable to the judicial officer appointed as Tribunal and other officers and servants of the Tribunal shall be paid out of the fund of the Board.

65. Transfer of pending cases to the Tribunal.-

Any case pending before a Tribunal constituted under the Uttar Pradesh Nagar Mahapalika Adhiniyam, 1959 (U.P. Act No. II of 1959), with reference to acquisition of land for a Mahapalika in connection with an improvement scheme under the said Adhiniyam which, under sub-section(1) of Section 44 or sub-section(1) or sub-section(2) of Section 47, is transferred to the Board, shall, upon such transfer, stand transferred to the Tribunal constituted under Section 64 having jurisdiction with respect to that City, and thereupon that Tribunal shall proceed further with the case, from the stage at which it was transferred to it, in accordance with the provisions of this Act and the rules.

66. Finality of decisions of Tribunal.-

(1) An award of the Tribunal in a case relating to the acquisition of land under the Land Acquisition Act, 1894 (Act No. I of 1894), as modified by the Schedule to this Act, shall be deemed to be an award of the Curt under that Act and shall, subject to the provisions of Section 54 of that Act, be final.

(2) Any other decision of the Tribunal under this Act shall be final.

67. Other provisions relating to awards and orders of Tribunal.-

(1) An award or any other order made by the Tribunal for payment of money, for delivery of possession or for removal of any structure shall be deemed to be a decree and the Statement of the grounds of such award or order a judgment with the meaning of clause(2) and clause(9) respectively of Section 2 of the Code of Civil Procedure, 1908 (Act No. V of 1908).

(2) Every such award or order shall also state the amount of cost incurred by either party and by what persons and in what proportion they are to be paid.

(3) No award or order of the Tribunal shall be chargeable with stamp duty, and a person claiming under an award or order shall entitled to one free copy of the same.

(4) An Award or order referred to in sub-section(2) shall be executable by such Court as may be prescribed.

CHAPTER VII

Eviction from and recovery of rent and damages relating to board premises

68. [1]**[* **]**
69. [2]**[* **]**
70. [2]**[* **]**
71. Recovery of rent through deduction for, salary or wages.-

(1) If any Board of premises are let out to a person who is employed by the State Government or a local authority or in a factory or industrial establishment, he may execute an agreement in such form as may be prescribed in favour of the Board providing that the State Government or the local authority or other employer, as may be, by whom he is employed shall be competent to deduct from the salary or wages payable to him such amount as may be specified in the agreement and to pay the amount so deducted to the Board in satisfaction of the rent due to him in respect of such premises.

(2) On the execution of such agreement, the State Government or local authority or other employer, as the case may be, shall, if so required by the Board in writing, make the deduction from the salary or wages of the employee in accordance with the agreement, and pay the amount so deducted to the Board, anything contained in the Payment of Wages Act, 1936 (Act No. IV of 1936) notwithstanding.

(3) The deduction of any amount under sub-section(2) shall operate as a complete discharge of the liability of the employee to the Board in respect of the amount so deducted. Explanation.- The terms " factory" and "industrial establishment" shall have the meanings respectively assigned to them by the payment of wages Act, 1936 (Act No IV of 1936).

[2]**[71A&72.[***]]**

CHAPTER VIII

Offences and Penalties

73. Penalty for building in contravention of schemes.-

If any person erects, re-erects, adds to, or alters any building in contravention of the provisions of clause (a) of sub-section (3) of Section 23, sub-section (3) of Section 24 or Section 35, he shall be punishable with fine which may extend to ten thousand rupees, and, in case of continuing breach, with further fine which may extend to five hundred rupees for each day during which the breach continues after the first conviction.

1. Omitted by Act No. 28 of 1976
2. Omitted by Act No. 22 of 1972

74. Penalty for obstructing contractor or removing mark.- If any person-

(a) obstructs or molests any person with whom the Board has entered into a contract, in the performance or execution by such person of his duty or of anything which he is empowered or required to do by virtue or in consequence of this Act or any rule or regulation; or

(b) removes any mark set up for the purpose of indicating any level or direction necessary to the execution of works authorised by this Act or any rule or regulation,

he shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to six months or with fine which may extend to one thousand rupees or with both.

75. Penalty for acquiring share or interest in contract, etc. with the Board.-

If the Adhyaksh or any member of the Board acquires, directly or indirectly, by himself or by any partner, employer or employer or employee, any share or interest, pecuniary or of any other nature, in any contract or employment with, by or on behalf of the Board, not being a share or interest which does not disqualify for being chosen or continuing a Adhyaksh or member, or

if any officer or servant of the Board acquires, directly or indirectly, by himself or by any partner, employer or employee, any share or interest, whether pecuniary of any other nature, other than a share or interest mentioned in clause (i) or clause (ii) of the proviso to Section 4, in any contract, or, except in so far as concerns his employment as such officer or servant, in any employment with, by or on behalf of the Board, he shall be punishable with simple imprisonment for a term which may extend to one year, or with fine or with both.

76. Penalty in other cases.-

If any person contravenes any provision of this Act or of any rule or regulation he shall, if no other penalty is provided for such contravention, be punishable with fine which may extend to five hundred rupees, and in case of continuing breach, with further fine which may extend to twenty-five rupees for each day during which the breach continues after the first conviction.

77. Offender's liability to pay compensation. –

(1) When any person is convicted or any offence under this Act the Court convicting such person may, on application made in this behalf by the Board, call upon such person forthwith to show cause as to why he should not pay compensation to the Board for the damage caused by his act in respect of which he is convicted.

(2) The Court shall consider any cause shown by such person and, after making such inquiry as it may deem fit, may direct that such compensation, not exceeding one thousand rupees as it may determine, be paid to the Board.

(3) The amount of compensation directed to be paid under sub-section (2) shall be recoverable as fine.

78. Offences by companies.-

(1) If the person committing an offence punishable under this Act is a company, every person who at the time the offence was committed was in charge of, and was responsible to, the company for the conduct of business of the company, as well as the company, shall be deemed to be guilty of the offence and shall be liable to be proceeded against and punished accordingly :

Provided that nothing contained in this sub-section shall render any such person liable to punishment if he proves that the offence was committed without his knowledge or that he exercised all due diligence to prevent the commission of such offence.

(2) Notwithstanding anything contained in sub-section (I), where any such offence has been committed by a company and it is proved that the offence has been committed with the consent or connivance of any managing agent, secretaries and treasurers, director, manager, secretary or other officer of the company, such managing agent, secretaries and treasurers, director, manager, secretary or other officer shall also be deemed to be guilty of that offence and shall be liable to be proceeded against and punished accordingly.

Explanation.- For the purposes of this section-

(a) "company" means a body corporate and includes a firm or other association of individual; and

(b) "director", in relation to a firm, means a partner in the firm.

79. Procedure.-

(1) No court shall take cognizance of any offence punishable under this Act except on the complaint or, or upon information received from, the Board or an officer of the Board duly authorized in this behalf, within six months next after the commission of the offence.

(2) No court inferior to that of a magistrate of the First Class shall try any offence punishable under this Act.

80. Duty of police officers.-

It shall be the duty of every police officer-

(a) to co-operate with the Housing Commissioner for carrying into effect and enforcing the provisions of this Act and the rules;

(b) to communicate without delay to the proper officer or servant of the Board any information which he receives of a design to commit or of the commission of any offence against this Act or any rule; and

(c) to assist the Housing Commissioner or any officer or servant of the Board requiring his aid for the lawful exercise of any power vesting in the Housing Commissioner or any such officer or servant under this Act or any rule.

81. Compounding of offences.- Any offence punishable under this Act may either before or after the institution of the prosecution be compounded by the Housing Commissioner, or by any officer authorized in this behalf by the Housing Commissioner by a general or special order, on such terms as the Housing Commissioner or other officer, as the case may be thinks fit.

CHAPTER IX

Miscellaneous

82. Power to direct removal of unauthorized erections.-

(1) The Housing Commissioner may by notice require the owner of a building referred to in Section 73 to stop further work on such building and to alter or demolish the same in such manner and within such time as may be specified in the notice.

(2) Where the notice under sub-section (1) is not complied with, the Housing Commissioner may cause the building or any portion thereof to be altered or demolished, as the case may be, and he may recover the expense incurred in so doing from the owner in such manner as may be prescribed.

83. Exercise of powers and functions of local authority.-

In an area in respect of which a housing or improvement scheme is in force, the State Government may, by notification in the Gazette, declare that for the period during which the scheme remains in force such powers and functions exercisable by a local authority or its chief executive officer under the enactment constituting such local authority, and subject to such exceptions or modifications as may be specified in the notification, shall be exercised by the Board or the Housing Commissioner, as the case may be.

84. Power of entry.-

(1) The Housing Commissioner or any person authorized by him by general or special order in this behalf may, with or without assistants or workmen, enter into or upon any land, in order-

(a) to make any inspection, survey, measurement, valuation or inquiry;

(b) to take levels;

(c) to dig or bore into the sub-soil;

(d) to set out boundaries and intended lines of work;

(e) to mark such levels, boundaries and lines by placing marks and cutting trenches; or

(f) to do any other thing necessary for the purposes of this Act or any rule or regulation:

Provided that-

(a) no such entry shall be made between sunset and sunrise;

(b) no dwelling house or place shall be so entered, except with the consent of the occupier thereof, without giving the occupier at least twenty-four hour's notice of the intention to make such entry;

(c) reasonable opportunity and facility shall be allowed to the women occupying any part of a house to withdraw; and

(d) due regard shall, so far as feasible, be had to the special and religious us ages of the occupants of the premises entered into.

(2) Whenever the Housing Commissioner or a person authorized under sub-section (I) enters into or upon any land in pursuance of that sub-section, he shall, at the time of such entry, pay or tender payment for the damage, if any, to be caused by any act as aforesaid; and, in case of dispute as to the sufficiency of the amount so said or tendered, he shall at once refer the dispute to the Board, whose decision there on shall be final.

85. General power to pay compensation.-

In any case not otherwise expressly provided for in this Act, the Board may pay reasonable compensation to any person who sustains damage by reason of the exercise of any power vested by or under this Act in the Board or the Housing Commissioner or any officer or servant of the Board.

86. Adhyaksh, etc. to be deemed public servants.-

The Adhyaksh, the Housing Commissioner, and all members, officers and servants of the Board, members of committees constituted under this Act, the Tribunal, the prescribed authority and all other persons entrusted with the execution of any functions under this Act, shall be deemed to be public servants within the meaning of Section 21 of the Indian Penal Code (Act No. XLV)

87. Protection for acts done in good faith.-

No suit, prosecution or other legal proceeding shall lie against the State Government, the Board or any committee thereof, the Adhyaksh, the Housing Commissioner, the Tribunal, the prescribed authority or any officer or servant of the State Government or the Board for anything which is in good faith done or purported or intended to be done in pursuance of this Act or any rule or regulation.

88. Suits and legal proceedings.-

(1) The Housing Commissioner may, on behalf of the Board and subject to its control,-

(a) institute, defend, or withdraw from any legal proceedings; and

(b) admit, compromise or withdraw any claim.

(2) No suit be instituted against the Board, the Adhyaksh, the Housing Commissioner, the Tribunal, the prescribed authority or any member, officer or servant of the Board, in respect of any act done or purported or intended to be done under this Act or any rule or regulation until the expiration of two months next after notice in writing has been delivered to, or lift at the office of, the Board, the Adhyaksh, the Housing Commissioner, the Tribunal, the prescribed authority, or such officer or servant, as the case may be, stating the cause of action, the name and place of abode of the intending plaintiff, and the relief which he claims, and the plaint shall contain a statement that such notice has been so delivered or left.

89. Mode of proof of documents of the Board.-

(1) A copy of an entry in any register, or of any receipt application, plan, notice, order or other document in the possession of the Board, shall, if duly certified by an officer authorized in this behalf, be received as prima facie evidence of the entry or document and be admitted as evidence of the matter or transaction therein recorded in every case where, and to the same extent as, the original entry or document would, if produced, have been admissible to prove such matters.

(2) No member, officer or servant of the Board shall, in any legal proceeding to which the Board in not a party, be required to produce any register or document, the contents of which can be proved under sub-section (1) by a certified copy, or to appear as a witness to prove the matter or transaction recorded therein, unless the court, for reasons to be recorded, considers it necessary to make such an order.

90. Copies from assessment books to be furnished by local authorities to Board. –

The chief executive officer of a local authority shall, at the request of the Housing Commissioner, furnish him with a copy of, or an extract from, any assessment list of the local authority.

91. Mode of recovery of dues and penalties.-

Without prejudice to any other mode of recovery provided by or under this Act or any other law for the time being in force, any sum due on account of penalty, damages, tax or fee, recoverable under this Act, or any sum due to the Board on account of rent or premium or on account of any deduction made under Section 71 or of any loan granted by the Board for construction or improvement of houses or on account of the price of houses sold on hire-purchase, shall be recoverable as arrears of land revenue.

CHAPTER-X

External Control

92. Control of the State Government over the Board and other local authorities.-

(1) The Board shall-

(a) submit to the State Government such reports and returns, in such from and at such intervals as may be prescribed;

(b) furnish to the State Government such documents, returns statements, estimates or other information regarding any matter under the control of the Board as may be directed by the State Government.

(2) The State Government may give the Board such directions as in its opinion are necessary or expedient for carrying out the purposes of this Act, and it shall thereupon be the duty of the Board to comply with such directions.

(3) Without prejudice to other provisions of this Act, and notwithstanding anything contained in any other law for the time force, the State Government may give any local authority such directions as in its opinion are necessary for enabling the Board to

carry out the purposes of this Act; and thereupon it shall be the duty of the local authority to comply with such directions.

93. Dissolution of the Board.-

(1) If the State Government is of opinion that the Board has failed to carry out its functions under this Act or that for any other reason, it is not necessary to continue the Board, it may, by notification in the Gazette, dissolve the Board from such date as may be specified in the notification.

(2) Upon the publication of a notification under sub-section (1) dissolving the Board-

(a) the Adhyaksh, the Housing Commissioner and all members of the Board shall, as from the date of dissolution, vacate their offices;

(b) all the powers and functions which may, by or under this Act, be exercised and performed by or on behalf of the Board or the Housing Commissioner shall, as from the date of dissolution, be exercised and performed by, and all subsisting contracts, agreements and other instruments to which the Board or the Housing Commissioner is a party or which are in favour of the Board or the Housing Commissioner may be enforced or acted upon, and all suits, appeals and other legal proceedings pending by or against the Board or the Housing Commissioner may be continued, prosecuted or enforced by or against the State Government or such authority or person as it may appoint in this behalf;

(c) the fund of and other properties vested in the Board shall vest in the State Government; and

(d) all liabilities, legally subsisting and enforceable against the Board, shall be enforceable against the State Government to the extent of the fund and properties of the Board vested in it.

(3) Nothing in this section shall affect the liability of the State Government in respect of debentures guaranteed by it under sub-section (2) of Section 59.

(4) Notwithstanding anything contained in the foregoing provisions of this section, the State Government may at any time again establish a Board under Section 3 and appoint a Housing Commissioner under Section 7, and thereupon-

(a) the powers and functions as well as the rights and liabilities in relation to contracts, agreements and other instruments, and suits, appeals and other legal proceedings referred to in clause(b) of sub-section(2) shall re-vest in the Board or the Housing Commissioner, as the case may be;

(b) the fund other properties referred to in clause(c) of sub-section(2) remaining with the State Government after meeting and liabilities referred to in clause(d) thereof shall re-vest in the Board.

CHAPTER XI

Rules and Regulations

94. Powers to make rules.-

(1) The State Government may, by notification in the Gazette, make rules for carrying out the purposes of this Act.

(2) In particular and without prejudice to the generality of the foregoing power, such rules may provide for-

(a) the remuneration payable to the Adhyaksh and the allowances, if any, payable to the members of the Board and the Avas Samits;

(b) the conditions of service of the Housing Commissioner;

(c) the manner of maintenance of accounts of income and expenditure of the Units, including the apportionment of common income and expenditure between the various Units;

(d) the composition of the Avas Samits and the terms and conditions on which their members shall hold office;

(e) the matters on which the Board shall consult an Avas Samiti;

(f) the exercise of supervision and control by the Housing Commissioner over officers and servants of the Board;

(g) the delegation of powers by the Board under sub-se4ction(1) or by the Housing Commissioner under sub-section(2) of Section 12;

(h) the matters to be provided for in a housing or improvement scheme;

(i) the determination and payment of compensation by the Board under clause (b) of sub-section(3) of Section 23, sub-section(4) of Section 24 and sub-section(2) of Section 43 and the procedure for reference to the Tribunal in case of dispute about it;

(j) the form and manner in which, and be persons or classes of persons on whom, notice shall be served under Section 29 or under proviso(b) sub-section(1) of Section 33;

(k) the factors that shall be taken into consideration under sub-section(2), the time within which declaration may be field under sub-section(4), plans, estimates and other particulars may be furnished under sub-section (7), and the manner in which the communication shall be made under sub-section(6) of Section 37;

(l) the limitation for appeals under sub section (2) of Section 35, sub-section(7) of Section 36,sub section(3) and (9) of Section 37 and sub-section(4) of Section 51;

(m) the rate of interest, and the installments in which the expenses of improvement shall be recovered, under sub-section(2) of section 36;

(n) the manner in which and the extent to which alternative accommodation shall be offered under sub section(6) of section 36;

(o) the procedure to be followed by the Tribunal and the prescribed authority in proceedings before them.

(p) the manner of assessment of betterment fee under sub section(2) of section 51;

(q) the rebate that may be allowed under the proviso to sub-section(1), and the rate of interest payable under sub section(2) of section 52;

(r) the period of grace for payment of an installment under sub section(3) of section 53;

(s) the conditions and limitations subject to which the Board may acquire and dispose of land by agreement;

(t) the extent to which and the manner in which preference may be given, while disposing of land by agreement, to the persons whose land was acquired for a scheme under this Act;

(u) the authority and the manner of execution of contracts and assurances on behalf of the Board;

(v) the conditions and limitations subject to which the Board may raise loans or enter into financial arrangements;

(w) the terms and conditions of debentures shall be issued, transferred, dealt with and redeemed;

(x) the conditions and limitation subject to which the Board may grant loans and advances;

(y) the establishment, maintenance, investment and application of a sinking fund, and the creation of trust under sub section(3) of section 60;

(z) the manner in which and the principles according to which the net realisations of additional stamp duty shall be allocated and paid by the State Government to the Board and the Nagar Mahapalika or the municipal board under sub section (2) of section 62;

(aa) the manner of submission of statements and supplementary statements of programme of the activities of the Board and financial estimates in respect thereof, and the dates by which they shall be submitted to the State Government for its approval;

(bb) the from and manner in which the balance-sheet and the accounts of Board shall be prepared or maintained;

(cc) the qualifications or the specification of auditors, the manner and intervals of audit, the powers of the auditors relating to requisition of documents and information, the matter respecting which the production of documents and the furnishing of information may be required by them, the powers of the auditors in respect of disallowance and surcharge, the manner in which proceedings for surcharge and recovery of the amount surcharged shall be undertaken, and the forum and the manner of appeal against such disallowance and surcharge;

(dd) the manner of publication of the accounts of the Board;

(ee) the matters which a Tribunal may decide under clause(e) of sub-section(1) of section 64;

(ff) the remuneration to be paid to the presiding officer, and the conditions of service of other officers and servants, of the Tribunal;

(gg) the court which shall execute an award or order of a Tribunal under sub section (4) of section 67;

(hh) the costs payable in proceedings under sub section (6) of section 69;

(ii) the matter in respect of which the prescribed authority shall under sub section (7) of section 69, have the powers of a civil court;

(jj) the form of agreement under section 71;

(kk) the manner in which expenses of alteration or demolition may be recovered by the Housing Commissioner under sub section(2) of section 82;

(ll) the forms in which and the intervals at which returns and reports shall be submitted by the Board to the State Government;

(mm) the forms of notices under this Act and the manner of their service;

(nn) any matter for which regulation may be made by the Board under Section 95;

(oo) any other matter for which rules are to be or may be made under this Act.

(3) All rules made under this Act shall, as soon as may be after they are made, be laid before each House of the State Legislature, while it is in session, for a total period of not less than fourteen days extending in its one session or more than one successive sessions and shall, unless some later date is appointed, take effect from the date of their publication in the Gazette, subject to such modifications or annulments as the two houses of the Legislature may agree to make, so however, that any such modification or annulment shall be without prejudice to the validity of anything previously done there under.

95. Power to make regulations-

(1) The Board may, by notification in the Gazette, make regulations providing for-

(a) the time and place of, and the manner of convening, the meetings Of the Board and its committees and Avas Samitis and their postponement and adjournment;

(b) the procedure and the conduct of business at meetings of the Board and of its committees and Avas Samitis;

(c) the appointment, constitution and procedure of committees;

(d) the delegation of powers by the Housing Commissioner and officers of the Board;

(e) the duties of officers and servant of the Board;

(f) the conditions of service of officers and servant of the Board;

(g) the preparation of plans and estimates for works;

(h) the preparation of budgets and estimates;

(i) the authority on which moneys may be paid from the Board's fund;
(j) the manner of publication of public notices;
(k) the stamping of facsimile of signatures of the Housing Commissioner and officers of the Board on notices, bills and other documents;
(l) the fees payable for copies of documents, estimates and plans issued by the Board;
(m) the management, use and allotment of buildings constructed under any housing or improvement scheme;
(n) any other matter which is to be or may be provided for by regulations under this Act or the rules.

(2) If any regulation is repugnant to any rule then the rule whether made before or after the regulation shall prevail and the regulation shall to the extent of the repugnancy be void.

CHAPTER XII

Repeal and Transitional provisions

96. Repeal, Amendments and savings-

(1) On and from the day on which this Act comes into force in an area, the U.P. Town Improvement Act,1919 (U.P. Act No. VIII of 1919), the U.P. Town Improvement(Appeals) Act,1920 and the U.P. Town Improvement(Adaptation) Act,1948(U.P. Act No. XLVII of 1948) shall stand repealed in their application to that area and all references in any other law in force to an improvement trust constituted under the U.P. Town Improvement Act,1919(U.P. Act No. VIII of 1919), and to the Chairman of such trust shall in relation to that area be construed as references respectively to the Board and the Housing Commissioner.

(2) The operation of the Uttar Pradesh Slum Areas(Improvement and Clearance) Act,1962(U.P. Act No. XVIII of 1962), shall in respect of any area in which a Malin Basti Sudhar Aur Nipatan Yojana is in force, remain suspended for the period during which such scheme remains in force, and the provisions of Section 6 of U.P. General Clauses Act, 1904(U.P. Act No. I of 1904), shall apply in relation to such suspension as if the suspension amounted to repeal of the said enactment by this Act.

(3) The operation of the Uttar Pradesh (Regulation of Building Operations) Act,1958(U.P. Act No. XXXIV of 1958), 23[Chapter XIII of the Uttar Pradesh Nagar Mahapalika Adhiniyam,1959,Sections 178 to 186 of the U.P. Municipalities Act,1916(or the said sections as extended under Section 338 thereof or under Section 38 of the U.P. Town Areas Act,1914) or, as the case may be, of Sections 162 to 171 of the U.P. Kshettra Samitis and Zila Parishads Adhiniyam,1961] shall in respect of any area in which a Bhavi Sarak Yojana a prasar yojana or a Malin Basti Sudhar Aur Nipatan yojana is in force, remain suspended for the period during which any such

scheme remains in force, and the provisions of Section 6 of the U.P. General Clauses Act, 1904(U.P. Act No. 1 of 1904) shall apply in relation to such suspension as if the suspension amounted to repeal of the said enactments by this Act.

[1][(4) [****]]

97. Dissolution of Improvement Trust and its consequences-

(1) On and from the day on which this Act comes into force in an area, any Improvement Trust constituted for that area or part there of shall stand dissolved and all-its assets and liabilities shall stand transferred to and vested in the Board.

(2) The betterment Tax in respect of any land which the Improvement Trust was immediately before the appointed day entitled to levy, assess or recover may be levied, assessed or recovered by the Board as if it were a betterment fee leviable under this Act.

(3) Every scheme and all proceedings relating thereto under the U.P. Town Improvement Act,1919(U.P. Act VIII of 1919),including proceedings for the levy, assessment or recovery of betterment tax, pending on the appointed day shall stand transferred to the Board, which shall proceed further with the scheme or with the execution thereof or with the levy, assessment or recovery of betterment fee in connection therewith, from the stage at which it was transferred to it, in accordance with the corresponding provisions of this Act:

Provided that the Board may, if it thinks fit, recall any step or proceeding already gone through under the said Act and take that step or proceeding afresh under the corresponding provision of this Act.

Explanation- The expression "corresponding provision of this Act" means in case of doubt, such provision as may be specified by the State Government, by general or special order, to be the corresponding provision for that purpose.

(4) Unless otherwise expressly provided by or under this Act, all contracts, agreements and other instruments of whatever nature subsisting or having effect immediately before the appointed day and "to which an Improvement Trust is a party or which are in favour of such Trust shall have force and effect against or in favour of the Board, as the case may be, and may be enforced or acted upon as if, instead of the Improvement Trust, the Board had been a party thereto or as if they had been entered into or made in favour of the Board.

1. Omitted by UP Act No. 22 of 1972.

(5) If on the appointed day any suit, appeal or other legal proceeding of whatever nature by or against any Improvement Trust is pending the same may be continued, prosecuted or enforced by or against the Board.

Explanation- For the purposes of this sub-section, "legal proceeding" includes any proceeding under the Land Acquisition Act, 1894 (Act N0. 1 of 1894).

(6) Every whole-time employee of an Improvement Trust shall, on and from the appointed day, become an employee of the Board, and shall hold his office by the same tenure, at the same remuneration and upon the same terms and conditions and with the same right and privileges as to gratuity, if any, and other matters as he would have the same on the appointed day if this Act had not come into force, and shall continue to do so until his remuneration terms and conditions are duly altered by the Board.

(7) If any dispute arises as to whether any person was a whole-time employee of an Improvement Trust or as to his remuneration and terms and conditions of service immediately before the appointed day, it shall be referred to the State Government whose decision thereon shall be final.

(8) Notwithstanding anything contained in any law for the time being in force, the transfer of the service of any employee of an Improvement Trust to the Board shall not entitle any such employee to any compensation, and no such claim shall be entertained by any court, tribunal or other authority.

(9) Where an Improvement Trust has established a provident fund or superannuation to fund or any other fund for the benefit of its employees, the moneys standing to the credit of any such fund on the appointed day, together with any other assets belonging to such fund shall stand transferred to and vested in the Board.

98. Power to remove difficulties.-

(1) If any difficulty arises in giving effect to the provisions of this Act, or by reason of anything contained in this of any other enactment for the time being in force, the State Government may, as occasion requires, by order direct that this Act shall, during such period as may be specified in the order have effect subject to such adaptations, whether by way of modification, addition or omission, as it may deem to be necessary or expedient.

(2) Any order made under sub-section (1) may be made so as to be retrospective to any date not earlier than the appointed day.

(3) No order shall be made under sub-section (1) in relation to nay area after the expiry of three years from the appointed day.

(4) An order made under sub-section (1) shall be laid, as soon as may be, before both the Houses of State Legislature.

SCHEDULE

(See Section 55)

Modification in the land Acquisition Act, 1894(Act No. 1 of 1894), as amended in its application to Uttar Pradesh (here in after called "the said

1. Amendment of Section 3 of the said Act-

After clause(h) of section 3 of the said, Act, the following new clauses shall be deemed to be added, namely-

(i) 'local authority' includes the Board;

(j) 'Board' means the Utter Pradesh Avas Evam Vikas Parishad established under the Utter Pradesh Avas Evam Vikas Parishad Adhiniyam,1965."

2.Effect of notices under this Act-

(1) The first publication, in the Official Gazette, of a notice of any housing or improvement scheme under Section 28 or under clause(a) of sub section(3) of section 31 of the Act shall be substituted for and have, in relation to any land proposed to be acquired under the scheme, the same effect as publication in the Official Gazette, and in the locality, of a notification under sub section(1) of section 4of the said Act, except where a notification under section 4 or a declaration under section 6 of the made and is still in force.

(2) notification under In a case to which sub-paragraph(1) or sub-paragraph(2) said Act has previously been made and is still in force, and the provisions of section 5-A of the said Act shall be inapplicable in the case of such land.

(3) The issue of a notice clause(c) of sub section (3) of section 23 of this Act in the case of land acquired under a Bhavi Sarak Yojana and the publication of a notification under sub section(1) or, as the case may be, under sub section (4) of section 32 of this Act in the case of land acquired under any other housing or improvement scheme under this Act shall be substituted for and have the same effect as a declaration by the State Government under section 6 of the said Act, unless a declaration under the last mentioned section has previously been applies, a sub section(2) of section 33 or under sub section(3) of section 49of this Act involving alteration of the extent of the land proposed to be acquired shall have the effect of correspondingly modifying the notification under sub section(1) of Section 4 and the declaration under Section 6 of the said Act, so, however, that any such modification shall be without prejudice to the validity of anything previously done the original notification or declaration.

3. Amendment of Section 17 of the said act.- In Section 17 of the said act-

(i) for the existing sub sections(1) and (1-A), the following sub section shall be deemed to be substituted, namely-

"(1) Whenever the State Government so directs in the interest of the expeditious execution of a housing or improvement scheme under the Uttar Pradesh Avas evam vikas Parishad Adhiniyam,1965 the

Collector, though no such award has been made, may on the expiration of fifteen days from the publication of the notice mentioned in sub-section(1) of Section 9 take possession of any land needed for the purposes of the said Adhiniyam. Such land shall thereupon vest absolutely in the Government free from all encumbrances"

(ii) sub section (4) shall be deemed to be omitted.

4. Addition of new Section 17-A in the said Act-

After Section 17 of the said Act, the following shall be deemed to be added as a new section, namely-

—17-A *Transfer of land to Board-* In every case referred to in Section 16 or Section 17, the Collector shall upon payment of the cost of acquisition make over charge of the land to the Housing Commissioner, or an officer authorized in this behalf under the Uttar Pradesh Avas Evam Vikas Parishad Adhiniyam, 1965, and the land shall thereupon vest in the Board subject to the liability of the Board to pay any further costs which may be incurred on account of its acquisition.‖

5. Amendment of Section 23 of the said Act.- In Section 23 of the said Act-

(i) for the existing explanation to the clause —firstly‖ , the following shall be deemed to be *substituted:*

—Explanation- In judging the market value aforesaid in any case where a land is acquired under a housing or improvement scheme under the Uttar Pradesh Avas Evam Vikas Parishad Adhiniyam, 1965 if any building has been erected, re-erected, added to or altered in contravention of the provisions of clause (a) of sub-section (3) of Section 23, sub-section (3) of Section 24 of Section 35 of the said Adhiniyam, any increase in the market value resulting from such erection re-erection, or alteration shall be disregarded.‖

(ii) After the existing sub-section (1) the following shall be added as sub-section (2), namely-

—(2) In addition to the market value of the land as above provided, the court shall in every case award a sum of fifteen per centum of such market value in consideration of the compulsory nature of the acquisition.‖

6. Amendment of Section 49 of the said Act.- After sub-section (1) of Section 49 of the said Act, the following new sub-section shall be deemed to be added namely-

-(1-a) For the purposes of sub-section (1), land which is held with and attached to a house and is reasonably required for the enjoyment and use of the house shall be deemed to be part of the house.‖

THE UTTAR PRADESH AVAS EVAM VIKAS PARISHAD ADHINIYAM, 1965

Diglot

उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद् अधिनियम, 1965

उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद् अधिनियम, 1965

धारा *पृष्ठ*

अध्याय 1
प्रारम्भिक

1. संक्षिप्त शीर्षनाम, प्रसार और प्रारम्भ 1
2. परिभाषायें 1

अध्याय 2
परिषद् की स्थापना और उसका कार्य-संचालन

3. परिषद् का संघठन 3
4. उपाध्यक्ष आदि होने के लिये अनर्हताएं 4
5. उपाध्यक्ष का कार्यकाल 5
6. उपाध्यक्ष पद के सम्बन्ध में व्यवस्था 5
7. आवास आयुक्त के सम्बन्ध में व्यवस्था 5
8. अधिकारियों तथा सेवकों की नियुक्ति 5
9. इकाईयाँ 6
10. आवास समितियाँ 6
11. आवास आयुक्त द्वारा पर्यवेक्षण तथा नियंत्रणं 6
12. अधिकारों का प्रतिनिधान 6
13. स्वत्व होने के कारण कार्यवाहियों में भाग लेने से अनर्हता 7
14. अनौपचारिकता, रिक्ति आदि के कारण किये गये कार्य अवैध नही होंगे 7

अध्याय 3
परिषद् के कृत्य और अधिकार

15. परिषद् के कृत्य 7
16. परिषद् द्वारा आवास या सुधार योजना कब बनायी जायेगी 9
17. विषय जिनकी व्यवस्था आवास या सुधार योजनाओं में की जायेगी 9
18. आवास और सुधार योजनाओं के प्रकार 10
19. गृह स्थान योजना 11

धारा पृष्ठ

20. मलिन बस्ती सुधार और निपातन योजना 11
21. पुनर्वास योजना 12
22. सड़क योजना 12
23. भावी सड़क योजना 13
24. प्रसार योजना 14
25. भूमि विकास योजना 14
26. बाजार योजना 15
27. बाढ़ योजना 15
28. आवास एवं सुधार योजनाओं के लिए नोटिस 15
29. प्रस्तावित अर्जन या आसुधार शुल्क लगाये जाने का नोटिस 16
30. आपत्तियाँ 16
31. योजना का परित्याग, परिष्कार अथवा स्वीकृति 16
32. योजना का प्रारम्भ 17
33. योजना प्रारम्भ होने के पश्चात् उसमें परिवर्तन 17
34. योजना का निष्पादन 18
35. योजना के लिए प्रस्तावित या उसमें समाविष्ट क्षेत्र में भवन निर्माण करने पर निर्बन्धन 18
36. मलिन बस्ती सुधार और निपातन योजना के संबंध में विशेष अधिकार 19
37. मलिन बस्ती सुधार और निपातन योजना में समाविष्ट क्षेत्र में किरायेदारों के संबंध में उपबन्ध 21
38. स्थानीय प्राधिकारी में निहित भवन या भूमि का परिषद् को संक्रमण 23
39. योजना के प्रयोजन के लिये निजी सड़क या हाता का परिषद् को संक्रमण 23
40. परिषद् में निहित सड़कों की मरम्मत 24
41. सड़कों और खुले स्थानों का स्थानीय प्राधिकारी को संक्रमण 24
42. सड़क पर निर्माण-कार्य की अवधि में प्रबन्ध 25
43. सार्वजनिक सड़क या हाता बन्द करने का अधिकार 25
44. अन्य स्थानीय प्राधिकारियों के अधिकारों पर इस अधिनियम के अधीन योजनाओं का प्रभाव 26

धारा पृष्ठ

45. योजना या प्रबन्ध आदि के प्रयोजनार्थ राज्य सरकार द्वारा परिषद् को भूमि आदि का संक्रमण 26
46. दूसरों की प्रेरणा पर अन्य परियोजनाओं को हाथ में लेने का परिषद् का अधिकार 27
47. परिषद् द्वारा अन्य योजनाओं का निष्पादन 27
48. पर्यवेक्षण और प्रतिशत व्यय 28
49. परिषद् के अभिलेखों को मंगाने और किसी योजना का परिष्कार या रद्द करने का राज्य सरकार का अधिकार 28

अध्याय 4
आसुधार शुल्क

50. आसुधार शुल्क के संबंध में घोषणा 28
51. आसुधार शुल्क का निर्धारण 29
52. मांग का नोटिस 29
53. भूमि पर प्रभार के रूप में आसुधार शुल्क 30
54. मालगुजारी की बकाया के रूप में आसुधार शुल्क आदि का वसूल किया जाना 30

अध्याय 5
संपत्ति संविदा और वित्त

55. भूमि अर्जित करने का अधिकार 30
56. अनुबन्ध द्वारा भूमि अर्जित और निस्तारित करने का अधिकार 30
57. संविदा आदि का निष्पादन और रजिस्ट्री 31
58. वित्तीय उपबन्ध 31
59. ऋण–पत्र 31
60. ऋण का प्रतिदान 32
61. सरकार द्वारा अनुदान और ऋण 32
62. संपत्ति के संक्रमण पर अतिरिक्त स्टाम्प शुल्क 32
63. लेखे और लेखा–परीक्षा 33

अध्याय 6
न्यायाधिकरण

64. न्यायाधिकरण के कृत्य और उसका संघटन 34
65. विचाराधीन वादों का न्यायाधिकरण को संक्रमण 35
66. न्यायाधिकरण के निर्णयों का अन्तिम होना 35
67. न्यायाधिकरण के अभिनिर्णयों और आदेशों से सम्बद्ध अन्य उपबन्ध 35

धारा पृष्ठ

अध्याय 7

परिषद् के भू-गृहादि से बेदखली और किराये तथा क्षति मूल्य की वसूली

68. यू०पी० कंट्रोल ऑफ रेन्ट एन्ड इक्वीजीशन ऐक्ट 1947 (संख्या 3, 1947) का अपवर्जन 36
69. बेदखली और किराये, आदि की वसूली के लिये संक्षिप्त प्रक्रिया 36
70. अपील 38
71. वेतन या मजदूरियों से कटौतियां करके किराये की वसूली 38
71–क. निरस्त 39
72. न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र पर रोक 39

अध्याय 8

अपराध और शास्तियाँ

73. योजनाओं का उल्लंघन करके भवन निर्माण करने के लिये शास्ति 39
74. ठेकेदार के कार्य में रुकावट डालने या चिन्ह हटाने के लिये शास्ति 39
75. परिषद् के साथ ठेके आदि में अंश या स्वत्व अर्जित करने के लिये शास्ति 40
76. अन्य मामलों में शास्ति 40
77. अपराधी का प्रतिकर भुगतान करने का दायित्व 40
78. कम्पनियों द्वारा अपराध 40
79. प्रक्रिया 41
80. पुलिस अधिकारियों के कर्तव्य 41
81. अपराधों का अभिसंधान करना 41

अध्याय 9

विविध

82. अनाधिकृत निर्माणों को हटाने के लिये निदेश देने का अधिकार 41
83. स्थानीय प्राधिकारी के अधिकारों का प्रयोग तथा कृत्यों का सम्पादन 42
84. प्रवेश करने का अधिकार 42
85. प्रतिकर का भुगतान करने के लिये सामान्य अधिकार 43
86. अध्यक्ष, आदि लोक-सेवक समझे जायेंगे 43
87. सद्भावना से किये गये कार्य का संरक्षण 43

धारा *पृष्ठ*

88. वाद और विधिक कार्यवाहियाँ 43
89. परिषद् के लेख्यों को सिद्ध करने की रीति 43
90. स्थानीय प्राधिकारियों द्वारा परिषद् को कर निर्धारण पुस्तिकाओं से प्रतिलिपियाँ दी जायेंगी 44
91. देयों और शास्तियों की वसूली की रीति 44

अध्याय 10

वाह्य नियंत्रण

92. परिषद् तथा अन्य स्थानीय प्राधिकारियों पर राज्य सरकार का नियंत्रण 44
93. परिषद् का विघटन 44

अध्याय 11

नियम और विनियम

94. नियम बनाने का अधिकार 45
95. विनियम बनाने का अधिकार 48

अध्याय 12

निरसन तथा संक्रमणकालीन उपबन्ध

96. निरसन, संशोधन और अपवाद 49
97. इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट का विघटन और उसके परिणाम 50
98. कठिनाइयां दूर करने का अधिकार 52
अनुसूची 52

नियम *पृष्ठ*

- उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद् (अध्यक्ष को देय पारिश्रमिक तथा परिषद् के सदस्यों को देय भत्ता) नियमावली, 1967 55
- उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद् (ऋण और अग्रिम धन देना) नियमावली, 1968 59
- उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद् (आवास समितियों का संघटन) नियमावली, 1967 60
- उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद् (परिषद् तथा आवास आयुक्त द्वारा अधिकारों का प्रतिनिधान) नियमावली, 1968 62
- उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद् (नोटिस के प्रपत्र और उसे तामील करने की रीति) नियमावली, 1967 64

नियम *पृष्ठ*

- उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद् (मलिन बस्ती सुधार और निपातन योजना में समाविष्ट क्षेत्र में किरायेदारों के संबंध में उपबन्ध) नियमावली, 1968 66
- उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद् (भूमि का अर्जन और निस्तारण) नियमावली, 1969 69
- उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद् (न्यायाधिकरण के पीठासीन अधिकारियों को पारिश्रमिक तथा न्यायाधिकरण के अभिनिर्णयों और आदेशों का निष्पादन) नियमावली, 1967 73
- उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद् (वेतन या मजदूरियों से कटौती करके किराये की वसूली के लिये अनुबन्ध) नियमावली, 1967 74
- उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद् (बेदखली और किराये की वसूली के लिये कार्यवाहियों में देय व्यय निश्चित करना) नियमावली, 1967 75
- उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद् (भवन में परिवर्तन करने या उसे गिराने के व्यय की वसूली) नियमावली, 1966 76
- उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद् (मलिन बस्ती सुधार और निपातन योजना के क्षेत्र में भवनों के अध्यासियों को अस्थायी वैकल्पिक गृह स्थान देना) नियमावली, 1968 77
- उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद् (सुधार के व्ययों की वसूली के लिए ब्याज की दर, और किस्तें अवधारित करना नियमावली, 1968 78
- उत्तर प्रदेश नगर-योजना और विकास (भू-उपयोग परिवर्तन शुल्क का निर्धारण, उदग्रहण एवं संग्रहण) नियमावली, 2014 80
- The Uttar Pradesh Real Estate (Regulation and Development) Rules, 2016 (in English) 87
- शासनादेश 138
- अधिसूचना 151

उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद् अधिनियम, 1965

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1, 1966)

(उ०प्र० अधिनियम संख्या 7 सन् 2010 द्वारा संशोधित)

(उत्तर प्रदेश विधान सभा ने दिनांक 17 अगस्त, 1965 ई० तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने दिनांक 6 सितम्बर, 1965 ई० की बैठक में स्वीकृत किया।)

('भारत का संविधान' के अनुच्छेद 201 के अर्न्तगत राष्ट्रपति ने दिनांक 28 जनवरी, 1966 ई० को अनुमति प्रदान की तथा उत्तर प्रदेशीय सरकारी असाधारण गजट में दिनांक 16 फरवरी, 1966 ई० को प्रकाशित हुआ।)

उत्तर प्रदेश में आवास एवं विकास परिषद् की स्थापना, निगमन और कार्य करने की व्यवस्था करने के लिये अधिनियम

भारतीय गणतंत्र के सोलहवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है—

अध्याय 1

प्रारम्भिक

1. संक्षिप्त शीर्षनाम, प्रसार और प्रारम्भ.—(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद् अधिनियम, 1965 कहलायेगा।

(2) इसका प्रसार कैन्टून्मेन्ट क्षेत्रों को छोड़कर समस्त उत्तर प्रदेश में होगा।

(3) यह ऐसे क्षेत्र में और ऐसे दिनांक से प्रचलित होगा जिसे राज्य सरकार गजट में विज्ञप्ति प्रकाशित करके निश्चित करे; और उत्तर प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों के लिये भिन्न-भिन्न दिनांक निश्चित् किये जा सकते हैं।

2. परिभाषायें.—जब तक कि प्रसंग से अन्यथा अपेक्षित न हो, इस अधिनियम में—

(क) "अध्यक्ष" का तात्पर्य परिषद् के अध्यक्ष से है;

(ख) किसी क्षेत्र के सम्बन्ध में "निश्चित दिनांक" का तात्पर्य उस दिनांक से है, जब से यह अधिनियम उस क्षेत्र में प्रचलित किया जाये;

(ग) "आसुधार शुल्क" का तात्पर्य अध्याय 4 के अधीन लगाये जाने वाले शुल्क से है;

(घ) "परिषद्" का तात्पर्य उपरोक्त अधिनियम के अधीन स्थापित उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद् से है;

(ङ) "परिषद् के भू-गृहादि" का तात्पर्य किसी ऐसे भू-गृहादि से है जो परिषद् का हो, या इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिये उसमें निहित हो अथवा परिषद् द्वारा पट्टे पर लिया गया हो या परिषद् को सौंपा गया हो, या उसके कब्जे अथवा नियंत्रण में हो;

(च) "भवन" का तात्पर्य गृह, वाह्य गृह, अस्तबल, सायबान, झोपड़ी (जो किसी नगर, म्यूनिसिपैलिटी, टाउन एरिया या नोटीफाइड एरिया की सीमाओं के बाहर किसी

क्षेत्र में मिट्टी से बनी और किसी खेत से संलग्न अथवा उसमें स्थित झोपड़ी न हो) या अन्य बाड़े अथवा संरचना से है चाहे वह पत्थर, ईट, लकड़ी, मिट्टी, धातु या किसी अन्य पदार्थ का बना हो और चाहे वह मानव निवास के लिए अथवा अन्यथा प्रयुक्त होता हो, और इसके अन्तर्गत कोई बरामदा, चबूतरा, कुर्सी, जीना, दरवाजे की सीढ़ी अथवा दीवाल भी है, जिसमें गृह से असम्बद्ध बगीचे की या कृषि भूमि की सीमा भित्ति से भिन्न अहाते की दीवाल सम्मिलित है, किन्तु इसके अर्न्तगत तम्बू या ऐसा अन्य वहनीय अस्थायी आश्रय नही है;

(छ) "नगर" का तात्पर्य [1][उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959] (उ०प्र० अधिनियम संख्या 2, 1959) की धारा 3 के अधीन नगर के रूप में संघटित किसी स्थानीय क्षेत्र से है;

(ज) "भूमि" के अन्तर्गत भूमि से होने वाले लाभ और भूमि से सम्बद्ध, या भूमि से सम्बद्ध किसी चीज से स्थायी रूप से बद्ध, वस्तुएं भी हैं;

(झ) "महायोजना" का तात्पर्य तत्समय प्रचलित किसी विधि के अधीन तैयार की गयी महायोजना से है;

(ञ) "नगर पालिका" का तात्पर्य उ०प्र० नगर पालिका अधिनियम ऐक्ट, 1916 (उ०प्र० अधिनियम संख्या 2, 1916) की धारा क 2 के खण्ड (9) में यथा परिभाषित [नगर पालिका] से है;

(ट) [2][नगर निगम] का तात्पर्य [2][उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959] (उ०प्र० अधिनियम संख्या 2, 1959) की धारा 4 के अधीन स्थापित [नगर निगम] से है;

(ठ) [3][नोटीफाइड एरिया] का तात्पर्य उ०प्र० नगर पालिका अधिनियम, 1916 (उ०प्र० अधिनियम सं० 2, 1916) की धारा 337 की उपधारा (2) में यथा परिभाषित [नोटीफाइड एरिया] से है;

(ड़) "भू-गृहादि" का तात्पर्य किसी भवन या भवन के किसी भाग से और इसके अन्तर्गत—

(1) ऐसे भवन या उसके भाग से संलग्न कोई बगीचा, मैदान, भूमि और वाह्य-गृह भी है; तथा

(2) ऐसे भवन या उसके भाग में उसके और अधिक लाभकारी उपयोग के लिये लगायी गयी फिटिंग भी है;

(ढ) "नियत" का तात्पर्य नियमों द्वारा नियत से है;

(ण) "नियत प्राधिकारी" का तात्पर्य ऐसे प्राधिकारी से है जिसे राज्य सरकार, गजट में विज्ञप्ति द्वारा, इस अधिनियम के अधीन नियत प्राधिकारी के सभी या किसी कृत्य का सम्पादन करने के लिये नियुक्त करे;

(त) "विनियमों" का तात्पर्य इस अधिनियम के अधीन बनाये गये विनियमों से है;

(थ) "नियमों" का तात्पर्य इस अधिनियम के अधीन बनाये गये नियमों से है;

(द) "राज्य सरकार" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश सरकार से है;

---

1. उ०प्र० अधिनियम संख्या 12 सन् 1994 द्वारा प्रतिस्थापित (30 मई, 1994 से प्रभावी)।
2. उ०प्र० अधिनियम संख्या 12 सन् 1994 द्वारा प्रतिस्थापित (30 मई, 1994 से प्रभावी)।
3. उ०प्र० अधिनियम संख्या 12 सन् 1994 द्वारा अब नगर पंचायत है।

(ध) [1]["टाउन एरिया"] का तात्पर्य किसी ऐसे स्थानीय क्षेत्र से जिसे [2][यू०पी० टाउन एरिया ऐक्ट, 1914] (यू०पी० ऐक्ट, संख्या 2, 1914) की धारा 3 के अधीन टाउन एरिया घोषित या परिभाषित किया गया हो;

(न) "न्यायाधिकरण" का तात्पर्य धारा 64 के अधीन संघटित न्यायाधिकरण से है;

(प) "इकाई" का तात्पर्य धारा 9 के अधीन स्थापित आवास इकाई से है; और

(फ) "खण्ड (च), (छ) तथा (ञ) के अतिरिक्त किसी "नगर" या नगर पालिका का उल्लेख उस नगर या नगर पालिका की सीमाओं के बाहर पांच किलोमीटर की दूरी के भीतर आने वाले क्षेत्रों का उल्लेख भी समझा जायेगा।

अध्याय 2

परिषद् की स्थापना और उसका कार्य-संचालन

3. परिषद् का संघठन.—(1) राज्य सरकार गजट में विज्ञप्ति प्रकाशित करके एक परिषद् स्थापित करेगी जो उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद् कहलायेगी।

(2) परिषद् उपर्युक्त नाम से, शाश्वत उत्तराधिकार वाली एक निगमित निकाय होगी और उसकी एक सामान्य मुहर होगी तथा वह अपने निगमित नाम से वाद प्रस्तुत कर सकेगी तथा उसके विरुद्ध वाद प्रस्तुत किया जा सकेगा और इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुये, वह सम्पत्ति का अर्जन करने, धारण करने और निस्तारण करने तथा संविदा करने और इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिये सभी आवश्यक कार्य करने के लिये सक्षम होगी।

(3) लैण्ड एक्वीजीशन ऐक्ट, 1894, (ऐक्ट संख्या 1, 1894 ऐक्ट संख्या 9, 1914) तथा लोकल अथारिटीज लोन्स ऐक्ट, 1914 और तत्समय प्रचलित किसी अन्य विधि के प्रयोजनों के लिये परिषद् को स्थानीय प्राधिकारी समझा जायेगा।

(4) परिषद् का प्रधान कार्यालय राज्य सरकार द्वारा निर्दिष्ट स्थान पर होगा तथा प्रत्येक इकाई के मुख्यालय पर भी एक कार्यालय होगा और ऐसे अन्य स्थानों पर भी कार्यालय हो सकते हैं जिन्हें वह उचित समझे या जिनके लिये राज्य सरकार द्वारा निदेश दिया जाये।

[3][(5) परिषद् में निम्नलिखित होंगे,—

[4]["(क) मंत्री, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश—अध्यक्ष, पदेन,

(क–1) प्रमुख सचिव/सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार—कार्यकारी अध्यक्ष/सदस्य, पदेन".

(ख) तीन उपाध्यक्ष, जो राज्य सरकार द्वारा नियुक्त अशासकीय सदस्य होंगे,

(ग) प्रमुख सचिव/सचिव, वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार—पदेन सदस्य,

(घ) प्रमुख सचिव/सचिव, नगर विकास विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार—पदेन सदस्य,

(ङ) प्रमुख सचिव/सचिव, सार्वजनिक उद्यम ब्यूरो विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार—पदेन सदस्य,

---

1. उ०प्र० अधिनियम संख्या 12 सन् 1994 द्वारा अब नगर पंचायत है।
2. उ०प्र० अधिनियम संख्या 12 सन् 1994 द्वारा अब नगर पंचायत है।
3. उ०प्र० अधिनियम संख्या 11 सन् 2007 द्वारा उपधारा (5), (6) और (7) प्रतिस्थापित (15 जून, 2007 से प्रभावी)।
4. नियम 3 उपनियम (5) खण्ड (क) और (क–1) उ०प्र० अधिनियम संख्या 7 सन् 2010 द्वारा प्रतिस्थापित जो उ०प्र० असाधारण गजट भाग–1, खण्ड (क), दिनांक 2 मार्च 2010 को प्रकाशित हुआ।

(च) मुख्य नगर एवं ग्राम्य नियोजक, उत्तर प्रदेश—पदेन सदस्य,

(छ) निदेशक, सेन्ट्रल बिल्डिंग रिसर्च इन्सटीट्यूट, रुड़की—पदेन सदस्य,

(ज) आवास आयुक्त, उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद्—पदेन सदस्य,

(झ) मुख्य अभियन्ता, उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद्—पदेन सदस्य,

(ञ) वित्त नियंत्रक, उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद्—पदेन सदस्य,

(ट) मुख्य वास्तुविद् नियोजक, उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद्—पदेन सदस्य,

[1][(6) खण्ड (ग), खण्ड (घ), खण्ड (ङ) खण्ड (छ) में अभिदिष्ट अधिकारी परिषद् की किसी बैठक में स्वयं उपस्थित होने के बजाय अपने विभाग में, अपने से ठीक बाद वाले उपलब्ध कनिष्ठ अधिकारी को बैठक में उपस्थित होने के लिए प्रतिनियुक्त कर सकते हैं। इस प्रकार प्रतिनियुक्त अधिकारी को बैठक की कार्यवाहियों में भाग लेने और मतदान करने का भी अधिकारी होगा।

[2][(7) खण्ड (ख) में अभिदिष्ट उपाध्यक्ष की नियुक्ति को गजट में विज्ञापित किया जायेगा।

[3][(8) कार्यकारी अध्यक्ष, अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उसके अनुमोदन से अध्यक्ष के कृत्यों का निष्पादन और कर्तव्यों का निर्वहन करेगा,''

4. [4][उपाध्यक्ष] आदि होने के लिये अनर्हताएं.—कोई भी व्यक्ति परिषद् का [उपाध्यक्ष] चुने जाने या बने रहने के लिए अनर्हित होगा, यदि वह—

(क) नैतिक पतन समन्वित अपराध के लिए सिद्ध दोष हुआ हो;

(ख) अनुन्मुक्त दिवालिया हो;

(ग) विकृत-चित्त का हो और किसी सक्षम न्यायालय द्वारा इस प्रकार घोषित कर दिया गया हो;

(घ) धारा 6 से 7 में की गयी व्यवस्था को छोड़कर, परिषद् के अधीन किसी लाभप्रद पद पर हो;

(ङ) स्वयं या किसी साझेदार, सेवायोजक या कर्मचारी द्वारा परिषद् के साथ, उसके द्वारा या उसकी ओर से किए गए किसी संविदा या सेवायोजन में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से आर्थिक या किसी अन्य प्रकार का कोई अंश या स्वत्व हो; या

(च) किसी ऐसी कम्पनी का निदेशक या सचिव, प्रबन्धक या अन्य अधिकारी हो जिसका परिषद् के साथ, उसके द्वारा या उसकी ओर से की गयी संविदा या सेवायोजन में कोई अंश या स्वत्व हो;

प्रतिबन्ध यह है कि खण्ड (ङ) या खण्ड (च) के अधीन कोई व्यक्ति केवल इस कारण से अनर्हित नहीं होगा कि उसका या उस कम्पनी का, जिसका कि वह निदेशक, सचिव, प्रबन्धक या अन्य अधिकारी है, निम्नलिखित में कोई अंश या स्वत्व है—

---

1. उ०प्र० अधिनियम संख्या 11 सन् 2007 द्वारा उपधारा (5), (6) और (7) प्रतिस्थापित (15 जून, 2007 से प्रभावी)।
2. उ०प्र० अधिनियम संख्या 11 सन् 2007 द्वारा उपधारा (5), (6) और (7) प्रतिस्थापित (15 जून, 2007 से प्रभावी)।
3. उपनियम (8) उ०प्र० अधिनियम संख्या 7 सन् 2010 द्वारा अन्तःस्थापित जो उ०प्र० असाधारण गजट भाग 1, खण्ड (क), दिनांक 2 मार्च, 2010 को प्रकाशित हुआ।
4. उ०प्र० अधिनियम संख्या 11 सन् 2007 द्वारा शब्द "अध्यक्ष या सदस्य" के स्थान पर शब्द "उपाध्यक्ष" प्रतिस्थापित (15 जून, 2007 से प्रभावी)।

(1) किसी अचल सम्पत्ति की बिक्री, क्रय, उसे पट्टे पर देना या उसके विनिमय अथवा उसके लिये किये गये किसी अनुबन्ध;

(2) धनराशि के ऋण के लिए किसी अनुबन्ध या केवल धनराशि के भुगतान के लिए किसी प्रतिभूति;

(3) किसी समाचार-पत्र जिसमें परिषद् के कार्यकलाप के सम्बन्ध में कोई विज्ञापन प्रकाशित किया जाता हो;

(4) किसी एक वर्ष में दस हजार रुपये से अनधिक मूल्य की परिषद् को किसी ऐसी वस्तु की यदा-कदा बिक्री जिसमें वह या कम्पनी नियमित व्यापार करती हो।

स्पष्टीकरण—किसी व्यक्ति का किसी ऐसी कम्पनी में, जिसका परिषद् के साथ या उसके द्वारा अथवा उसकी ओर से की गयी किसी संविदा या सेवायोजन में कोई अंश या स्वत्व हो, केवल अंशधारी होने के कारण, स्वयं का ऐसा अंश या स्वत्व नहीं समझा जायेगा।

[1]**[5. उपाध्यक्ष का कार्यकाल.**—(1) उपाध्यक्ष, तीन वर्ष के लिए पद धारण करेगा, जब तक कि राज्य सरकार द्वारा गजट में विज्ञप्ति प्रकाशित करके उसका कार्यकाल पहले ही समाप्त न कर दिया जाये।

(2) उपधारा, किसी भी समय राज्य सरकार को सम्बोधित करके, स्वयं लिखित प्रार्थना-पत्र देकर अपना पद त्याग कर सकता है और ऐसे त्याग-पत्र के स्वीकार कर लिये जाने पर यह समझा जायेगा कि उसने अपना पद रिक्त कर दिया है।

[2]**[6. उपाध्यक्ष पद के सम्बन्ध में व्यवस्था.**—उपाध्यक्ष को परिषद् की निधि से, ऐसा पारिश्रमिक दिया जायेगा, जैसा विहित किया जाये।

7. आवास आयुक्त के सम्बन्ध में व्यवस्था.—(1) इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए एक आवास आयुक्त होगा जिसे राज्य सरकार नियुक्त करेगी।

(2) आवास आयुक्त की सेवा सम्बन्धी शर्तें वही होंगी जो नियत की जायें। उसे पारिश्रमिक परिषद् की निधि से दिया जायेगा।

(3) राज्य सरकार, यदि उसकी यह राय हो कि विशेष परिस्थितियों के कारण ऐसा करना अपेक्षित है तो, आवास आयुक्त को, उसके कर्तव्यों के अतिरिक्त अध्यक्ष नियुक्त कर सकती है।

(4) राज्य सरकार, आवास आयुक्त को तत्समय प्रचलित किसी अन्य विधि के अधीन कोई प्राधिकारी नियुक्त कर सकती है।

8. अधिकारियों तथा सेवकों की नियुक्ति.—[3][(1) यद्यपि इस प्रकार के नियंत्रण, प्रतिबंध, जोकि समय-समय पर राज्य सरकार द्वारा सामान्य आदेश अथवा विशेष आदेश द्वारा लागू किये जाते है। परिषद कार्य को सुचारू रूप से चलाने के लिये यदि आवश्यक समझता है तो इस प्रकार के अधिकारी और कर्मचारी नियुक्त कर सकता है।

(2) परिषद्, राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन से, केन्द्रीय या राज्य सरकार अथवा स्थानीय प्राधिकारी के किसी सेवक को अपने अधीन किसी पद पर ऐसी शर्तों और प्रतिबन्धों पर नियुक्त कर सकती है जो तय हों।

---

1. धारा 5 और 6, उ०प्र० अधिनियम संख्या 11 सन् 2007 द्वारा प्रतिस्थापित (15 जून, 2007 से प्रभावी)।
2. धारा 5 और 6, उ०प्र० अधिनियम संख्या 11 सन् 2007 द्वारा प्रतिस्थापित (15 जून, 2007 से प्रभावी)।
3. उ०प्र० अधिनियम संख्या 47 सन् 1976 द्वारा उपधारा (1) प्रतिस्थापित।

9. इकाईयाँ.—(1) परिषद् संकल्प द्वारा किसी नगर के लिए और, राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन से, किसी अन्य क्षेत्र में अपने कृत्यों का दक्षतापूर्ण संपादन करने के निमित्त उस क्षेत्र के लिये आवास इकाई स्थापित कर सकती है।

(2) प्रत्येक इकाई परिषद् के अधिष्ठान का भाग होगी और उसमें वे अधिकारी तथा सेवक होंगे जो परिषद् द्वारा आवश्यक समझे जायें।

(3) प्रत्येक इकाई एक अधिकारी के प्रभार में होगी जो आवास आयुक्त के प्रशासकीय नियंत्रण में होगा और वह ऐसे अधिकारों का प्रयोग, कर्तव्यों का पालन तथा कृत्यों का सम्पादन भी करेगा जो उपधारा 12 के अधीन प्रतिनिहित किये जायें।

(4) जहां तक सम्भव हो और नियमों के अधीन रहते हुए, प्रत्येक इकाई की आय तथा व्यय का लेखा पृथक रूप से रखा जायेगा और किसी एक इकाई की बचतें केवल उसी क्षेत्र पर व्यय की जायेंगी जिससे वह इकाई सम्बन्धित हो।

10. आवास समितियाँ.—(1) राज्य सरकार किसी इकाई के लिये स्थानीय परामर्शदात्री समिति संघटित कर सकती है जो आवास समिति कहलायेगी और उसमें एक अध्यक्ष तथा अन्य ऐसे सदस्य और ऐसी शर्तों पर होंगे जो नियत किये जायें।

(2) (क) किसी नगर की दशा में, उसकी नगरपालिका का नगर प्रमुख;

(ख) किसी म्युनिसिपैलिटी की दशा में, उस नगरपालिका का प्रेसीडेंट;

(ग) किसी अन्य क्षेत्र की दशा में, (जिसमें कोई म्युनिसिपैलिटी अथवा उसका भाग भी सम्मिलित हो सकता है) किसी ऐसे स्थानीय प्राधिकारी का कोई प्रेसीडेंट अथवा चेयरमैन, जिसका उस क्षेत्र में क्षेत्राधिकार हो, जो राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया जाये, आवास समिति का अध्यक्ष होगा।

(3) परिषद् सम्बद्ध आवास समिति से उन विषयों पर परामर्श करेगी जो नियत किये जायें और किसी अन्य विषय पर भी वह परामर्श कर सकती है।

11. आवास आयुक्त द्वारा पर्यवेक्षण तथा नियंत्रण.—इस अधिनियम और नियमों के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, आवास आयुक्त परिषद् के समस्त अधिकारियों तथा सेवकों पर पर्यवेक्षण तथा नियंत्रण रखेगा।

12. अधिकारों का प्रतिनिधान.—(1) इस अधिनियम तथा नियमों के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, परिषद् सामान्य या विशेष आदेश द्वारा, या तो बिना शर्त के अथवा ऐसी शर्तो के अधीन जिसमें अपने द्वारा पुनर्विलोकन की शर्त भी हो सकती है, और जो आदेश में निर्दिष्ट की जाये, अपने द्वारा नियुक्त किसी समिति या आवास आयुक्त अथवा परिषद् के किसी अधिकारी को, इस अधिनियम के अधीन अपने किन्ही ऐसे अधिकारों तथा कर्तव्यों को प्रतिनिहित कर सकती है जिन्हें वह आवश्यक समझे।

(2) इस अधिनियम तथा नियमों के उपबन्धों के अधीन रहते हुए आवास आयुक्त सामान्य या विशेष आदेश द्वारा, या तो बिना शर्त के अथवा ऐसी शर्तो के अधीन जिनमें अपने द्वारा पुनर्विलोकन की शर्त भी हो सकती है और जो आदेश में निर्दिष्ट की जायें, परिषद् के किसी अधिकारी को इस अधिनियम के अधीन किन्हीं ऐसे अधिकारों तथा कर्तव्यों को, जो उपधारा

(1) के अधीन प्रतिनिहित अधिकार और कर्तव्य न हो, प्रतिनिहित कर सकता है जिन्हें वह आवश्यक समझे।

13. स्वत्व होने के कारण कार्यवाहियों में भाग लेने से अनर्हता.—(1) परिषद् या किसी आवास समिति या परिषद् द्वारा नियुक्त किसी समिति का कोई सदस्य—

(क) जिसका किसी मामलें के संबंध मे धारा 4 के खण्ड (ङ) या

(ख) में वर्णित प्रकार का कोई अंश या स्वत्व हो, या जिसने किसी मामलें के सबंध में किसी ऐसे व्यक्ति की ओर से व्यावसायिक रूप से काम किया हो जिसका उस मामले में पूर्वोक्त प्रकार का कोई अंश या स्वत्व हो,

धारा 4 के प्रतिबन्धात्मक खण्ड में किसी बात के होते हुए भी, परिषद् आवास समिति या समिति की ऐसे मामले से सम्बद्ध किसी कार्यवाही में न तो मत देगा और न भाग लेगा।

(2) यदि परिषद्, आवास समिति या परिषद् द्वारा नियुक्त किसी समिति के किसी सदस्य का, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, इस अधिनियम के अधीन बनायी गयी किसी भी योजना में समाविष्ट किसी क्षेत्र के भीतर स्थित किसी भूमि में, या किसी ऐसे क्षेत्र में, जिसमें इस अधिनियम के किन्ही भी प्रयोजनों के लिए भूमि अर्जित करने का प्रस्ताव हो, कोई स्वत्व हो, तो वह परिषद् आवास समिति या समिति की किसी ऐसी बैठक में भाग नहीं लेगा जिसमें ऐसी भूमि से संबद्ध किसी मामले पर विचार किया जाए।

(3) उपधारा (1) या उपधारा (2) की कोई बात परिषद्, आवास समिति या समिति के किसी सदस्य को, उक्त उपधाराओं में अभिदिष्ट विषय से भिन्न किसी अन्य विषय से सम्बद्ध किसी संकल्प या प्रश्न पर मत देने या उसकी चर्चा में भाग लेने से निषिद्ध नहीं करेगी।

14. अनौपचारिकता, रिक्ति आदि के कारण किये गये कार्य अवैध नही होंगे.—परिषद् किसी आवास समिमि या परिषद् द्वारा नियुक्त किसी समिति द्वारा इस अधिनियम के अधीन किया गया कोई कार्य या की गयी कोई कार्यवाही केवल निम्नलिखित के कारण अवैध न होगी—

(क) परिषद् आवास समिति या समिति में कोई रिक्ति या उसके संघठन में कोई दोष होने; या

(ख) किसी ऐसे व्यक्ति की नियुक्ति में जो उसके सदस्य के रूप में कार्य कर रहा हो, कोई दोष या अनियमितता होने; या

(ग) किसी ऐसे कार्य या कार्यवाही में कोई दोष या अनियमितता होने, जिसका मूल तत्व पर प्रभाव न पड़ता हो।

अध्याय-3

परिषद् के कृत्य और अधिकार

15. परिषद् के कृत्य.—(1) इस अधिनियम और नियमों तथा विनियमों के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, परिषद् के निम्नलिखित कृत्य होंगे—

(क) आवास और सुधार योजनाओं तथा अन्य परियोजनाओं का बनाना और उन्हें निष्पादित करना;

(ख) राज्य में विभिन्न आवास संबंधी कार्यकलापों की योजना बनाना और उन्हें समन्वित करना तथा राज्य में आवास और सुधार योजनाओं का शीघ्र तथा कुशल कार्यान्वयन सुनिश्चित करना;

(ग) केन्द्रीय या राज्य सरकार द्वारा पोषित या सहायता प्राप्त आवास और सुधार योजनाओं के अन्तर्गत विभिन्न परियोजनाओं के लिए प्राविधिक कि परामर्श देने की व्यवस्था करना और उनकी जांच करना;

(घ) राज्य सरकार की ऐसी अचल सम्पत्तियों का प्रबन्ध हाथ में लेना जो इस प्रयोजन के लिए उसे संक्रमित की जायं या सौंपी जायं;

(ङ) परिषद् के या परिषद् के नियंत्रण और प्रबन्ध में सौपे गये राज्य सरकार के प्लाटों, भवनों तथा अन्य सम्पत्तियों का अनुरक्षण, उपयोग, अलाट करना, पट्टे पर देना या अन्य प्रकार से संक्रमण;

(च) इमारती सामानों का निर्माण करने तथा उनको जमा करने के लिए वर्कशाप और स्टोर्स संगठित करना और उन्हें चलाना;

(छ) किसी योजना के अधीन निर्मित गृहों को ऐसी शर्तों पर जो परिषद् व राज्य सरकार के बीच तय हों उत्तर प्रदेश औद्योगिक गृह–व्यवस्था अधिनियम, 1955 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 23, 1955) के अधीन गृह घोषित करना;

(ज) भवन संबंधी निर्माण–कार्यो को विनियमित करना;

(झ) मलिन बस्तियों का सुधार और निपातन;

(ञ) परिषद् द्वारा विकसित क्षेत्रो में सड़क, विद्युत, स्वच्छता, जल सम्भरण तथा अन्य नागरिक सुविधाओं और आवश्यक सेवाओं की व्यवस्था करना;

(ट) पूर्वोक्त किन्ही भी प्रयोजनों के लिए चल अथवा अचल सम्पत्ति अर्जित करना;

(ठ) ऊपर लिखे किन्ही भी प्रयोजनों के लिए बाजार से ऋण लेना, राज्य सरकार, केन्द्रीय सरकार, स्थानीय प्राधिकारियों और अन्य सार्वजनिक निगमो से अनुदान और ऋण लेना, तथा स्थानीय प्राधिकरणों, अन्य सार्वजनिक निगमो, आवास सहकारी समितियों और अन्य व्यक्तियों को अनुदान तथा ऋण देना;

(ड़) किसी सम्पत्ति की जांच, परीक्षा या सर्वेक्षण करना या किसी स्थानीय प्राधिकारी अथवा राज्य सरकार द्वारा की गयी ऐसी जांच परीक्षा या सर्वेक्षण के व्यय में योगदान करना;

(ढ) आसुधार शुल्क लगाना;

(ण) इस अधिनियम या तत्समय प्रचलित किसी अन्य विधि द्वारा या उसके अधीन आरोपित किसी अन्य दायित्व को पूरा करना; और

(त) ऊपर लिखे कृत्यों का सम्पादन करने के लिए अन्य समस्त आवश्यक कार्यों को करना।

(2) इस अधिनियम तथा विनियमों के उपबन्धों के अधीन रहते हुये, परिषद् यदि आवश्यक समझे तो निम्नालिखित कृत्यों में से कोई कृत्य कर सकती है, अर्थात्—

(क) भवनों के शीघ्र निर्माण और उनके व्यय को कम करने के लिए अन्वेषण कार्य को बढ़ावा देना;

(ख) सार्वजनिक संस्थाओं, स्थानीय प्राधिकरणों और अन्य सार्वजनिक निगमों तथा केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकार के विभागों की ओर से राज्य में निर्माण कार्य निष्पादित करना;

(ग) इमारती सामानों की बिक्री, और उनका सम्भरण करना;

(घ) इमारती सामानों के उत्पादन का समन्वय, सरली-करण और स्तरीकरण करना तथा संरचनात्मक भागों की पूर्व-गढ़ाई (प्रीफैब्रिकेट करना) और बड़े पैमाने पर उनके उत्पादन को प्रोत्साहित तथा संगठित करना;

(ङ) किसी नगर, म्युनिसिपैलिटी, टाउन एरिया या नोटीफाइट एरिया में और उसके आस-पास की जनता को गमनागमन की सुविधा देने के उद्देश्य से किसी परिवहन सेवा की स्थापना, उसका अनुरक्षण और परिचालन करना, सड़कों और पुलों को बनाना, चौड़ा करना, सुदृढ़ बनाना या उनका अन्य प्रकार से सुधार करना तथा ऐसे प्रयोजनों के लिए दूसरों को वित्तीय सहायता देना;

(च) ऊपर लिखें कृत्यों का सम्पादन करने के लिये अन्य समस्त आवश्यक कार्यो को करना।

16. परिषद् द्वारा आवास या सुधार योजना कब बनायी जायेगी.—(1) परिषद् स्वतः अथवा स्थानीय प्राधिकारी के कहने पर आवास या सुधार बना सकती है और राज्य सरकार के ऐसा निदेश देने पर अवश्य बनायेगी।

(2) स्थानीय प्राधिकारी के कहने पर किसी आवास या सुधार योजना को बनाने से और उसका निष्पादन करने से परिषद् इनकार कर सकती है, यदि उसका यह समाधान हो जाय कि ऐसी योजना अनावश्यक है अथवा व्यवहार्य नहीं है या ऐसी योजना को बनाने और उसका निष्पादन करने के लिए उसके पास निधि नहीं है और इस प्रकार अस्वीकार करने की सूचना वह उक्त प्राधिकारी को देगी। परिषद् किसी योजना के बनाये जाने हेतु स्थानीय प्राधिकारी की प्रार्थना मिलने के दिनांक से एक वर्ष के भीतर अपने निर्णय की सूचना देगी।

(3) उपधारा (2) के अधीन परिषद् की अस्वीकृति से क्षुब्ध कोई स्थानीय प्राधिकारी सूचना प्राप्त होने के दिनांक से दो मास से भीतर राज्य सरकार को अपील कर सकता है जो उस पर ऐसा आदेश दे सकती है जो वह उचित समझे और परिषद् ऐसे आदेशों का पालन करेगी।

17. विषय जिनकी व्यवस्था आवास या सुधार योजनाओं में की जायेगी.—तत्समय प्रचलित किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी तथा इस अध्याय के अन्य उपबन्धों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना किसी आवास या सुधार योजना में निम्नलिखित विषयों में से सभी या किसी एक के लिए व्यवस्था की जा सकती है, अर्थात—

(क) योजना के लिए आवश्यक अथवा उसके निष्पादन से प्रभावित होने वाली किसी सम्पत्ति का क्रय, विनिमय या अन्य प्रकार से अर्जन;

(ख) योजना में समाविष्ट किसी भूमि का विन्यास या पुनर्विन्यास;

(ग) योजना में समाविष्ट सम्पत्ति के स्वामियों के स्थलों का वितरण या पुनर्वितरण;

(घ) मानव निवास के लिए अनुपयुक्त निवास-स्थानों या निवास-स्थानों के भागों का सुधार या निपातन;

(ङ) प्रस्तावित विन्यास में बाधा डालने वाले भवन या भवनों के भागों को गिराना;

(च) भवनों का निर्माण या पुर्ननिर्माण;

(छ) योजना में समाविष्ट किसी सम्पत्ति का विक्रय, (जिसमें किराया किस्त के आधार पर बेचना भी शामिल है) पट्टे पर देना या विनिमय;

(ज) मार्गों, सड़कों, गलियों, पुलों पुलियों या नदी-नालों पर पक्के पथों का निर्माण या उनमें परिवर्तन;

(झ) योजना में सम्मिलित सड़कों पर जलोत्सारण, जल-सम्भरण या रोशनी की व्यवस्था;

(ञ) योजना में समाविष्ट किसी क्षेत्र के या किसी मिले हुए क्षेत्र के लाभार्थ विद्यालयों, सामुदायिक भवनों, पार्कों, (जिसमें बच्चों के पार्क भी शामिल हैं), तैरनें के तालाबों, खेल के मैदानों, खुले स्थानों और उप मार्गों की व्यवस्था;

(ट) योजना में समाविष्ट क्षेत्र के लिए अपेक्षित सफाई का प्रबन्ध करना, जिसके अन्तर्गत नदियों या जल-सम्भरण के अन्य स्रोतों तथा साधनों का संरक्षण तथा उन्हें क्षति पहुंचाने या दूषित होने से बचाना भी है;

(ठ) किसी भी वर्ग के व्यक्तियों के लिए निवास-स्थान की व्यवस्था;

(ड) संचार और परिवहन संबंधी सुविधाओं की व्यवस्था;

(ढ) इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए आवश्यक सूचना और आंकड़े एकत्रित करना;

(ण) बाजारों, व्यापारिक एवं औद्योगिक स्थलों, बगीचों, खेल के मैदानों और वृक्षरोपण के लिए भूमि का सुधार, विकास या आरक्षण;

(त) योजना में समाविष्ट क्षेत्र में उपाहार गृहों, दूकानों, बाजारों, ईधन के डिपों, धुलाई-गृहों तथा अन्य सुविधाओं की व्यवस्था;

(थ) योजना के प्रयोजनों के लिए ऋण देने; और

(द) कोई अन्य विषय जो नियत किया जाये;

प्रतिबन्ध यह है कि ऐसी कोई योजना, यथाशक्य, सत्समय प्रचलित महायोजना के, यदि कोई हो, अनुरूप होगी।

18. आवास और सुधार योजनाओं के प्रकार.—(1) आवास या सुधार योजना निम्नलिखित प्रकारों से किसी एक प्रकार की होगी, अथवा उसमें ऐसे दो या अधिक प्रकारों का सम्मिश्रण होगा या उसमें उनकी विशेष बातें होगी; अर्थात्—

(क) गृह स्थान योजना;

(ख) मलिन बस्ती सुधार और निपातन योजना;

(ग) पुनर्वास योजना;

(घ) सड़क योजना;

(ङ) भावी सड़क योजना;

(च) प्रसार योजना;

(छ) भूमि विकास योजना;

(ज) बाजार योजना;

(झ) बाढ़ योजना;

(2) राज्य सरकार, ऐसी शर्तों तथा प्रतिबन्धों पर, जो वह परिषद् से परामर्श करने के पश्चात्, आरोपित करना उचित समझे, परिषद को उपधारा (1) में अनिर्दिष्ट प्रकार की किसी आवास या सुधार योजना को हाथ में लेने का निदेश दे सकती है।

19. गृह स्थान योजना.—(1) जब कभी परिषद् की यह राय हो कि किसी क्षेत्र में गृह-स्थान की कमी को पूरा करने के लिए ऐसा करना इष्टकर या आवश्यक है, तो परिषद् गृह स्थान योजना बना सकती है।

(2) ऐसी योजना में उस क्षेत्र के विन्यास का उल्लेख होगा जहाँ पर गृहों का निर्माण किया जाना हो और उसमें परिषद् तथा अन्य व्यक्तियों द्वारा गृह-निर्माण करने की व्यवस्था की जा सकती है।

(3) परिषद् अपने द्वारा इस प्रकार बनाये गये किसी गृह को पट्टे पर दे सकती है या बेच सकती है, जिसमें, किराया किस्त के आधार पर बेचना भी सम्मिलित है।

(4) परिषद् उस क्षेत्र में मार्गों, सड़कों, जलोत्सारण, जल-सम्भरण, सड़कों पर रोशनी, सामुदायिक भवनों तथा अन्य सुविधाओं की व्यवस्था कर सकती है।

20. मलिन बस्ती सुधार और निपातन योजना.—(1) जब कभी परिषद् को यह प्रतीत हो कि—

(क) किसी क्षेत्र में, निवास-स्थान के रूप में प्रयुक्त या प्रयुक्त किये जाने के लिये अभिप्रेत अथवा संभाव्य कोई भवन मानव निवास के लिए अनुपयुक्त हैं, या

(ख) किसी क्षेत्र में—

(1) सड़कों, भवनों अथवा भवनों के समूहों, की संकीर्णता, समीपता या दोषपूर्ण व्यवस्था अथवा प्ररचना या दशा होने, या

(2) अति घनी आबादी होने, या

(3) प्रकाश, वायु, वातायन या यथोचित सुविधाओं का अभाव होने, या

(4) कोई अन्य स्वच्छता संबंधी दोष होने,

से उस क्षेत्र के अथवा पास-पड़ोस के निवासियों की सुरक्षा, स्वास्थ्य या सदाचार संकट में पड़ने की संभावना है तो परिषद् उस क्षेत्र के संबंध में मलिन बस्ती सुधार और निपातन योजना बना सकती है।

(2) ऐसी योजना में निम्नलिखित की व्यवस्था की जा सकती है—

(क) उस क्षेत्र में मार्गों, सड़कों, गलियों और खुले स्थानों तथा अन्य सुविधाओं के लिए स्थलों का आरक्षण तथा निर्माण और उनके लिए व्यवस्था तथा विद्यमान मार्गों, सड़कों गलियों, खुले स्थानों और अन्य सुविधाओं में परिवर्धन;

(ख) क्षेत्र के स्थलों का पुनर्विन्यास;

(ग) परिषद् द्वारा क्षेत्र में स्थित किसी स्थल या भवन का अर्जन;

(घ) क्षेत्र में भूमियों और भवनों के संबंध में सुधार कार्य करना और उनका अनुरक्षण करना;

(ङ) क्षेत्र में भवनों के निर्माण, पुनर्निर्माण को या परिवर्तन को अथवा परिवर्द्धन को विनियमित करना;

(च) क्षेत्र के स्थलों पर विद्यमान और उनके उपबन्धों में परिवर्तन करना या उन्हें, गिराना;

(छ) क्षेत्र के स्थलों पर गृहों तथा अन्य भवनों का निर्माण;

(ज) योजना के अनुसार विद्यमान भवनों का निर्माण करने या उन में परिवर्तन करने अथवा नये भवनों का निर्माण करने के लिए स्वामियों को सहायता देने के उद्देश्य से उन्हें ऐसी शर्तों और प्रतिबन्धों पर अग्रिम धन देना जिनकी व्यवस्था योजना के अन्तर्गत की जाये।

21. पुनर्वास योजना.—जब कभी परिषद् की यह राय हो कि ऐसे व्यक्तियों के लिये गृह-स्थान की व्यवस्था करना आवश्यक है—

(क) जो इस अधिनियम के अधीन किसी आवास या सुधार योजना के निष्पादन से विस्थापित हो गये हों अथवा जिनके विस्थापित होने की सम्भावना हो, या

(ख) जिन्हें किसी क्षेत्र की घनी आबादी की कम करने के लिए उस क्षेत्र से हटाना आवश्यक हो, तो परिषद मार्गों, सड़कों और खुले स्थानों के सहित ऐसे निवास-स्थानों और दुकानों के निर्माण, अनुरक्षण और प्रबन्ध के लिए अथवा ऐसे खुले प्लाटों की व्यवस्था करने के लिये जो आवश्यक समझे जायें, पुनर्वास योजना बना सकती है।

22. सड़क योजना.—(1) जब कभी परिषद् की यह राय हो कि—

(क) भवन निर्माण के स्थलों की व्यवस्था करने, या

(ख) दोषपूर्ण वातायन को ठीक करने या

(ग) नये संचार साधन स्थापित करने अथवा विद्यमान संचार साधनों और यातायात की सुविधाओं में सुधार करने, या

(घ) मलवाहन के लिए अच्छी सुविधाएं देने, के लिए किसी क्षेत्र में नई सड़के बनाना या विद्यमान सड़कों में (जिसमें पुल, पक्का नदी पथ और पुलिया भी सम्मिलित है) परिवर्तन करना इष्टकर है, तो परिषद् ऐसे क्षेत्र के लिए सड़क योजना बना सकती है।

(2) योजना में समाविष्ट क्षेत्र की सीमाओं के भीतर ऐसी योजना में निम्नलिखित विषयों की व्यवस्था की जा सकती है, अर्थात्—

(क) किसी ऐसी भूमि का अर्जन, जो परिषद् की राय में योजना के लिए आवश्यक हो;

(ख) इस प्रकार अर्जित की गयी सभी या किसी भूमि का पुनर्विन्यास, जिसमें परिषद् द्वारा या परिषद् द्वारा तदर्थ प्राधिकृत व्यक्तियों द्वारा भवनों का निर्माण और पुनर्निर्माण भी सम्मिलित है तथा सड़कों और जलमार्गों का विन्यास, निर्माण और परिवर्तन;

(ग) इस प्रकार विन्यासित, निर्मित या परिवर्तित सड़कों तथा जलमार्गों पर जलोत्सारण, जल-सम्भरण और रोशनी की व्यवस्था;

(घ) योजना के प्रयोजनों के लिए परिषद् में निहित या उसके द्वारा अर्जित किसी भूमि का सुधार अथवा उसकी सतह को ऊँचा या नीचा करना; और

(ङ) योजना में समाविष्ट क्षेत्र के लिए अपेक्षाकृत अच्छे वातायन के निमित्त खुले स्थानों की व्यवस्था।

23. भावी सड़क योजना.—(1) जब कभी परिषद् की यह राय हो कि किसी सड़क को उसके विद्यमान संरेखण का परिवर्तन करके भविष्य में चौड़ा करने के लिए व्यवस्था करना आवश्यक है, किन्तु प्रस्तावित उन्नत संरेखण के भीतर आने वाली सभी या किसी सम्पत्ति को तुरन्त अर्जित करना आवश्यक नहीं है तो परिषद् एक भावी सड़क योजना बना सकती है, जिसमें सड़क के दोनों ओर का संरेखण निर्धारित किया जायेगा और उस योजना को निष्पादित करने के लिए कालावधि निर्दिष्ट होगी, जो समय-समय पर परिषद् द्वारा बढ़ायी जा सकती है;

प्रतिबन्ध यह है कि ऐसी कालावधि परिषद् द्वारा उस बढ़ायी गयी अवधि को, यदि कोई हो, सम्मिलित करके, किसी भी दशा में योजना के प्रचलित होने के दिनांक से बीस वर्ष से अधिक न होगी।

(2) ऐसी योजना में निम्नलिखित विषयों के लिए व्यवस्था की जायेगी अर्थात्—

(क) योजना के निष्पादन के लिए कालावधि के भीतर निर्धारित सड़क-संरेखण के अन्तर्गत आने वाली किसी सम्पूर्ण या उसके किसी भाग का अर्जन;

(ख) परिषद् या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा सभी अथवा किसी सम्पत्ति का पुनर्विन्यास, जिसमें भवनों का निर्माण और पुननिर्माण भी सम्मिलित है तथा सड़क का निर्माण व संरेखण; और

(ग) इस प्रकार निर्मित या परिवर्तित सड़कों पर जलोत्सारण, जलसम्भरण और रोशनी की व्यवस्था।

(3) ऐसी योजना प्रचलित हो जाने के बाद—

(क) परिषद् की पूर्व लिखित अनुज्ञा के बिना, कोई व्यक्ति योजना के निष्पादन की कालावधि के भीतर, किसी भवन का इस प्रकार निर्माण, पुनर्निमाण, परिवर्द्धन या परिवर्तन नहीं करेगा, जिससे कि निर्धारित संरेखण में कोई अतिक्रमण हो जाये;

(ख) यदि परिषद् सड़क के निर्धारित संरेखण के भीतर स्थित किसी सम्पत्ति का अर्जन न करे या उसके अर्जन के लिए कार्यवाही न करे तो ऐसी सम्पत्ति का स्वामी, उक्त योजना के निष्पादन की कालावधि के भीतर या उसके बाद तीन वर्ष के भीतर किसी समय परिषद् को इस बात का नोटिस दे सकता है कि नोटिस के दिनांक से छः मास के भीतर ऐसी सम्पत्ति का अर्जन करे अथवा अर्जन के लिए कार्यवाही करे, और तदुपरान्त परिषद् उस सम्पत्ति को अनुबन्ध द्वारा अर्जित करेगी, अथवा खण्ड (ग) के अधीन नोटिस द्वारा ऐसी कार्यवाही करेगी और तद्नुसार उक्त सम्पत्ति का अर्जन करेगी; और यदि परिषद् ऐसा न करे तो वह इस अधिनियम और नियमों के उपबन्धों के अनुसार अवधारित प्रतिकर का भुगतान करेगी;

(ग) सड़क के निर्धारित संरेखण के भीतर आने वाली किसी सम्पत्ति का अर्जन करने के लिए कार्यवाही करने के पूर्व परिषद् (1) ऐसी किसी सम्पत्ति के संबंध में, जिसके लिए उसे खण्ड (ख) के अधीन नोटिस मिला हो, पन्द्रह दिन का नोटिस; और (2) अन्य सम्पत्ति के संबंध में छः मास की नोटिस, ऐसी सम्पत्ति के स्वामी को उस सम्पत्ति का अर्जन करने के अभिप्राय का देगी;

(घ) उत्तर प्रदेश नगर महापालिका अधिनियम, 1959 (उ०प्र० अधिनियम संख्या 2, 1959) यू०पी० म्युनिसिपैलिटीज ऐक्ट, 1916, (यू०पी० ऐक्ट संख्या 2, 1916) उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद् अधिनियम, 1961 (उ०प्र० अधिनियम संख्या 33, 1961) या किसी ऐसे अन्य अधिनियम में, जिससे किसी ऐसे क्षेत्र में, जिसमें इस धारा के अधीन कोई योजना विज्ञापित की गयी हो, स्थानीय प्राधिकारी का संघटन किया गया हो, किसी बात के होते हुए भी, ऐसे स्थानीय प्राधिकारी को योजना में समाविष्ट क्षेत्र के भीतर सड़क के किसी संरेखण को निर्धारित या नियत करने का अधिकार न होगा और ऐसी सीमाओं के भीतर पहले से निर्धारित या नियत किया गया कोई ऐसा संरेखण प्रभावी नहीं रहेगा।

24. प्रसार योजना.—(1) जब कभी परिषद् की यह राय हो कि किसी नगर, म्युनिसिपैलिटी, टाउन एरिया या नोटीफाइड एरिया का भविष्य में प्रसार या विकास करने पर नियन्त्रण और उसकी व्यवस्था करना इष्टकर है, तो परिषद् प्रसार योजना बना सकती है और उक्त योजना के निष्पादन के लिए समय सीमा निर्दिष्ट करेगी जो परिषद् द्वारा समय-समय पर बढ़ायी जा सकती है :

प्रतिबन्ध यह है कि ऐसी समय सीमा, जिसके अन्तर्गत परिषद् द्वारा बढ़ायी गयी समय सीमा, यदि कोई हो, भी है किसी भी दशा में योजना के प्रचलित होने के दिनांक से बीस वर्ष से अधिक न होगी।

(2) ऐसी योजना में विकसित किये जाने वाले क्षेत्र का प्रस्तावित विन्यास और वे प्रयोजन निर्दिष्ट किये जायेंगे जिनके लिए उसके विशिष्ट भागों का उपयोग किया जायेगा।

(3) ऐसी किसी योजना के प्रचलित हो जाने के पश्चात्, परिषद की पूर्व लिखित अनुज्ञा के बिना कोई व्यक्ति, योजना में समाविष्ट क्षेत्र के भीतर किसी भवन का निर्माण, पुनर्निर्माण, परिवर्द्धन या परिवर्तन नहीं करेगा।

(4) यदि किसी व्यक्ति को उपर्युक्त क्षेत्र में अपनी भूमि पर किसी भवन का निर्माण, पुनर्निमार्ण, परिवर्द्धन या परिवर्तन करने की अनुज्ञा देने से परिषद् इनकार करे, और इस प्रकार की अस्वीकृति के दिनांक से एक वर्ष के भीतर उस भूमि का अर्जन करने के लिए कार्यवाही न करे तो परिषद् उस व्यक्ति को, ऐसी अस्वीकृति के परिणामस्वरूप हुई किसी क्षति के लिए ऐसा प्रतिकर देगी जो इस अधिनियम और नियमों के अधीन अवधारित किया जाये :

प्रतिबन्ध यह है कि यदि परिषद् तदर्थ यथाविधि प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र की प्राप्ति से तीन महीने के भीतर न तो उपर्युक्त अनुज्ञा दे और न अनुज्ञा देने से इनकार करे तो ऐसी अवधि की समाप्ति के दिनांक को अनुज्ञा देने के इनकार करना समझा जायेगा।

25. भूमि विकास योजना.—(1) जब कभी परिषद् की यह राय हो कि किसी क्षेत्र में भवन-निर्माण के लिए स्थलों की व्यवस्था करना इष्टकर है तो परिषद् भूमि विकास योजना बना सकती है।

(2) ऐसी योजना में विकसित किये जाने वाले क्षेत्र का प्रस्तावित विन्यास और वे प्रयोजन निर्दिष्ट किये जायेंगे जिनके लिए उनके विशिष्ट भागों का उपयोग किया जायेगा।

(3) योजना में समाविष्ट क्षेत्र के लिए परिषद् मार्गों, सड़कों, खुले स्थानों, जलोत्सारण, जल-सम्भरण, सड़क पर रोशनी और अन्य सुविधाओं की व्यवस्था कर सकती है।

(4) योजना में समाविष्ट क्षेत्र में परिषद् भवन-निर्माण के स्थलों को पट्टे पर दे सकती है या बेच सकती है जिसमें किराया किश्त के आधार पर बेचना भी सम्मिलित है।

26. बाजार योजना.—(1) जब कभी परिषद् को यह प्रतीत हो कि किसी क्षेत्र में क्रय-विक्रय, दुकानों से समान खरीदने या वाणिज्य की पर्याप्त सुविधायें नहीं है या उत्पादकों, बैंकरों, व्यापारियों, व्यावसायिक वर्ग के सदस्यों, उपभोक्ताओं, ग्राहकों या कार्यार्थियों के लिए विद्यमान बाजार या व्यावसायिक अथवा वाणिज्य अधिष्ठान असुविधाजनक हैं, या विद्यमान बाजारों अथवा वाणिज्यिक या व्यावसायिक केन्द्रों में अन्यथा सुधार या परिवर्तन करना अथवा उन्हें गिराना या किसी क्षेत्र में नये बाजारों अथवा केन्द्रों का विन्यास करना इष्टकर है, तो परिषद उस क्षेत्र या उसके किसी भाग के लिए बाजार योजना बना सकती है।

(2) बाजार योजना में निम्नलिखित की व्यवस्था की जा सकती है—

(क) मंडियों, दूकानों, स्टालों, गोदामों, उपाहार-गृहों, सिनेमाओं, वाणिज्यिक गृहों, व्यावसायिक कार्यालयों, पेट्रोल पम्पों, यांत्रिक सेवा और मरम्मत करने के स्टेशनों, धुलाई-गृहों तथा अन्य अपेक्षित भवनों और संरचनाओं का निर्माण;

(ख) मार्गों, सड़कों, गलियों, पार्श्व पथों, पार्कों और मोटर गाड़ियाँ खड़ी करने के स्थलों का बनाना, जल-सम्भरण, बस के अड्डों तथा साइकिल और अन्य गाड़ियों के अड्डों, शौचालयों, विज्ञान स्थलों भवना अन्य सेवाओं और सुविधाओं की व्यवस्था;

(ग) योजना में सम्मिलित क्षेत्र में समाविष्ट किसी स्थल या भवन का परिषद् द्वारा अर्जन; और

(घ) परिषद् द्वारा किसी स्थानीय प्राधिकारी या अन्य व्यक्ति को किसी बाजार का पूर्णतः या प्रबन्ध करने के लिए ऐसी शर्तों और प्रतिबन्धों पर संक्रमण जिन पर परिषद व वह स्थानीय प्राधिकारी या व्यक्ति सहमत हों।

27. बाढ़ योजना.—(1) जब कभी परिषद् को यह प्रतीत हो कि किसी क्षेत्र पर किसी नदी या नाले में बाढ़ आ जाने अथवा पानी इकट्ठा हो जाने के कारण प्रभाव पड़ा है अथवा उस पर प्रभाव पड़ने की संभावना है, तो परिषद् उस क्षेत्र के लिए बाढ़ योजना बना सकती है।

(2) बाढ़ योजना में निम्नलिखित की व्यवस्था की जा सकती है—

(क) ऐसे गृहों और आवश्यक सम्पूर्ति अधिष्ठानों की रक्षा के लिए, जिन पर बाढ़ का प्रभाव पड़ा हो या पड़ने की संभावना हो, संरचनाओं का निर्माण;

(ख) बाढ़ से क्षतिग्रस्त गृहों की मरम्मत या पुनर्निर्माण;

(ग) संचित जल की निकासी के लिए नालियों और निर्गम मार्गों का निर्माण;

(घ) किसी क्षेत्र की सतह ऊंची करना;

(ङ) किसी क्षेत्र में स्थलों का पुनर्विन्यास;

(च) योजना के लिए आवश्यक किसी क्षेत्र का अर्जन;

(छ) किसी बाढ़ग्रस्त अथवा संकटापन्न स्थान के निवासियों को हटाना और उनके लिए वैकल्पिक स्थान की व्यवस्था करना।

28. आवास एवं सुधार योजनाओं के लिए नोटिस.—(1) जब कोई आवास या सुधार योजना बना ली जाये तो परिषद् इस आशय का एक नोटिस तैयार करेगी, जिसमें निम्नलिखित बातें निर्दिष्ट की जायेगी—

(क) योजना में समाविष्ट क्षेत्र की सीमाएं;

(ख) दिनांक, समय और स्थान या स्थानों का उल्लेख, जब और जहां पर क्षेत्र का नक्शा, योजना का विवरण, तथा अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि और उस भूमि के ब्यौरे, जिसके संबंध में आसुधार शुल्क लगाने का प्रस्ताव है, देखे जा सकते हैं; और

(ग) दिनांक, जब तक कि योजना के संबंध में आपत्तियां की जा सकती है।

(2) परिषद्—

(क) उक्त नोटिस को सप्ताहवार लगातार तीन सप्ताह तक (1) गजट में, और (2) ऐसे दो दैनिक समाचार-पत्रों में, जिनमें से कम से कम एक हिन्दी का समाचार-पत्र होगा, प्रकाशित करायेगा, जिनका योजना में समाविष्ट क्षेत्र में परिचलन हो; और

(ख) उक्त नोटिस की एक प्रतिलिपि ऐसे स्थानीय प्राधिकारी या प्राधिकारियों को भेजने जिनके क्षेत्राधिकार के भीतर योजना में समाविष्ट क्षेत्र पड़ता हो।

(3) आवास आयुक्त उपधारा (1) के खण्ड (ख) में अभिदिष्ट किसी लेख्य की प्रतिलिपि, किसी भी प्रार्थी को ऐसे शुल्क के भुगतान करने पर दिलायेगा जिसकी विनियमों द्वारा व्यवस्था की जाये।

29. प्रस्तावित अर्जन या आसुधार शुल्क लगाये जाने का नोटिस.—किसी आवास या सुधार योजना के संबंध में धारा 28 के अधीन किसी नोटिस के पहली बार प्रकाशित किये जाने के दिनांक से छः सप्ताह के भीतर, परिषद् ऐसे प्रपत्र में, उन व्यक्तियों या व्यक्तियों के वर्गों पर और ऐसी रीति से, जो नियत की जाये, नोटिस तामील करेगी, जिसमें इस बात का उल्लेख किया जायेगा कि परिषद् योजना के निष्पादन के लिए किसी निर्दिष्ट भूमि या भवन का अर्जन करने का अथवा आसुधार शुल्क लगाने का प्रस्ताव करती है।

30. आपत्तियाँ.—(1) कोई स्थानीय प्राधिकारी जिसे धारा 28 की उपधारा (2) के खण्ड (ख) के अधीन नोटिस की एक प्रतिलिपि भेजी गयी हो, ऐसी प्रतिलिपि प्राप्त होने के दिनांक से साठ दिन के भीतर योजना के विरुद्ध आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है।

(2) कोई व्यक्ति जिस पर धारा 29 के अधीन नोटिस तामील किया गया हो, नोटिस के तामील होने के दिनांक से तीस दिन के भीतर, या ऐसे अतिरिक्त समय के भीतर, जिसकी परिषद् पर्याप्त कारण से अनुमति दे, योजना या प्रस्तावित अर्जन अथवा आसुधार शुल्क लगाये जाने के विरुद्ध परिषद् को लिखित आपत्ति कर सकता है।

(3) कोई अन्य व्यक्ति भी धारा 28 के अधीन नोटिस में निर्दिष्ट समय के भीतर योजना के विरुद्ध आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है।

31. योजना का परित्याग, परिष्कार अथवा स्वीकृति.—(1) उपर्युक्त उपबंधों के अनुसरण में प्राप्त आपत्तियों पर, यदि कोई हों, विचार करने के पश्चात् और आपत्तिकर्ताओं को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात्, परिषद यथासंभव, ऐसी आपत्तियों की प्राप्ति के अन्तिम दिनांक से छः मास के भीतर या तो उस योजना का परित्याग कर सकती है, या, यदि योजना पर बीस लाख रुपये से अधिक अनुमानित व्यय न बैठता हो तो परिष्कारों सहित, अथवा परिष्कार रहित स्वीकृत कर सकती है, और यदि योजना पर बीस लाख रुपये से अधिक अनुमानित व्यय बैठता हो, तो उसे ऐसे परिष्कारों के साथ, यदि कोई हो, जिसका परिषद् सुझाव दे, स्वीकृति के लिए राज्य सरकार को प्रस्तुत कर सकती है।

(2) राज्य सरकार उपधारा (1) के अधीन उसे प्रस्तुत की गयी किसी योजना को परिष्कारों सहित, अथवा परिष्कार रहित स्वीकृत कर सकती है, या स्वीकृत करने से इन्कार कर सकती है, अथवा उसे पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकती है।

(3) यदि उपधारा (2) के अधीन पुनर्विचार के लिए वापस की गयी कोई योजना परिषद् द्वारा परिष्कृत कर दी जाये तो वह धारा 28 के अनुसार पुनः प्रकाशित की जायेगी—

(क) यदि परिष्कार के कारण योजना में समाविष्ट क्षेत्र की सीमाओं पर प्रभाव पड़ता हो अथवा जिसमें पूर्व प्रस्तावित अर्जन से भिन्न किसी भूमि या भवन को अर्जित करना अन्तर्ग्रस्त हो; या

(ख) यदि परिषद् की राय में परिष्कार इतने पर्याप्त महत्व का हो कि उसका पुनः प्रकाशन अपेक्षित हो, और ऐसा पुनः प्रकाशन हो जाने पर धारा 29 और 30 में नियत प्रक्रिया का, जहां तक प्रयोज्य हो, अनुसरण किया जायेगा मानो कि पुनः प्रकाशन धारा 28 के अधीन किया गया मूल प्रकाशन हो।

32. योजना का प्रारम्भ.—(1) जब कभी परिषद् या राज्य सरकार किसी आवास या सुधार योजना को स्वीकृत करे, तो उसे गजट में विज्ञापित किया जायेगा।

(2) किसी योजना के संबंध में उपधारा (1) के अधीन विज्ञप्ति इस बात का निश्चायक प्रमाण होगी कि योजना यथाविधि बनायी और स्वीकृत की गई है।

(3) परिषद् की किसी आवास या सुधार योजना की स्वीकृति के निर्णय से क्षुब्ध कोई व्यक्ति, या कोई स्थानीय प्राधिकारी, जिसने धारा 30 के अधीन आपत्तियां प्रस्तुत की हों, उपधारा (1) के अधीन विज्ञप्ति के दिनांक से तीस दिन के भीतर राज्य सरकार को अपील कर सकती है जिसका उस पर निर्णय अन्तिम होगा।

(4) यदि उपधारा (3) के अधीन प्रस्तुत की गई किसी अपील के परिणाम स्वरूप राज्य सरकार योजना को निरस्त कर दे अथवा उसमें परिवर्तन कर दे तो, निरसन या परिवर्तन गजट में विज्ञापित किया जायेगा।

(5) (क) यदि योजना राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत की जाय तो वह उपधारा (1) के अधीन विज्ञप्ति के दिनांक से प्रचलित होगी;

(ख) यदि योजना परिषद् द्वारा स्वीकृत की जाय तो :

(1) जब उपधारा (3) के अधीन कोई अपील प्रस्तुत न की गई हो, तो उपधारा (1) के अधीन विज्ञप्ति के दिनांक से तीस दिन की समाप्ति पर; और

(2) जब अपील प्रस्तुत की गई हो और अपील पर योजना परिवर्तन सहित अथवा परिवर्तन रहित बनी रहे तो वह उस अपील के निर्णय के दिनांक से और यदि एक से अधिक अपीलें प्रस्तुत की गई हों तो अन्तिम निर्णीत अपील के निर्णय के दिनांक से प्रचलित होगी।

33. योजना प्रारम्भ होने के पश्चात् उसमें परिवर्तन.—(1) किसी आवास या सुधार योजना के प्रचलित हो जाने के पश्चात्, किन्तु उसके पूर्ण रूप से निष्पादित किये जाने के पूर्व किसी समय, परिषद् उन कारणों से जो अभिलिखित किये जायेंगे उसमें परिवर्तन कर सकती है अथवा उसे निरस्त कर सकती है :

प्रतिबन्ध यह है कि—

(क) यदि किसी परिवर्तन से किसी योजना के निष्पादक के संबंध में अनुमानित व्यय दस प्रतिशत से अधिक बढ़ने की संभावना हो, अथवा किसी परिवर्तित योजना पर बीस लाख रुपये से अधिक व्यय अनुमानित हो तो, राज्य सरकार की पूर्व स्वीकृति बिना परिवर्तन नहीं किया जायेगा;

(ख) कोई ऐसा परिवर्तन करने के पूर्व जिससे किसी भूमि या भवन का, जिसका मूल योजना के अन्तर्गत अर्जन करने का प्रस्ताव न हो, अनुबंध से भिन्न अर्जन अन्तर्ग्रस्त हो, या जिसके कारण किसी ऐसी भूमि पर, जिस पर योजना के अन्तर्गत कोई आसुधार शुल्क का भुगतान देय न हो, ऐसा शुल्क देय हो जाय तो परिषद् प्रस्तावित परिवर्तन की एक नोटिस ऐसे प्रपत्र में और उन व्यक्तियों अथवा व्यक्तियों के वर्गो पर और ऐसी रीति से जो नियत की जाय, तामील करेगी, और नोटिस तामील किये जाने के दिनांक से 30 दिन अथवा ऐसी बढ़ायी गयी अवधि जिसके लिये परिषद् पर्याप्त कारण से अनुज्ञा दे, के भीतर नोटिस के अनुसरण में प्राप्त आपत्तियों पर, यदि कोई हो, विचार करेगी तथा आपत्तिकर्ताओ को सुनवाई का अवसर देगी;

(ग) राज्य सरकार की पूर्व स्वीकृति के बिना बीस लाख रुपये से अधिक अनुमानित व्यय की कोई योजना परिवर्तित या निरस्त नहीं जायेगी।

(2) उपधारा (1) के अधीन किसी योजना में किया गया कोई परिवर्तन या निरस्तीकरण गजट में विज्ञापित किया जायेगा और वह विज्ञप्ति के दिनांक से इस प्रकार प्रभावी होगा कि किसी परिष्कार का मूल योजना के अन्तर्गत पहले से की गयी किसी बात की वैधता पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़ेगा।

34. योजना का निष्पादन.—

(1) किसी आवास या सुधार योजना के प्रचलित हो जाने पर, परिषद् उसके निष्पादन के लिये तुरन्त कार्यवाही करेगी, और भावी सड़क योजना या प्रसार योजना की दशा में, योजना में निर्दिष्ट या उसके द्वारा बढ़ायी गयी अवधि के भीतर उसे पूरा करेगी। योजना का निष्पादन पूरा होने पर परिषद् गजट में तदर्थ घोषणा विज्ञापित करेगी।

(2) उपधारा (1) की किसी बात से यह न समझा जायेगा कि वह परिषद् को किसी योजना के निष्पादन में राज्य सरकार के अथवा किसी स्थानीय प्राधिकारी के किसी अभिकरण (एजेन्सी) को उस सरकार या प्राधिकारी की सहमति से लगाने से निषिद्ध करती है।

35. [1][योजना] के लिए प्रस्तावित या उसमें समाविष्ट क्षेत्र में भवन निर्माण करने पर निर्बन्धन.—[2][आवास या सुधार योजना] के संबंध में धारा 28 के अधीन नोटिस प्रकाशित कर दिया गया हो, तो कोई व्यक्ति, जब तक कि योजना परित्यक्त या स्वीकृत न कर दी जाय, और यदि योजना प्रचलित हो तो, उसके प्रचलित होने के दिनांक से दो वर्ष की अवधि के

---

1. उ०प्र० अधिनियम संख्या 47 सन् 1976 द्वारा प्रतिस्थापित।
2. उ०प्र० अधिनियम संख्या 47 सन् 1976 द्वारा प्रतिस्थापित।

भीतर, योजना में, समाविष्ट क्षेत्र में किसी भवन का निर्माण, पुनर्निर्माण, परिवर्द्धन या परिवर्तन अथवा अन्य रूप से किसी भूमि का विकास योजना के विरुद्ध या ऐसी शर्तो व प्रतिबन्धों के प्रतिकूल जिन्हें आवास आयुक्त, तदर्थ अनुज्ञा के लिये प्रार्थना-पत्र दिये जाने पर आदेश द्वारा आरोपित करे, न करेगा।

(2) आवास आयुक्त के उपधारा (1) के अधीन अनुज्ञा न देने अथवा शर्त या प्रतिबन्ध आरोपित करने के आदेश से क्षुब्ध कोई व्यक्ति, ऐसे समय के भीतर जो नियत किया जाय, परिषद् को अपील कर सकता है, जिसका उस पर निर्णय अन्तिम होगा।

36. मलिन बस्ती सुधार और निपातन योजना के संबंध में विशेष अधिकार.—(1) किसी मलिन बस्ती सुधार और निपातन योजना के प्रचलित होने के पश्चात् किसी भी समय आवास आयुक्त, योजना में समाविष्ट क्षेत्र के संबंध में—

(क) किसी भवन या भूमि के स्वामी पर नोटिस तामील कर सकता है, जिसमें इस बात की अपेक्षा की जाये कि ऐसे उचित समय के भीतर, जो पैंतालीस दिन से कम न होगा, जो नोटिस में उल्लिखित किया जाय या जो उसके द्वारा समय-समय पर बढ़ाया जाय, भवन या भूमि में नोटिस में निर्दिष्ट कोई सुधार कार्य करे, और चूक करने की दशा में, उन समस्त या किन्ही बातों को, जो नोटिस के द्वारा किये जाने के लिये अपेक्षित हो, ऐसे अभिकरण से करा सकता है जिसे वह तदर्थ निर्दिष्ट करे;

(ख) किसी ऐसे भवन के स्वामी पर, जो उसकी राय में मानव निवास के लिये उपयुक्त न हो और जो उचित व्यय करके भी इस प्रकार उपयुक्त बनाये जाने के योग्य न हो, और प्रत्येक ऐसे अन्य व्यक्ति पर जिसके बारे में आवास आयुक्त को जानकारी हो कि उसका भवन में कोई स्वप्न है, चाहे वह पट्टेदार, बन्धकी या अन्य रूप से हो, नोटिस तामील कर सकता है, जिसमें उससे निर्दिष्ट समय के भीतर यह कारण बताने को कहेगा कि भवन गिराने का आदेश क्यों न दिया जाय और उन व्यक्तियों को सुनवाई का समुचित अवसर देने के पश्चात् स्वामी को यह निदेश दे सकता है कि वह भवन खाली होने के दिनांक से छः सप्ताह के भीतर या ऐसी अतिरिक्त अवधि के भीतर, जिसकी अनुमति दी जाय, उसे गिरा दे, और चूक करने की दशा में, उसे ऐसे अभिकरण द्वारा गिरवा सकता है जिसे वह तदर्थ निर्दिष्ट करे;

(ग) खण्ड (क) और (ख) में उल्लिखित किन्हीं भी प्रयोजनों के लिये, किसी भवन या भूमि के अध्यासी पर, इस आशय का नोटिस तामील कर सकता है कि वह उसमें निर्दिष्ट अवधि के भीतर, जो नोटिस के तामील किए जाने के दिनांक से तीस दिन से कम न होगी, उसे खाली कर दे, तथा चूक करने की दशा में उक्त भवन या भूमि को खाली करा सकता है, और उस प्रयोजन के लिये आवश्यक बल का प्रयोग कर सकता है।

(2) यदि आवास आयुक्त उपधारा (1) के अधीन कोई सुधार कार्य करायें तो उस पर किया गया व्यय, जिनके अन्तर्गत मांग के दिनांक से भुगतान के दिनांक तक ऐसी दर से

ब्याज भी सम्मिलित है तो नियत की जाय, आवास आयुक्त द्वारा अवधारित किया जायेगा, और परिषद् उसे, यथास्थिति, भवन या भूमि के स्वामी से, ऐसी किस्तों में, जो नियत की जाये, मालगुजारी की बकाया के रूप में वसूल कर सकेगी:

प्रतिबन्ध यह है कि स्वामी का दायित्व, आवास आयुक्त का यह समाधान कर देने पर कि—

(क) वह किसी अन्य व्यक्ति की ओर से केवल अभिकर्ता या न्यासी के रूप में भवन या भूमि का किराया लेता रहा है, और

(ख) उस अन्य व्यक्ति की ओर से उसके पास संपूर्ण मांग को पूरा करने के लिये पर्याप्त धन नहीं है,

अभिकर्ता या न्यासी के रूप में उसके हाथ में कुल धनराशि तक सीमित होगा।

(3) यदि आवास आयुक्त उपधारा (1) के अधीन किसी भवन को गिरवा दे तो गिराने के व्यय की पूर्ण रूप से प्रतिपूर्ति इमारती सामान की बिक्री से प्राप्त होने वाली धनराशि से, यदि कोई हो, हो गयी समझी जायेगी। इमारती सामान की बिक्री से प्राप्त धनराशि में भवन गिराने और उसके इमारती सामान की बिक्री में हुये व्यय को, जो आवास आयुक्त द्वारा अवधारित किया जायेगा, काटने के पश्चात् शेष, यदि कोई हो, का भुगतान स्वामी को कर दिया जायगा :

प्रतिबन्ध यह है कि यदि भवन का स्वामी बिक्री के पूर्व इमारती सामान को या उसके किसी भाग को हटाना चाहे तो वह आवास आयुक्त को, अनुमत समय के भीतर, भवन को गिराने के समस्त व्यय का भुगतान करके उसे उठा सकता है।

(4) यदि उपधारा (1) के अधीन कोई सुधार कार्य किसी भवन में किया गया हो और परिषद् द्वारा अनुरक्षित किया जाता हो तो परिषद् ऐसे अनुरक्षण के व्यय को जो आवास आयुक्त द्वारा अवधारित किया जायेगा, भवन के अध्यासी से मालगुजारी की बकाया के रूप में वसूल कर सकेगी।

(5) यदि एक से अधिक व्यक्ति भूमि या भवन के स्वामी अथवा अध्यासी हों, या उनका पट्टेदार, बन्धकी या अन्य रूप में भवन में स्वतत्व हो तो, आवास आयुक्त उपधारा (2), उपधारा (3) या उपधारा (4) के अधीन अवधारित व्यय के संबंध में प्रत्येक ऐसे व्यक्ति के दायित्व को अवधारित कर सकता है।

(6) यदि इस धारा के अधीन किसी आदेश के अनुसरण में किसी भवन को खाली करने का आदेश दिया गया हो, तो आवास आयुक्त, यथाशक्य, भवन के अध्यासी को ऐसी रीति से और उस सीमा तक, जो नियत की जाय, अस्थायी वैकल्पिक गृह-स्थान देगा।

(7) उपधारा (2), उपधारा (3) या उपधारा (4) के अधीन व्यय की धनराशि के अवधारण अथवा उपधारा (5) के अधीन अभिभाजन के आदेश से क्षुब्ध कोई व्यक्ति, न्यायाधिकरण को उक्त आदेश के विरुद्ध ऐसी अवधि के भीतर, जो नियत की जाय, अपील कर सकता है और उस पर न्यायाधिकरण का निर्णय अन्तिम होगा।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लिये पदों "अध्यासी", "स्वामी" और "सुधार कार्य" के वही अर्थ होंगे जो समय-समय पर यथासंशोधित उत्तर प्रदेश मलिन बस्ती क्षेत्र (सुधार और निपातन) अधिनियम, 1962 की धारा 2 के खण्ड (च), (छ) और (ठ) में उनके लिये दिये गये हों, इस संशोधन के साथ कि उक्त-खण्ड (ठ) में शब्द "सक्षम् प्राधिकारी" के स्थान पर शब्द आवास आयुक्त" प्रतिस्थापित किया जायेगा; और पद "उचित व्यय" का वही अर्थ होगा जो उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) में उसके लिये दिया गया हो।

37. मलिन बस्ती सुधार और निपातन योजना में समाविष्ट क्षेत्र में किरायेदारों के संबंध में उपबन्ध.—(1) किसी ऐसे क्षेत्र में, जिसमें मलिन बस्ती सुधार और निपातन योजना प्रचलित हो, तत्समय प्रचलित किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुये भी, कोई व्यक्ति नियत प्राधिकारी की लिखित पूर्व अनुज्ञा के बिना—

(क) क्षेत्र में किसी भवन या भूमि से किसी किरायेदार को बेदखल करने के लिये कोई डिक्री या आदेश प्राप्त करने के निमित्त न तो कोई बाद संस्थित करेगा और न कोई कार्यवाही करेगा, व

(ख) यदि ऐसे क्षेत्र में किसी भवन या भूमि से किसी किरायेदार को बेदखल करने के लिये योजना प्रारम्भ होने के पूर्व संस्थित किसी वाद या की गई किसी कार्यवाही में कोई डिक्री या आदेश प्राप्त कर लिया जाय, तो ऐसी डिक्री या आदेश निष्पादित न करेगा:

प्रतिबन्ध यह है कि इस उपधारा की कोई बात सरकार, परिषद् या किसी अन्य स्थानीय प्राधिकारी के किसी भवन या भूमि से किसी किरायेदार की किसी विधि के अधीन बेदखली पर अथवा उसके संबंध में लागू न होगी।

(2) उपधारा (1) के अधीन अनुज्ञा देने अथवा न देने में, नियत प्राधिकारी ऐसी प्रक्रिया का अनुसरण करेगा जो नियत की जाये और निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखेगा, अर्थात्—

(क) यदि किरायेदार बेदखल कर दिया जाये तो क्या उसे ऐसा वैकल्पिक गृह-स्थान उपलब्ध हो सकेगा जो उसके सामर्थ्य के भीतर हो;

(ख) क्या बेदखली उप क्षेत्र में मलिन बस्ती के सुधार अथवा निपातन के हित में है;

(ग) ऐसी अन्य बातें, यदि कोई हों, जो नियत की जायें।

(3) नियत प्राधिकारी के उपधारा (1) में अभिदिष्ट अनुज्ञा देने अथवा न देने के किसी आदेश से क्षुब्ध कोई व्यक्ति, ऐसे समय के भीतर, जो नियत किया जाये, न्यायाधिकरण को अपील प्रस्तुत कर सकता है जिसका उस पर निर्णय अन्तिम होगा।

(4) यदि ऐसे क्षेत्र में किसी भवन का काबिज कोई किरायेदार किसी भवन को इस आधार पर खाली कर दे अथवा उससे बेदखल कर दिया जाये कि उसकी आवश्यकता कोई सुधार-कार्य करने अथवा भवन को गिराने और उसका पुर्निर्माण करने के प्रयोजनार्थ है तो, वह किरायेदार, ऐसे समय के भीतर जो नियत किया जाये, नियत प्राधिकारी के पास यह घोषणा कर सकता है कि, यथास्थिति, भवन में सुधार कार्य पूरा हो जाने अथवा उसका पुनर्निर्माण हो जाने के पश्चात् उस भवन का दखल उसे फिर से दे दिया जाये।

(5) ऐसी घोषणा प्राप्त होने पर नियत प्राधिकारी आदेश द्वारा भवन के स्वामी से यह अपेक्षा करेगा कि वह ऐसे समय के भीतर जो नियत किया जाये, भवन के सुधार-कार्य अथवा उसके पुनर्निर्माण की योजनाएं और उसके व्यय के अनुमान तथा ऐसे अन्य विवरण जो आवश्यक हों, प्रस्तुत करें, और प्रस्तुत की गयी ऐसी योजनाओं तथा अनुमानों और विवरणों, यदि कोई हो, के आधार पर तथा उपधारा (8) के उपबन्धों को ध्यान में रख कर और ऐसी जांच करने के पश्चात्, जो वह उचित समझे, अस्थायी रूप से ऐसा किराया अवधारित करेगा जो किरायेदार द्वारा, यदि उपधारा (4) के अधीन उसके द्वारा की गयी घोषणा के अनुसरण में उसे उस भवन का दखल फिर से दे दिया जाये, देय होगा।

(6) उपधारा (5) के अधीन अस्थायी रूप से अवधारित किराये की सूचना नियत रीति से किरायेदार तथा स्वामी को दी जायेगी।

(7) यदि किरायेदार ऐसी सूचना प्राप्त होने के पश्चात् नियत प्राधिकारी को लिखित रूप में, ऐसे समय के भीतर जो नियत किया जाये, यह सूचित कर दे कि जब उपधारा (4) के अधीन उसके द्वारा की गयी घोषणा के अनुसरण में उसे उस भवन का दखल फिर से दे दिया जाये तो, वह स्वामी को, जब तक कि उपधारा (8) के अधीन अन्तिम रूप से किराया अवधारित न हो जाये, उपधारा (5) के अधीन अस्थायी रूप से अवधारित किराया देगा तो नियत प्राधिकारी स्वामी को यह निदेश देगा कि वह, यथास्थिति, भवन में सुधार-कार्य पूरा हो जाने अथवा उसका पुनर्निर्माण हो जाने के पश्चात्, किरायेदार को उस भवन का दखल दे दे, और स्वामी ऐसे निदेश का पालन करने के लिये बाध्य होगा।

(8) यदि कोई ऐसा भवन, उपधारा (7) के अधीन जारी किये गये किसी निदेश के अनुसरण में किसी किरायेदार को किराये पर दे दिया जाये तो किरायेदार उस क्षेत्र में प्रचलित किराये के नियंत्रण से सम्बद्ध किसी विधि के होते हुये भी, स्वामी को ऐसा किराया देने का भागी होगा जो, यथास्थिति, भवन में सुधार-कार्य अथवा उसका पुनर्निर्माण पूरा हो जाने के दिनांक से नब्बे दिन के भीतर अथवा ऐसे अतिरिक्त समय के भीतर, जिसकी अनुमति पर्याप्त कारण बताये जाने पर दी जाये, नियत प्राधिकारी को तदर्थ प्रार्थना-पत्र दिये जाने पर उसके द्वारा अन्तिम रूप से अवधारित किया जाये, जो निम्नलिखित होगा—

(क) यदि भवन के संबंध में कोई सुधार-कार्य किया गया हो तो उतना वार्षिक किराया जो निम्नलिखित धनराशियों के योग के बराबर हो, अर्थात्—

(1) वार्षिक किराया जो किरायेदार, सुधार-कार्य करने के प्रयोजनार्थ भवन को खाली करने के ठीक पूर्व, दे रहा था;

(2) सुधार-कार्य के व्यय का छः प्रतिशत; और

(3) किसी ऐसी भूमि के जिसे उक्त सुधार-कार्य करने के प्रयोजनार्थ अर्जित किया गया हो, मूल्य का छः प्रतिशत।

(ख) यदि भवन का पुनर्निर्माण किया गया हो तो उतना वार्षिक किराया जो भवन के पुनर्निर्माण के व्यय के तथा जिस भूमि पर भवन का पुनर्निर्माण किया गया हो, उसके मूल्य के योग के चार प्रतिशत के बराबर हो।

स्पष्टीकरण—इस उपधारा के प्रयोजनों के लिये भूमि का मूल्य, भूमि के संबंध में, यदि वह भूमि परिषद् द्वारा धारा 55 के अधीन अर्जित की जाती और भवन में सुधार कार्य या उसका पुर्निर्माण प्रारम्भ करने का दिनांक वह दिनांक होता जिसके अभिदेश से उक्त धारा 55 द्वारा यथा परिष्कृत लैण्ड एक्वीजीशन ऐक्ट 1894 की धारा 23 के अधीन बाजार मूल्य निर्णीत किया जाता, देय प्रतिकर के बराबर धनराशि को समझा जायेगा।

(9) उपधारा (8) के अधीन किराये के अवधारण से क्षुब्ध कोई पक्ष, ऐसे समय के भीतर जो नियत किया जाये, न्यायाधिकरण को अपील कर सकता है, जिसका उस पर निर्णय अन्तिम होगा।

(10) जब उपधारा (8) के अधीन अथवा उपधारा (9) के अधीन अपील पर किराया अन्तिम रूप से अवधारित कर दिया जाये, तो ऐसे अवधारण के पूर्व किरायेदार द्वारा भुगतान की गयी किराये की धनराशि का समायोजन इस प्रकार अन्तिम रूप से अवधारित किराये मे कर दिया जायेगा और यदि इस प्रकार भुगतान की गयी धनराशि, अन्तिम रूप से अवधारित किराये से कम हो, या उससे अधिक हो तो किरायेदार, यथास्थिति, कमी को पूरा करेगा, अथवा धनराशि की वापसी का हकदार होगा।

38. स्थानीय प्राधिकारी में निहित भवन या भूमि का परिषद् को संक्रमण.—(1) जब कभी किसी आवास या सुधार योजना में समाविष्ट क्षेत्र के अन्तर्गत स्थानीय प्राधिकारी में निहित कोई भवन, भूमि अथवा सड़क या उनका कोई भाग आये, तो परिषद् उस स्थानीय प्राधिकारी को नोटिस दे सकती है कि वह योजना के प्रयोजनों के लिये अपेक्षित है, और तदुपरान्त वह भवन, भूमि अथवा सड़क या उनका भाग परिषद में निहित हो जाएगा।

(2) उपधारा (1) के अधीन नोटिस देते समय, यदि परिषद् यह घोषणा करे कि, यथास्थिति, ऐसी भूमि, सड़क अथवा भाग परिषद् द्वारा केवल तब तक के लिये रखा जायेगा, जब तक कि वह धारा 41 के अधीन सड़क या खुले स्थान, या उनके भाग के रूप में स्थानीय प्राधिकारी को पुनर्निहित न कर दिया जाये तो सिवाय उक्त भूमि पर स्थित भवनों के संबंध में, यदि कोई हों, कोई प्रतिकर परिषद् द्वारा स्थानीय प्राधिकारी को देय नहीं होगा।

(3) उपधारा (2) में की गयी व्यवस्था को छोड़कर यदि उपधारा (1) के अधीन कोई भूमि या भवन परिषद् में निहित हो, तो परिषद् स्थानीय प्राधिकारी को प्रतिकर स्वरूप, उस भूमि या भवन अथवा दोनों, जैसी भी दशा में हो, के बाजार मूल्य, जो योजना के प्रचलित होने के दिनांक पर हो, के बराबर धनराशि का भुगतान करेगी।

(4) यदि उपधारा (2) के अधीन की गयी घोषणा के पश्चात्, भूमि स्थानीय प्राधिकारी में पुनर्निहित न की जाये, तो परिषद् उस भूमि के संबंध में उपधारा (3) के उपबन्धों के अनुसार स्थानीय प्राधिकारी को प्रतिकर का भुगतान करेगी।

(5) यदि कोई ऐसा प्रश्न उठे कि कोई भवन, भूमि या सड़क अथवा उनका कोई भाग योजना के प्रयोजनों के लिये अपेक्षित है अथवा नहीं, या इस धारा के अधीन प्रतिकर देय है अथवा नहीं, या ऐसे प्रतिकर की धनराशि ठीक है या नहीं, तो वह मामला राज्य सरकार को अभिदिष्ट किया जायेगा, जिसका उस पर निर्णय अंन्तिम होगा।

39. योजना के प्रयोजन के लिये निजी सड़क या हाता का परिषद् को संक्रमण.—(1) जब कभी कोई ऐसी निजी सड़क या हाता या उनके किसी भाग की, जिस पर जनसाधारण या जनसाधारण के किसी भाग को आने जाने या उसका उपयोग करने का अधिकार हो और

जो परिषद् या किसी स्थानीय प्राधिकारी में निहित न हो, किसी आवास या सुधार योजना के निष्पादन के लिये आवश्यकता हो तो ऐसी सड़क या हाता अथवा उनके भाग पर उनके निकट के प्रमुख स्थान पर, परिषद् एक नोटिस चिपकवायेगी जिस पर आवास आयुक्त के हस्ताक्षर होंगे और जिसमें—

(क) उस प्रयोजन का उल्लेख होगा जिसके लिये ऐसी सड़क, हाता या उनका भाग अपेक्षित हो, और,

(ख) यह घोषणा होगी कि परिषद्, नोटिस में निर्दिष्ट किये जाने वाले दिनांक को या उसके पश्चात्, ऐसी सड़क हाता या उनके भाग का प्रभार, उनके स्वामी से ले लेगी, और साथ ही साथ ऐसे नोटिस की एक प्रतिलिपि उस सड़क या हाता या उनके भाग के स्वामी को भेजेगी।

(2) नोटिस में तदर्थ निर्दिष्ट दिनांक के पूर्व लिखित रूप में प्राप्त आपत्तियों पर, यदि कोई हों, विचार करने के पश्चात्, परिषद् ऐसी सड़क या हाता या उनके भाग को अपने प्रभार में ले सकती है और तदुपरान्त वह परिषद् में निहित हो जायेगी।

(3) जब परिषद् उपधारा (2) के अधीन अपने में निहित किसी निजी सड़क या हाता या उनके भाग में परिवर्तन करे अथवा उसे बन्द कर दे तो वह उस पर अपना अधिकार निहित होने के दिनांक को बाजार मूल्य के आधार पर अवधारित प्रतिकर का भुगतान उसके पूर्व स्वामी को करेगी।

(4) यदि ऐसी सड़क, या हाता, या उनके भाग में परिवर्तन करने अथवा उसे बन्द करने से, उससे संलग्न संपत्ति के स्वामियों को, अथवा पास-पड़ोस के निवासियों को क्षति पहुंचे या सारवान असुविधा हो तो उन व्यक्तियों के उपयोग के लिये जो किसी संपत्ति या स्थान पर प्रवेश करने के साधन स्वरूप ऐसी सड़क या हाता अथवा उनके भाग का उपयोग करने के हकदार थे, परिषद् तुरन्त अन्य उचित साधन की व्यवस्था करेगी और यदि प्रवेश करने के ऐसे साधनों से ऐसी क्षति या असुविधा के लिये किसी ऐसे स्वामी अथवा निवासी की पर्याप्त क्षतिपूर्ति नहीं होती तो परिषद् उसे धन के रूप में समुचित प्रतिकर भी देगी।

40. परिषद् में निहित सड़कों की मरम्मत.—जब कभी परिषद् अपने में निहित किसी सड़क पर सार्वजनिक यातायात के लिये उपयोग करने की अनुज्ञा दे तो वह सड़क की मरम्मत करके अच्छी दशा में रखेगी और उसका उपयोग करने वाले व्यक्तियों की सुरक्षा तथा सुविधा के लिये सभी आवश्यक कार्य करेगी।

41. सड़कों और खुले स्थानों का स्थानीय प्राधिकारी को संक्रमण.—(1) परिषद् अपने द्वारा विन्यासित या परिवर्तित और अपने में निहित किसी सड़क को ऐसे स्थानीय प्राधिकारी को, जिसके अधिकार क्षेत्र में वह स्थित हो, एक मास का नोटिस देने के पश्चात् सौंप सकती है, जब योजना में व्यवस्थित रीति से—

(क) ऐसी सड़क, यथाविधि समतल और पक्की बना दी जाये,

(ख) ऐसी सड़कों पर रोशनी की व्यवस्था करने के लिये आवश्यक रोशनी के खंभों की व्यवस्था कर दी जाये; और

(ग) ऐसी सड़क पर जल, नालियों और मल नालियों (sewers) की व्यवस्था कर दी जाये।

(2) जब किसी आवास या सुधार योजना का निष्पादन करते समय परिषद् द्वारा वायुसंचालन या मनोरंजन के प्रयोजनों के लिये किसी खुले स्थान की व्यवस्था की गई हो,

तो परिषद् यह संकल्प कर सकती है कि योजना पूरी हो जाने पर ऐसा स्थान सम्बद्ध स्थानीय प्राधिकारी को संक्रमित कर दिया जायेगा, और तदुपरान्त ऐसे प्राधिकारों को संकल्प की सूचना दी जायेगी।

(3) स्थानीय प्राधिकारी उपधारा (3) के अधीन नोटिस की प्राप्ति पर परिषद् को आपत्ति कर सकता है या परिषद् से यह अपेक्षा कर सकता है कि किसी ऐसे खुले स्थान का इस प्रकार संक्रमण किये जाने के पूर्व वह ऐसे स्थान को घेर दे, समतल और दूर्बायुक्त बना दे, नाली की व्यवस्था और भूमि का विन्यास कर दे तथा वहां पर पद-मार्ग और रोशनी के खंभों की व्यवस्था कर दे। परिषद् ऐसे आपत्तियों तथा अपेक्षाओं पर विचार करेगी और जब उस प्रस्ताव की पुनः अभिपुष्टि या परिष्कार करने के लिये अन्तिम संकल्प पारित करेगी।

(4) यथास्थिति, नोटिस की अवधि समाप्ति पर या अंतिम संकल्प के अनुसार ऐसी सड़क या खुला स्थान, स्थानीय प्राधिकारी में निहित होगा और तत्पश्चात् उसके अनुरक्षण, मरम्मत, रोशनी और सफाई की व्यवस्था स्थानीय प्राधिकारी द्वारा की जायेगी।

(5) यदि इस धारा में अभिदिष्ट किसी मामले के संबंध में परिषद् और स्थानीय प्राधिकारी के बीच कोई मतभेद हो तो वह मामला राज्य सरकार को अभिदिष्ट किया जायेगा जिसका उस पर निर्णय अन्तिम तथा परिषद् और स्थानीय प्राधिकारी पर बन्धनकारी होगा।

42. सड़क पर निर्माण-कार्य की अवधि में प्रबन्ध.—(1) जब परिषद् द्वारा अपने में निहित किसी सड़क पर कोई निर्माण-कार्य, जो वैधतः किया जा सकता है, निष्पादित किया जा रहा हो तो, वह यह निदेश दे सकती है कि ऐसे निर्माण-कार्य के दौरान में वह सड़क सामान्य अथवा किसी निर्दिष्ट प्रकार के यातायात के लिये पूर्वतः अथवा अंशतः बन्द रहेगी।

प्रतिबन्ध यह है कि परिषद्, जहां तक उचित रूप से व्यवहार्य हो,—

(क) यातायात के रास्ते का या उसे दूसरी ओर मोड़ने के लिये,

(ख) ऐसे सभी भू-गृहादि तक पहुंचने के लिये, जहां पहले ऐसी सड़क से प्रवेश किया जाता था, और

(ग) किसी जलोत्सारण, जल-संभरण या रोशनी के साधन के लिये जिस पर निर्माण-कार्य के निष्पादन के कारण बाधा पड़ती हो, पर्याप्त व्यवस्था करेगी।

(2) कोई ऐसा निदेश दिये जाने पर परिषद् सड़क के प्रमुख स्थान पर या उसके निकट पर ऐसा आदेश चिपकायेगी जिसमें इस प्रकार निदेशित सीमा तक यातायात का निषेध दिया होगा, और सड़क के आर-पार या उस पर ऐसी छड़ें, जंजीरें अथवा खंभे लगवायेगी जिन्हें वह आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिये उचित समझे।

43. सार्वजनिक सड़क या हाता बन्द करने का अधिकार.—(1) परिषद्—

(क) अपने में निहित किसी सड़क या उसके किसी भाग को मोड़ सकती है, व्यपवर्तन कर सकती है, जन-साधारण के प्रयोग के लिये समाप्त अथवा स्थायी रूप से बन्द कर सकती है;

(ख) अपने में निहित किसी हाता या उसके भाग को जनसाधारण के उपयोग के लिये समाप्त, अथवा स्थायी रूप से बन्द कर सकती है।

(2) जब कभी परिषद् अपने में निहित किसी सड़क या हाता अथवा उसके किसी भाग को जनसाधारण के उपयोग के लिये समाप्त कर दे अथवा उसे स्थायी रूप से बन्द कर दे, वह किसी ऐसे व्यक्ति को, इस प्रकार समाप्त या बन्द किये जाने के कारण हुई विशेष क्षति के लिये ऐसे प्रतिकर का भुगतान करेगी जो नियमों के अनुसार अवधारित किया जाये।

(3) जब परिषद् में निहित कोई सड़क या हाता अथवा उसका कोई भाग उपधारा (1) के अधीन स्थायी रूप से बन्द कर दिया जाय तो, परिषद् उसका उतना भाग, जिसकी उसे कोई आवश्यकता न हो, बेच या पट्टे पर दे सकती हैं।

44. अन्य स्थानीय प्राधिकारियों के अधिकारों पर इस अधिनियम के अधीन योजनाओं का प्रभाव.—(1) यदि धारा 28 के अधीन किसी क्षेत्र के संबंध में आवास या सुधार योजना का कोई नोटिस प्रकाशित हो जाने के पश्चात् राज्य सरकार की यह राय हो कि लोक-हित में यह इष्टकर है कि उत्तर प्रदेश नगर महापालिका अधिनियम, 1959 के अधीन बनायी गयी किसी ऐसी योजना के, जिसके अन्तर्गत वही क्षेत्र अथवा उसका भाग आता हो, संबंध में उक्त अधिनियम के अधीन आगे की कार्यवाही चाहे वह विज्ञप्ति जारी करने, विचार करने, स्वीकृति देने, परित्याग करने अथवा अन्य रूप में हो, नहीं की जानी चाहिये, तो वह, सम्बद्ध महापालिका को लिखित आपत्तियां प्रस्तुत करने का अवसर देने के पश्चात् यह निदेश दे सकती है कि योजना के संबंध में इस प्रकार आगे की कार्यवाही नहीं की जायेगी अथवा उसके संबंध में आगे की कार्यवाही ऐसे परिष्कारों के अधीन रहते हुये की जायेगी जो निर्दिष्ट की जाये, और यह भी कि योजना अथवा उसके ऐसे भाग से, जो निर्दिष्ट किया जाये, सम्बद्ध आगे की कार्यवाहियां, यदि कोई हों, परिषद् को संक्रमित हो जायेंगी और तुदपरान्त परिषद्, यथास्थिति, योजना अथवा उसके भाग के संबंध में आगे की कार्यवाही इस अधिनियतम के तदनुरूप उपबन्धों के अनुसार उस प्रक्रम से करेगी जिस पर उसे वह संक्रमित की गयी हो :

प्रतिबन्ध यह है परिषद् यदि उचित समझे तो उक्त अधिनियम के अधीन पहले से किये गये किसी उपाय या कार्यवाही को वापस ले सकती है और इस अधिनियम के तदनुरूप उपबन्धों के अधीन उक्त उपाय या कार्यवाही को नये सिरे से कर सकती है।

(2) यदि धारा 28 के अधीन नोटिस प्रकाशित कर दिया गया हो तो कोई भी नगर महापालिका या अन्य स्थानीय प्राधिकारी जिसका योजना में समाविष्ट किसी क्षेत्र पर हो राज्य सरकार की अनुज्ञा के बिना ऐसे क्षेत्र में किसी संपत्ति का निस्तारण नहीं करेगा और न किसी संपत्ति पर या उसके संबंध में कोई ऐसा कार्य करेगा जिससे कि संपत्ति के प्रकार में कोई परिवर्तन हो जाये और न ऐसी संपत्ति के संबंध में कोई विन्यास या सुधार करेगा और न उस संपत्ति को कोई क्षति पहुँचायेगा।

(3) राज्य सरकार सामान्य या विशेष आदेश द्वारा इस अधिनियम और उक्त अधिनियम के अधीन परस्पर विरोधी या परस्त पर व्याप्त योजनाओं के बीच समायोजन की व्यवस्था कर सकती है :

स्पष्टीकरण—सन्देह होने की दशा में पद "इस अधिनियम के तदनुरूप उपबन्ध" का तात्पर्य ऐसे उपबन्ध से हैं जिसे राज्य सरकार उस प्रयोजन के सामान्य या विशेष आदेश द्वारा तदनुरूप उपबन्ध निर्दिष्ट करे।

45. योजना या प्रबन्ध आदि के प्रयोजनार्थ राज्य सरकार द्वारा परिषद् को भूमि आदि का संक्रमण.—राज्य सरकार, परिषद् से परामर्श करने के पश्चात् अपनी या अपने में निहित अथवा उत्तर प्रदेश मलिन बस्ती क्षेत्र (सुधार और निपातन) अधिनियम, 1962 (उ०प्र० अधिनियम संख्या 18, 1962) के अधीन अर्जित या उस अधिनियम के अधीन सक्षम प्राधिकारी को उपलब्ध करायी गयी किसी भूमि को चाहे वह उसके सीधे प्रबन्ध में हो या किसी स्थानीय

प्राधिकारी के प्रबन्ध में हो, ऐसी शर्तों तथा प्रतिबंधों पर जिसमें निर्दिष्ट संभाव्यता के होने पर सरकार द्वारा पुनर्ग्रहण करने की शर्त भी हो सकती है, जो सरकार आरोपित करना उचित समझे, परिषद को संक्रमित कर सकती है।

46. दूसरों की प्रेरणा पर अन्य परियोजनाओं को हाथ में लेने का परिषद् का अधिकार.—राज्य सरकार के अनुरोध पर, या राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से, किसी अन्य व्यक्ति के अनुरोध पर परिषद् किसी आवास या अन्य भवन-निर्माण परियोजना के निष्पादन का काम ऐसी शर्तों और प्रतिबन्धों पर, जो तय हों हाथ में ले सकती है।

47. परिषद् द्वारा अन्य योजनाओं का निष्पादन.—(1) राज्य सरकार के उपधारा (2) के अधीन अधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, परिषद् किसी अन्य स्थानीय प्राधिकारी द्वारा अपने हाथ में ले ली गयी किसी आवास या सुधार योजना का निष्पादन अथवा आगे का निष्पादन अथवा आगे का निष्पादन ऐसी शर्तों और प्रतिबन्धों पर जो उसके और उस स्थानीय प्राधिकारी के बीच तय हो, अपने हाथ में ले सकती है और तत्पश्चात् परिषद् ऐसी योजना का निष्पादन इस प्रकार करेगी कि मानों वह इस अधिनियम की धारा 32 की उपधारा (5) के अधीन प्रचलित हुई हो।

(2) यदि राज्य सरकार की यह राय हो कि लोक-हित में यह इष्टकर है कि उत्तर प्रदेश नगर महापालिका अधिनियम, 1959 के अधीन स्वीकृत या आंशिक रूप से निष्पादित किसी सुधार योजना में आगे की कार्यवाही परिषद् द्वारा की जानी चाहिये तो वह सम्बद्ध नगरपालिका को लिखित आपत्ति करने का अवसर देने के पश्चात् निदेश दे सकती है कि किसी ऐसी योजना का निष्पादन या आगे का निष्पादन उसको ऐसी शर्तों और प्रतिबन्धों पर, जो वह उचित समझे, संक्रमित कर दिया, और तत्पश्चात् वह उस योजना का निष्पादन इस प्रकार करेगी कि मानों वह इस अधिनियम की धारा 32 की उपधारा (5) के अधीन प्रचलित हुई हो।

(3) जब कभी उपधारा (1) या उपधारा (2) के अधीन परिषद् द्वारा किसी योजना का निष्पादन अथवा आगे का निष्पादन अपने हाथ में लिया जाये तो उसका ऐसी योजना के संबंध में आसुधार शुल्क लगाने का वही अधिकार होगा, मानों उक्त योजना इस अधिनियम के अधीन बनायी और स्वीकृत की गयी हो :

प्रतिबन्ध यह है कि किसी ऐसी योजना की दशा में धारा 50 में अभिदिष्ट घोषणा नोटिस द्वारा की जायेगी जो गजट में और ऐसे दो दैनिक समाचार-पत्रों में प्रकाशित किया जायेगा जिनमें से कम से कम एक हिन्दी का समाचार-पत्र होगा और जिनका योजना में समाविष्ट क्षेत्र परिचलन हो और उसकी एक प्रतिलिपि ऐसे स्थानीय प्राधिकारी या प्राधिकारियों को भेजी जायेगी जिसके अधिकार क्षेत्र के भीतर योजना में समाविष्ट क्षेत्र पड़ता हो। तदुपरान्त धारा 29 और 30 के उपबन्ध, जहां तक उनका संबंध आसुधार शुल्क लगाने के प्रस्तावों से है, आवश्यक परिवर्तनों के साथ लागू होंगे और परिषद् उक्त उपबन्धों के अनुसरण में प्राप्त आपत्तियों पर, यदि कोई हो विचार करने के पश्चात् और आपत्तिकर्ताओं को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् या तो प्रस्ताव को परित्यक्त कर सकती है या उसकी, परिष्कारों सहित अथवा परिष्कार रहित, पुष्टि कर सकती है।

(4) जब कभी उपधारा (1) या उपधारा (2) के अधीन किसी योजना का निष्पादन या आगे का निष्पादन परिषद् को संक्रमित किया जाये तो नगर महापालिका द्वारा या उसके विरुद्ध उस योजना से संबंद्ध विचाराधीन कोई विधिक कार्यवाही जिसके अन्तर्गत लैण्ड

एक्वीजीशन ऐक्ट, 1894 के अधीन कोई कार्यवाही भी है, परिषद् द्वारा या उसके विरुद्ध जारी रखी जा सकती है, अभियोजित की जा सकती है अथवा प्रवर्तित की जा सकती है।

48. पर्यवेक्षण और प्रतिशत व्यय.—परिषद् अपने द्वारा बनायी गयी किसी आवास या सुधार योजना अथवा अपने हाथ में लिये गये किसी निर्माण कार्य के व्यय में ऐसी दरों पर, जो वह निश्चित करे, पर्यवेक्षण और प्रतिशत व्यय सम्मिलित कर सकती है :

प्रतिबन्ध यह है कि इस प्रकार निश्चित की गयी दर, योजना या निर्माण-कार्य के अन्य व्यय के साढ़े बारह प्रतिशत से अधिक न होगी।

49. परिषद् के अभिलेखों को मंगाने और किसी योजना का परिष्कार या रद्द करने का राज्य सरकार का अधिकार.—(1) इस अध्याय के उपर्युक्त उपबन्धों में किसी बात के होते हुये भी, राज्य सरकार किसी ऐसी आवास या सुधार योजना, जिसे परिषद् द्वारा बनाने का प्रस्ताव हो या जो उसके द्वारा बनायी गयी हो अथवा निष्पादित की जा रही हो, के संबंध में किसी समय परिषद् के अभिलेखों को मंगा सकती है और उनका परीक्षण कर सकती है तथा किसी ऐसी योजना को परिष्कृत या रद्द कर सकती है अथवा फिर से विचार करने के लिये परिषद् को लौटा सकती है या यह निर्देश दे सकती हे कि योजना ऐसे परिष्कारों के साथ निष्पादित की जाये जो निर्दिष्ट किये जायें अथवा ऐसे अन्य निदेश जारी कर सकती है जो वह उचित समझे :

प्रतिबन्ध यह है कि यदि किसी परिष्कार में किसी ऐसी भूमि या भवन का, जिसका मूल योजना के अन्तर्गत अर्जन करने का प्रस्ताव न हो, अनुबन्ध भिन्न अर्जन अन्तर्ग्रस्त हो, या किसी परिष्कार के कारण किसी ऐसी भूमि पर असुधार शुल्क देय हो जिस पर मूल योजना के अन्तर्गत कोई ऐसा शुल्क देय न हो तो, इस प्रकार प्रभावित व्यक्तियों को प्रस्तावित परिष्कार के विरुद्ध आपत्तियाँ करने का अवसर दिये बिना परिष्कार नहीं किया जायेगा।

(2) राज्य सरकार, उपधारा (1) के अधीन आदेश देने तक किसी ऐसी योजना का निष्पादन रोक सकती है।

(3) किसी योजना में उपधारा (1) के अधीन प्रत्येक परिष्कार गजट में विज्ञापित किया जायेगा और वह विज्ञप्ति के दिनांक से प्रभावी होगा, किन्तु किसी ऐसे परिष्कार का मूल योजना के अन्तर्गत पहले की गयी किसी बात की वैधता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

अध्याय 4

आसुधार शुल्क

50. आसुधार शुल्क के संबंध में घोषणा.—(1) जब परिषद् की राय में, किसी आवास या सुधार योजना के निष्पादन से योजना समाविष्ट क्षेत्र में किसी ऐसी भूमि का, जो उसके निष्पादन के लिये अपेक्षित न हो, मूल्य बढ़ जायेगा तो, परिषद् योजना बनाते समय यह घोषणा कर सकती है कि योजना के निष्पादन के फलस्वरूप भूमि के मूल्य में वृद्धि होने के संबंध में भूमि के स्वामी या उसमें स्वत्व रखने वाले किसी व्यक्ति द्वारा आसुधार शुल्क देय होगा।

(2) मूल्य में ऐसी वृद्धि वह धनराशि होगी जितनी धनराशि योजना का निष्पादन पूरा हो जाने पर भूमि का मूल्य, जिसका अनुमान इस आधार पर लगाया जायेगा मानों उक्त भूमि पर भवन न हों, योजना के निष्पादन के पूर्व उक्त भूमि के मूल्य से, जिसका अनुमान भी उसी

रीति से लगाया जायेगा, बढ़ जाये; और आसुधार शुल्क मूल्य में ऐसी वृद्धि का एक तिहाई होगा।

(3) परिषद्, राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से यह घोषणा कर सकती है कि ऐसा आसुधार शुल्क किसी ऐसी भूमि के संबंध में भी देय होगा जो योजना में समाविष्ट क्षेत्र में स्थित न हो, किन्तु उस क्षेत्र से संलग्न और उसकी सीमाओं के आधे किलोमीटर के भीतर हो, यदि योजना के निष्पादन के फलस्वरूप ऐसी भूमि के मूल्य में वृद्धि हो जायेगी।

51. आसुधार शुल्क का निर्धारण.—(1) जब परिषद् को यह प्रतीत हो कि योजना में इतनी काफी प्रगति हो गई है जिससे कि आसुधार शुल्क की धनराशि अवधारित की जा सके तो, परिषद् तदर्थ संकल्प पारित करके यह घोषणा करेगी कि उक्त शुल्क अवधारित करने के लिये योजना का निष्पादन पूरा हो गया समझा जायेगा और तदुपरान्त प्रत्येक ऐसे व्यक्ति को, जिस पर धारा 29 के अधीन नोटिस तामील किया गया हो अथवा ऐसे व्यक्ति के स्वत्व के उत्तराधिकारी को, जैसी भी दशा हो, इस आशय का लिखित नोटिस देगी की परिषद् धारा 50 के अधीन ऐसी भूमि के संबंध में देय आसुधार शुल्क की धनराशि निर्धारित करने का प्रस्ताव करती है।

(2) ऐसे व्यक्ति को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् परिषद् उसके द्वारा देय आसुधार शुल्क की धनराशि नियत रीति से निर्धारित करेगी, और उस पर शुल्क निर्धारण आदेश की एक प्रतिलिपि तामील करेगी।

(3) उपधारा (2) के अधीन किया गया शुल्क निर्धारण, उपधारा (4) के अधीन अपील के, यदि कोई हो, परिणाम के अधीन रहते हुये, अन्तिम होगा।

(4) उपधारा (2) के अधीन शुल्क लगाने अथवा उसके निर्धारण के किसी आदेश से क्षुब्ध कोई व्यक्ति ऐसे समय के भीतर और ऐसी रीति से, जो नियत की जाये, न्यायाधिकरण के समक्ष अपील कर सकता है।

(5) न्यायाधिकरण, पक्षों को नियत रीति से सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् ऐसा आदेश दे सकता है जो वह उचित समझे।

(6) न्यायाधिकरण, अपील पर निर्णय होने तक, ऐसा अन्तरिम आदेश दे सकता है जो वह उचित समझे।

52. मांग का नोटिस.—(1) जब धारा 51 के अधीन आसुधार शुल्क की धनराशि निर्धारित हो जाये तो, परिषद् नोटिस देकर शुल्कदाता से यह अपेक्षा करेगी कि वह इस प्रकार निर्धारित आसुधार शुल्क का भुगतान दस से अनधिक, ऐसी वार्षिक किश्तों में, और उन दिनांकों तक कर दे जो तदर्थ निश्चित किये जायें :

प्रतिबन्ध यह है कि शुल्कदाता किसी भी समय, आसुधार शुल्क की सम्पूर्ण धनराशि अथवा उस समय देय शेष संपूर्ण धनराशि का भुगतान कर सकता है और ऐसी दशा में उसे ऐसी छूट दी जा सकती है जो नियत की जाये।

(2) यदि उपधारा (1) के अधीन निश्चित दिनांक तक आसुधार शुल्क की किसी किस्त का भुगतान न किया जाये तो, शुल्कदाता द्वारा उस दिनांक से छः प्रतिशत प्रतिवर्ष से अनधिक ऐसी दर से, जो नियत की जाये, ब्याज देय होगा और वह आसुधार शुल्क का भाग समझा जाएगा।

53. भूमि पर प्रभार के रूप में आसुधार शुल्क.—(1) किसी भूमि के संबंध में आसुधार शुल्क का देनदार कोई व्यक्ति, परिषद् को उसका भुगतान करने के बजाये, किसी भी समय, स्वेच्छा से, परिषद् के साथ ऐसा अनुबन्ध कर सकता है कि आसुधार शुल्क या यथास्थिति, उस के शेष का भुगतान ऐसी भूमि में उस व्यक्ति के स्वत्व पर प्रभार के रूप में इस शर्त के साथ बकाया छोड़ दिया जाये कि ऐसी धनराशि पर 6 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज निरन्तर प्रतिवर्ष देय होगा।

(2) आसुधार शुल्क के संबंध में किसी व्यक्ति द्वारा देय प्रत्येक भुगतान, जिसमें उपधारा (1) में अभिदिष्ट वार्षिक भुगतान भी शामिल है, तत्समय प्रचलित किसी विधि या अनुबन्ध में किसी बात के होते हुये भी, उस भूमि में ऐसे व्यक्ति के स्वत्व पर प्रथम प्रभार होगा, किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि ऐसी भूमि पर राज्य सरकार को देय मालगुजारी का, यदि कोई हो, भुगतान पहले किया जायेगा।

(3) यदि उपधारा (1) के अनुसरण में निष्पादित अनुबन्ध के अधीन देय ब्याज की किसी किस्त का भुगतान तदर्थ निश्चित दिनांक को या ऐसी अनुग्रह अवधि के भीतर, जो नियत की जाये, न किया जाये तो, यथास्थिति, आसुधार शुल्क या उसका शेष ऐसी किस्त के साथ ही उस दिनांक को देय हो जायेगा।

(4) उपधारा (1) के अनुसरण में अनुबन्ध हो जाने के पश्चात् किसी भी समय कोई व्यक्ति उस धनराशि का भुगतान जिसके लिये प्रभार सृजित किया गया हो, उस दिनांक तक देय ब्याज सहित कर सकता है।

54. मालगुजारी की बकाया के रूप में आसुधार शुल्क आदि का वसूल किया जाना.—इस अध्याय के अधीन किसी व्यक्ति द्वारा किसी भूमि के संबंध में आसुधार शुल्क या वसूली के दिनांक तक उस पर देय किसी ब्याज के रूप में दी जाने वाली समस्त धनराशियां परिषद् द्वारा उक्त व्यक्ति या उसके स्वत्व-उत्तराधिकारी से मालगुजारी की बकाया के रूप में वसूल की जा सकेगी।

अध्याय 5
संपत्ति संविदा और वित्त

55. भूमि अर्जित करने का अधिकार.—(1) इस अधिनियम के किन्हीं भी प्रयोजनों के लिये परिषद् द्वारा अपेक्षित कोई भूमि या उसमें कोई स्वत्व, उत्तर प्रदेश में अपनी प्रवृत्ति के संबंध में यथासंशोधित लैंड ऐक्वीजीशन ऐक्ट, 1894 (ऐक्ट संख्या 1, 1894) के उपबन्धों के अधीन अर्जित किया जा सकता है और वह ऐक्ट इस प्रयोजन के लिये इस अधिनियम की अनुसूची में निर्दिष्ट परिष्कारों के अधीन होगा।

(2) यदि किसी भूमि की, जिसके संबंध में, इस अधिनियम के अधीन आसुधार शुल्क लगाया गया हो, बाद में इस अधिनियम के किन्हीं भी प्रयोजनों के लिये आवश्यकता हो इस प्रकार शुल्क लगाया जाना उस भूमि के लैण्ड एक्वीजीशन ऐक्ट, 1894 (ऐक्ट संख्या 1, 1894) के अधीन अर्जन करने में बाधक न होगी।

56. अनुबन्ध द्वारा भूमि अर्जित और निस्तारित करने का अधिकार.—ऐसी शर्तों और प्रतिबन्धों के अधीन रहते हुये जो, नियत किये जायें, परिषद्—

(1) किसी व्यक्ति के साथ अनुबन्ध करके, इस अधिनियम के किन्हीं भी प्रयोजनों के लिये अपने द्वारा अपेक्षित किसी भूमि या उसमें किसी स्वत्व को खरीद सकती है, उसे पट्टे पर दे सकती है अथवा उसका विनिमय कर सकती है; या

(2) अपने में निहित अथवा अपने द्वारा अर्जित किसी भूमि प्रतिधारण कर सकती है, उसको बेच सकती है, उसका विनिमय कर सकती है, उसे पट्टे पर दे सकती है अथवा अन्यथा उसका निस्तारण कर सकती है :

प्रतिबन्ध यह है कि इस अधिनियम के अधीन किसी योजना के लिये अर्जित किसी भूमि की बिक्री, विनियम, पट्टे द्वारा या अन्य प्रकार से संक्रमण करने में, उस सीमा तक ऐसी रीति से जो नियत की जाये, अधिमान उन व्यक्तियों को दिया जायेगा जिनकी भूमि ऐसी योजना के लिये अर्जित की गयी हो।

57. संविदा आदि का निष्पादन और रजिस्ट्री.—(1) परिषद् की ओर से प्रत्येक संविदा या संपत्ति संबंधी हस्तान्तरण-पत्र लिखित रूप में होगा तथा ऐसे प्राधिकारी द्वारा और ऐसी रीति से निष्पादित किया जायेगा जो नियत की जायें।

(2) इंडियन रजिट्रेशन ऐक्ट, 1908 (ऐक्ट संख्या 16, 1908) में दी गई किसी बात के होते हुये भी, आवास आयुक्त या परिषद् की ओर से किसी अनुबन्ध या अन्य संलेख का निष्पादन करने के लिये प्राधिकृत परिषद् के किसी अधिकारी के लिये यह आवश्यक न होगा कि वह किसी ऐसे अनुबन्ध या संलेख के रजिस्ट्री से सम्बद्ध किन्हीं कार्यवाहियों में अथवा हस्ताक्षर करने के लिये किसी रजिस्ट्री कार्यालय में स्वयं अथवा एजेन्ट द्वारा उपस्थित रहे, जैसा कि उक्त ऐक्ट की धारा 58 में व्यवस्थित है :

प्रतिबन्ध यह है कि रजिस्ट्री अधिकारी, जिसे ऐसा संलेख प्रस्तुत किया जाय, यदि वह उचित समझे तो संलेख के संबंध में सूचना प्राप्त करने के लिये उसे आवास आयुक्त या ऐसे अन्य अधिकारी को भेज सकता है, और उसके निष्पादन के संबंध में समाधान हो जाने पर वह, उस संलेख की रजिस्ट्री करेगा।

58. वित्तीय उपबन्ध.—(1) परिषद् की अपनी निधि होगी जो स्थानीय निधि समझी जायेगी और उसमें परिषद् द्वारा अथवा उसकी ओर से प्राप्त सभी धनराशियां जमा की जायेंगी।

(2) परिषद् की निधि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया या राज्य सरकार की पूर्व स्वीकृति से यू०पी० को-आपरेटिव बैंक में अथवा किसी अनुसूचित बैंक में रखी जायेगी :

प्रतिबन्ध यह है कि इस उपधारा की कोई बात परिषद् को ऐसी नगद धनराशि रखने से जो चालू भुगतानों के लिये आवश्यक हो, अथवा निधि के किसी ऐसे भाग का जो तुरन्त व्यय करने के लिये अपेक्षित न हो, इंडियन ट्रस्ट्स ऐक्ट, 1882 (ऐक्ट संख्या 2, 1882) की धारा 20 में वर्णित किन्हीं प्रतिभूतियों में विनियोजन करने से रोकने वाली न समझी जायेगी।

(3) ऐसी शर्तों और परिसीमनों के अधीन रहते हुये, जो नियत की जायें, परिषद् इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिये समय-समय पर ऋण ले सकती है अथवा वित्तीय व्यवस्था कर सकती है।

(4) ऐसी शर्तों और परिसीमनों के अधीन रहते हुये, जो नियत की जायें, परिषद् किसी अन्य स्थानीय प्राधिकारी, किसी सहकारी समिति या किसी अन्य व्यक्ति को गृह निर्माण के लिये ऐसी शर्तों और प्रतिबन्धों, पर जो वह अवधारित करे, ऋण और अग्रिम धन दे सकती है।

59. ऋण-पत्र.—(1) परिषद् समय-समय पर राज्य सरकार की पूर्व स्वीकृति से ऐसी धनराशियों के लिये और ऐसी शर्तों तथा प्रतिबन्धों पर जो नियत किये जायें ऋण-पत्र जारी कर सकती है।

(2) राज्य सरकार उपधारा (1) के अधीन जारी किये गये किन्हीं भी ऋण-पत्रों के मूलधन और ब्याज अथवा मूलधन या ब्याज के भुगतान की ऐसी रीति से, जो वह उचित समझे, प्रत्याभूति दे सकती है।

प्रतिबन्ध यह है कि राज्य सरकार, जब तक कि ऐसी कोई प्रत्याभूतियां प्रचलित रहें, प्रत्येक वर्ष बजट के सत्र में राज्य विधान मंडल के दोनों सदनों के समक्ष चालू वित्तीय वर्ष में दी गई प्रत्याभूतियों का, यदि कोई हो, एक विवरण-पत्र और उन कुल धनराशियों का, यदि कोई हों, एक अद्यावधिक लेखा रखेगी जिनका भुगतान किन्हीं ऐसी प्रत्याभूतियों के कारण राज्य के राजस्व से किया गया हो अथवा जिनका भुगतान इस प्रकार दी गई किसी धनराशि का प्रतिदान करने के निमित्त राज्य के राजस्व में किया गया हो।

(3) परिषद् द्वारा इस धारा के अधीन जारी किये गये ऋण-पत्र ऐसी रीति से जारी किये जायेंगे, संक्रमित किये जायेंगे, उनके संबंध में कार्यवाही की जायेगी और उनका मोचन किया जायेगा, जो नियत की जाये।

60. ऋण का प्रतिदान.—(1) परिषद् अपने द्वारा लिये गये किसी ऋण के प्रतिदान के लिये ऐसी रीति से निक्षेप निधि स्थापित करेगी जो नियत की जाये।

(2) प्रत्येक ऐसी निक्षेप निधि का अनुरक्षण, विनियोजन और प्रयोग ऐसी रीति से किया जायेगा जो नियत की जाये।

(3) परिषद् निक्षेप निधि के विनियोजन के लिये और उस ऋण के प्रतिदान के लिये, जिसके लिये निधि की स्थापना की गयी हो, नियत रीति से न्यास का सृजन कर सकती है और यदि राज्य सरकार द्वारा इस प्रकार निदेश दिया जाये तो अवश्य सृजन करेगी।

61. सरकार द्वारा अनुदान और ऋण.—राज्य सरकार, समय-समय पर, ऐसी शर्तों और प्रतिबन्धों पर, जो वह अवधारित करे इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिये, परिषद् को अनुदान अथवा ऋण दे सकती है।

62. संपत्ति के संक्रमण पर अतिरिक्त स्टाम्प शुल्क.—(1) अचल संपत्ति के संक्रमण के किसी विलेख-पत्र पर इंडियन स्टाम्प ऐक्ट, 1899 (ऐक्ट संख्या 2, 1899) द्वारा आरोपित शुल्क ऐसे क्षेत्र के जिसमें यह अधिनियम प्रचलित हो, भीतर स्थित अचल संपत्ति की दशा में [1]["प्रतिफल की धनराशि या मूल्य पर, जिसके अभिदेश के उक्त अधिनियम के अधीन शुल्क की गणना की जाये"] दो प्रतिशत बढ़ा दिया जायेगा।

प्रतिबन्ध यह है कि परिषद् राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से, स्टाम्प शुल्क में वृद्धि के उपरिलिखित प्रतिशत को पांच प्रतिशत तक बढ़ा सकती है।

(2) उक्त वृद्धि के फलस्वरूप होने वाली सभी वसूलियाँ प्रासंगिक व्ययों को, यदि कोई हों, काटने के पश्चात् राज्य सरकार द्वारा केवल परिषद् को अथवा, परिषद् और यथास्थिति, नगर महापालिका का नगरपालिका बोर्ड को ऐसे अनुपात में जो समय-समय पर ऐसी रीति से तथा ऐसे सिद्धान्तों के अनुसार जो नियत किये जायें, अवधारित किया जाये, प्रदिष्ट और भुगतान की जायेगी।

(3) इस धारा के प्रयोजनों के लिये, इंडियन स्टाम्प ऐक्ट, 1899 (ऐक्ट संख्या 2, 1899) की धारा 27 इस प्रकार पढ़ी जायेगी मानों उसमें विशेष रूप से यह अपेक्षा की गयी हो कि उसमें अभिदिष्ट विवरण—

---

1. उ०प्र० अधिनियम संख्या 29 सन् 1966 द्वारा प्रतिस्थापित।

(क) उस क्षेत्र के, जहाँ यह अधिनियम प्रचलित हो, भीतर स्थित संपत्ति, और

(ख) उस क्षेत्र के बाहर स्थित संपत्ति के संबंध में पृथक रूप से दिये जायें।

(4) इस धारा के प्रयोजनों के लिये, इंडियन स्टाम्प ऐक्ट, 1899 (ऐक्ट संख्या 2, 1899) की धारा 64 इस प्रकार पढ़ी और समझी जायेगी मानों उसमें परिषद् तथा राज्य सरकार दोनों का अभिदेश किया गया हो।

(5) उत्तर प्रदेश नगर महापालिका अधिनियम, 1959 (उ०प्र० अधिनियम संख्या 2, 1959) की धारा 172 की उपधारा (2) के खण्ड (छ) और धारा 191 के तथा यू०पी० म्यूनिसिपैलिटीज ऐक्ट, 1916 (यू०पी० ऐक्ट संख्या 2, 1916) की धारा 128 के खण्ड (13–बी) तथा धारा 128–ए के उपबन्ध, [1][उस सीमा तक जहां तक इस धारा के उपबन्धों के प्रतिकूल हों, प्रभावी न रह जायेंगे] और इस धारा के उपबन्ध अभिभावी होंगे।

[2]["यू०पी० जनरल क्लासेज ऐक्ट, 1904, की धारा 6, 8 और 24 के उपबन्ध ऐसी निवृत्ति के संबंध में उसी प्रकार लागू होंगे जैसे कि निरसन तथा पुनः अधिनियमन के संबंध में लागू होते हैं।

63. लेखे और लेखा–परीक्षा.—[3][(1) (क) आवास आयुक्त, वित्तीय वर्ष के प्रारम्भ के पूर्व की जाने वाली विशेष बैठक में परिषद् के समक्ष उस वर्ष के लिये परिषद् का बजट रखेगा।

(ख) प्रत्येक ऐसा बजट, ऐसे प्रपत्र में तैयार किया जायेगा जो नियत किया जाये और जिसमें निम्नलिखित की व्यवस्था होगी—

(1) आवास और सुधार योजनायें जिनके बारे में परिषद् का प्रस्ताव है कि उन्हें अंशतः या पूर्णतः उस वर्ष निष्पादित किया जाये;

(2) परिषद् के समस्त दायित्वों का यथोचित रूप से निर्वाह; और

(3) इस अधिनियम को दक्षतापूर्वक प्रशासन;

और उसके साथ एक विवरण–पत्र होगा, जिसमें उस वर्ष के लिये पूंजी और राजस्व लेखे में अनुमानित प्राप्तियां और व्यय प्रदर्शित किये जायेंगे और उसमें ऐसी अन्य विशिष्टियाँ होंगी जो नियत की जायें।

(ग) परिषद् बजट पर विचार करने के पश्चात् उसे परिष्कार सहित या परिष्कार रहित स्वीकृत करेगी और उसे अनुमोदन के लिये राज्य सरकार को प्रस्तुत करेगी।

(घ) राज्य सरकार परिषद् द्वारा स्वीकृत बजट का अनुमोदन कर सकती है, या उसे ऐसे परिष्कारों के लिये, जैसा राज्य सरकार निदेश दे, परिषद् को लौटा सकती है।

(ङ) जब कोई बजट इस प्रकार लौटाया जाये तब परिषद् तत्काल ऐसे परिष्कार करेगी और इस प्रकार परिष्कृत बजट राज्य सरकार को प्रस्तुत करेगी जिसका अनुमोदन वह तब कर सकती है।

(च) आवास आयुक्त उस वित्तीय वर्ष के दौरान जिसके लिये राज्य सरकार ने बजट का अनुमोदन किया है, किसी समय परिषद् के समक्ष अनुपूरक बजट रख सकती है और ऐसे

---

1. उ०प्र० अधिनियम संख्या 10 सन् 1978 द्वारा प्रतिस्थापित।
2. उ०प्र० अधिनियम संख्या 29 सन् 1966 द्वारा प्रतिस्थापित।
3. उपधारा (1) उ०प्र० अधिनियम संख्या 47 सन् 1976 द्वारा प्रतिस्थापित।

अनुपूरक बजट के संबंध में इस उपधारा के पूर्ववर्ती उपबन्ध, आवश्यक परिवर्तन सहित, लागू होंगे।

(2) परिषद् ऐसे प्रपत्र में और रीति से लेख रखेगी और पक्का चिट्ठा तैयार करेगी जो नियत किया जाये।

(3) परिषद् के लेखों की परीक्षा ऐसे लेखा-परीक्षक द्वारा ऐसी रीति से और ऐसे समयों पर की जायेगी, जो नियत किये जायें, और इस प्रकार नियुक्त लेखा-परीक्षक को ऐसे विषयों के सम्बन्ध में लेख्यों के प्रस्तुत किये जाने और सूचना दिये जाने की अपेक्षा करने के ऐसे अधिकार और परिषद् की किसी निधि या सम्पत्ति को अध्यक्ष, आवास आयुक्त और परिषद् के सदस्यों अधिकारियों तथा सेवकों की उपेक्षा या दुराचरण के कारण हुई किसी हानि, अपव्यय या दुर्विनियोग के लिये उनके विरुद्ध अस्वीकृति का अधिभार के सम्बन्ध में ऐसे अधिकार प्राप्त होंगे, जो नियत किये जाये, और अधिभार तथा अधिभारित धनराशि की वसूली के सम्बन्ध में ऐसी प्रक्रिया का अनुसरण करेंगे जो नियत की जाये और उनके अस्वीकृति तथा अधिभार के निर्णयों के विरुद्ध ऐसी अपील तथा ऐसी रीति से अपील की जा सकेगी, जो नियत की जाये।

(4) लेखा-परीक्षक द्वारा यथा प्रमाणित परिषद् के लेखे और उनके सम्बन्ध में लेखा-परीक्षा प्रतिवेदन प्रतिवर्ष राज्य सरकार को भेजे जायेंगें, जो उनके संबंध में परिषद् को ऐसे अनुदेश जारी कर सकतो है जो वह उचित समझे और परिषद् ऐसे अनुदेशो का पालन करेगी।

(5) राज्य सरकार—

(क) उपधारा (4) के अधीन प्राप्त परिषद् के लेखे और उनके सम्बन्ध में लेखा-परीक्षा प्रतिवेदन प्रतिवर्ष राज्य विघान मंडल के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवायेगी, और

(ख) परिषद् के लेखे को नियत रीति से प्रकाशित करवायेगी तथा उचित मूल्य पर बिक्री के लिये उसकी प्रतिलिपियों को उपलब्ध करायेगी।

अध्याय 6

न्यायाधिकरण

64. न्यायाधिकरण के कृत्य और उसका संघटन.—(1) राज्य सरकार, गजट में विज्ञप्ति द्वारा निम्नलिखित प्रयोजनों के लिये एक या अधिक न्यायाधिकरण संघटित कर सकती है—

(क) इस अधिनियम की अनुसूची द्वारा यथा परिष्कृत लैंड एक्वीजीशन ऐक्ट, 1894 (ऐक्ट संख्या 1, 1894) के अधीन परिषद् के लिये भूमि का अर्जन करने के अभिदेश में न्यायालय के कृत्यों का सम्पादन;

(ख) विवाद की दशा में और नियत रीति से अभिदेश किये जाने पर, इस अधिनियम के विभिन्न उपबन्धों के अधीन परिषद् द्वारा देय प्रतिकर का अवधारण;

(ग) आसुधार शुल्क लगाने या उसके निर्धारण से सम्बन्द्ध अपीलों पर निर्णय;

(घ) धारा 36 तथा 37 [1][* * *] के अधीन अपीलों पर निर्णय; और

---

1. उ०प्र० अधिनियम संख्या 22 सन् 1972 द्वारा शब्द "और अध्याय-7" निकाल दिया गया।

(ङ) ऐसे अन्य विषयों का, जो नियत किये जायें, निर्णय।

(2) न्यायाधिकरण ऐसे क्षेत्र के संबंध में, जो उपधारा (1) के अधीन विज्ञप्ति में निर्दिष्ट किया जाय, क्षेत्राधिकार का प्रयोग करेगा।

(3) न्यायाधिकरण में एक दीवानी न्यायिक अधिकारी होगा जो जिला न्यायाधीश के पद से नीचे का न होगा।

स्पष्टीकरण—पद "जिला न्यायाधीश" के अन्तर्गत कोई अपर जिला न्यायाधीश भी हैं।

(4) इस अधिनियम के द्वारा या इसके अधीन की गयी अन्यथा व्यवस्था के अधीन रहते हुये, न्यायाधिकरण को वही अधिकार प्राप्त होंगे, जो सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (ऐक्ट संख्या 6, 1908) के अधीन दीवानी न्यायालय में निहित हों, वह उसी प्रक्रिया का अनुसरण करेगा जो उक्त कोड में निर्धारित हो, और दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1898 (ऐक्ट संख्या 5, 1898) की धारा 480 और 482 के अर्थ में उसे दीवानी न्यायालय समझा जायेगा, और न्यायाधिकरण के समक्ष कोई कार्यवाही भारतीय दण्डसंहिता (ऐक्ट संख्या 45, 1860) की धारा 193 और 228 के अर्थ में न्यायिक कार्यवाही समझी जायेगी।

(5) न्यायाधिकरण के रूप में, नियुक्त न्यायिक अधिकारी को ऐसा पारिश्रमिक दिया जायेगा जो नियत किया जाय।

(6) न्यायाधिकरण, राज्य सरकार की पूर्व स्वीकृति से, ऐसे अधिकारियों और सेवकों की नियुक्ति कर सकता है जिन्हें वह अपने कार्य संचालन के लिये आवश्यक समझे, और ऐसे अधिकारियों तथा सेवको का पारिश्रमिक तथा सेवा की अन्य शर्तें ऐसी होंगी जो नियत की जायें।

(7) न्यायाधिकरण के रूप में नियुक्त न्यायिक अधिकारी तथा न्यायाधिकरण के अन्य अधिकारियों और सेवकों को देय पारिश्रमिक परिषद् की निधि से दिया जायेगा।

65. विचाराधीन वादों का न्यायाधिकरण को संक्रमण.—उत्तर प्रदेश नगर महापालिका अधिनियम, 1959 (ऐक्ट संख्या 2, 1959) के अधीन किसी ऐसी सुधार योजना के संबंध में जो इस अधिनियम की धारा 44 की उपधारा (1) या धारा 47 की उपधारा (1) या उपधारा (2) के अधीन परिषद् को संक्रमित की जायें महापालिका के लिये भूमि अर्जन करने के अभिदेश में उक्त अधिनियम के अधीन संघटित किसी न्यायाधिकरण के समक्ष विचाराधीन कोई वाद, ऐसे संक्रमण पर धारा 64 के अधीन संघटित ऐसे न्यायाधिकरण को संक्रमित हो जायेगा जिसका उक्त नगर के संबंध में अधिकार क्षेत्र हो और तदुपरान्त उक्त न्यायाधिकरण उस प्रक्रम के आगे की कार्यवाही करेगा जिस पर उसे इस अधिनियम तथा नियमों के उपबन्धों के अनुसार संक्रमित किया गया हो।

66. न्यायाधिकरण के निर्णयों का अन्तिम होना.—(1) इस अधिनियम की अनुसूची द्वारा यथा परिष्कृत लैंड एक्वीजीशन ऐक्ट, 1894 के अधीन भूमि के अर्जन से संबद्ध वाद में न्यायाधिकरण का कोई अभिनिर्णय, उक्त ऐक्ट के अधीन न्यायालय का अभिनिर्णय समझा जायेगा और उक्त ऐक्ट की धारा 54 के उपबन्धों के अधीन रहते हुये अन्तिम होगा।

(2) न्यायाधिकरण को इस अधिनियम के अधीन कोई अन्य निर्णय अन्तिम होगा।

67. न्यायाधिकरण के अभिनिर्णयों और आदेशों से सम्बद्ध अन्य उपबन्ध.—(1) धन का भुगतान करने के लिये, कब्जा देने के लिये या किसी संरचना (Structure) को हटाने के

लिये न्यायाधिकरण द्वारा दिये गये किसी अभिनिर्णय या अन्य आदेश को, 'सिविल प्रक्रिया संहिता', 1908 ऐक्ट संख्या 5, 1908 की धारा 2 के क्रमशः खण्ड (2) और खंड (9) के अर्थ में डिक्री, और ऐसे अभिनिर्णय या आदेश के कारणों के कथन को निर्णय समझा जायेगा।

(2) प्रत्येक ऐसे अभिनिर्णय या आदेश में प्रत्येक पक्ष द्वारा किये गये व्ययों की धनराशि का तथा किन व्यक्तियों द्वारा और किस अनुपात में उनका भुगतान किया जायेगा, इसका भी उल्लेख होगा।

(3) न्यायाधिकरण के अभिनिर्णय या आदेश पर कोई स्टाम्प शुल्क प्रभार नहीं होगा, और अभिनिर्णय या आदेश के अधीन दावा करने वाला व्यक्ति उसकी एक प्रतिलिपि निःशुल्क पाने का हकदार होगा।

(4) उपधारा (2) में अभिदिष्ट कोई अभिनिर्णय या आदेश ऐसे न्यायालय द्वारा निष्पादित किया जा सकेगा जो नियत किया जाये।

अध्याय 7

परिषद् के भू-गृहादि से बेदखली और किराये तथा क्षति मूल्य की वसूली

[1]**[68. यू०पी० कंट्रोल ऑफ रेन्ट एन्ड इक्वीजीशन ऐक्ट 1947 (संख्या 3, 1947) का अपवर्जन.**—यू०पी० (टेम्पोरेरी) कंट्रोल आफ रेन्ट ऐन्ड एक्वीजीशन ऐक्ट, 1947 (ऐक्ट संख्या 3, 1947) के उपबन्ध परिषद् द्वारा किराये पर दिये गये गृह-स्थान पर लागू न होंगे :

प्रतिबन्ध यह है कि इस धारा की कोई बात किसी व्यक्ति को ऐसे गृह-स्थान से बेदखल करने की अनुमति नहीं देगी जो उसके कब्जे में परिषद् द्वारा अर्जन करने के पहले से हो, किन्तु ऐसा उक्त ऐक्ट या धारा 69 के उपबन्धों के अनुसार किया जा सकता हैं।

[2]**[69. बेदखली और किराये, आदि की वसूली के लिये संक्षिप्त प्रक्रिया.**—(1) संपत्ति अन्तरण अधिनियम, 1882, (ऐक्ट संख्या 4, 1882) सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (ऐक्ट संख्या 5, 1908) या तत्समय प्रचलित किसी अन्य विधि में दी गयी किसी बात के होते हुये भी, यदि नियत प्राधिकारी की यह राय हो कि—

(क) परिषद् के किसी भू-गृहादि पर कब्जा करने के लिये प्राधिकृत व्यक्ति ने—

(1) ऐसे भू-गृहादि के संबंध में अपने द्वारा कानूनी तौर से देय किराया कम से कम तीन महीने तक नहीं दिया है; या

(2) परिषद् की लिखित अनुज्ञा के बिना उक्त संपूर्ण भू-गृहादि या उसके भाग को शिकमी किराये पर दे दिया है; या

(3) स्पष्ट या अन्तर्निहित किन्हीं भी ऐसी शर्तों का, जिनके अधीन वह ऐसे भू-गृहादि पर कब्जा करने के लिये प्राधिकृत किया गया हो, उल्लंघन करके अन्यथा कार्य किया है; या

(ख) किसी व्यक्ति का परिषद् के किसी भू-गृहादि पर अनधिकृत रूप से कब्जा है, तो नियत प्राधिकारी, एतदपश्चात् व्यवस्थित रीति से एक लिखित नोटिस जारी कर सकता है, जिसमें वह उस व्यक्ति से, यदि कोई हो, जो संपूर्ण भू-गृहादि

---

1. धारा 68 उ०प्र० अधिनियम संख्या 28 सन् 1976 द्वारा निरस्त।
2. धारा 69 उ०प्र० अधिनियम संख्या 22 सन् 1972 द्वारा निरस्त।

या उसके किसी भाग पर कब्जा करने के लिये प्राधिकृत है और किसी ऐसे अन्य व्यक्ति से जिसका उस पर कब्जा हो, यह कारण बताने के लिये कहेगा कि क्यों न बेदखली और बकाया किराया तथा क्षतिमूल्य की, यदि कोई हो, वसूली के लिये आदेश जारी किया जाये।

(2) उपधारा (1) के अधीन नोटिस में निम्नलिखित बातें ही होंगी—

(क) कारण, जिनके आधार पर बेदखली या बकाया किराया या क्षति मूल्य की वसूली के लिये आदेश देने का प्रस्ताव है; और

(ख) 'अवधि जिसके भीतर प्रस्तावित आदेश के विरुद्ध कारण बताया जायेगा, जो नोटिस की तामील से पन्द्रह दिन पूर्व की न होगी किन्तु नियत प्राधिकारी, प्रार्थना-पत्र दिये जाने पर, नोटिस में या अन्यथा दावा की गयी धनराशि का भुगतान करने के संबंध में ऐसी शर्तों पर जो वह उचित समझे अतिरिक्त समय दे सकता है।

(3) नियत प्राधिकारी उपधारा (1) के अधीन नोटिस, परिषद् के भू-गृहादि के वाह्य द्वार, या किसी अन्य प्रमुख स्थान पर चिपकवाकर और ऐसी अन्य रीति से, जो नियत की जाये, तामील करायेगा, और इसके बाद नोटिस समस्त सम्बद्ध व्यक्तियों को यथोचित रूप से दिया गया समझा जायेगा।

(4) यदि नियत प्राधिकारी को यह ज्ञात हो या यह विश्वास करने का कारण हो कि किसी व्यक्ति का परिषद् के भू-गृहादि पर कब्जा है, तो उपधारा (3) के उपबन्धों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, वह नोटिस की एक प्रतिलिपि रजिस्टर्ड डाक द्वारा भेज कर अथवा उसे देकर या ऐसी अन्य रीति से, जो नियत की जाये, उस पर तामील करायेगा।

(5) यदि उपधारा (1) के अधीन नोटिस के अनुसरण में किसी व्यक्ति द्वारा बताये गये कारण और उसके समर्थन में किसी साक्ष्य, जो वह प्रस्तुत करे, पर विचार करने के पश्चात् और उसे सुनवाई का समुचित अवसर देने के पश्चात् नियत प्राधिकारी का यह समाधान हो जाये कि उपधारा (1) में उल्लिखित कोई परिस्थिति विद्यमान है, अथवा नोटिस जारी किये जाने के दिनांक को विद्यमान थी तो वह, तदर्थ निश्चित किये जाने वाले दिनांक को, कारणों का उल्लेख करते हुये एक आदेश दे सकता है जिसमें यह निदेश दिया जायेगा कि परिषद् के भू-गृहादि उन समस्त व्यक्तियों द्वारा खाली कर दिये जायें जिनका उस पर या उसके किसी भाग पर कब्जा हो और यह भी आदेश दे सकता है कि कोई व्यक्ति, किराये या क्षतिमूल्य की ऐसी बकाया धनराशि का भुगतान करे जो उक्त आदेश में निर्दिष्ट की जाये।

(6) यदि वह व्यक्ति, जिससे उपधारा (1) के खण्ड (क) के उपखंड (1) या उपखंड (3) के अधीन कारण बताने के लिये कहा गया है, अनुमत समय के भीतर परिषद् को छः प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज सहित बकाया किराये और ऐसे व्ययों का, जो नियत किये जायें, भुगतान कर दे, या यथास्थिति, नियत प्राधिकारी के संतोषानुसार उन शर्तों के, जिनका उसने उल्लंघन किया हो, भंग करने का परिहार कर दे तो नियत प्राधिकारी, उपधारा (5) के अधीन ऐसे व्यक्ति को बेदखल करने के बजाये नोटिस को खारिज कर देगा, और तदुपरान्त ऐसा व्यक्ति उन्हीं शर्तों पर भू-गृहादि धारण करता रहेगा, जिन पर वह ऐसा नोटिस उस पर तामील किये जाने के ठीक पूर्व उन्हें धारण करता था।

(7) इस अध्याय के अधीन जांच करने के प्रयोजन के लिये नियत प्राधिकारी को वही अधिकार प्राप्त होंगे जो निम्नलिखित विषयों के संबंध में किसी वाद पर विचार करते समय सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 ऐक्ट संख्या 5, 1908 के अधीन किसी दीवानी न्यायालय में निहित हों, अर्थात्—

(क) किसी व्यक्ति को सम्मन जारी करना और उसे उपस्थित होने के लिये बाध्य करना और शपथ पर उसका बयान लेना;

(ख) लेख्य प्रकट करने और उन्हें प्रस्तुत करने की अपेक्षा करना; और

(ग) कोई अन्य विषय जो नियत किया जाये;

और दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1898 (ऐक्ट संख्या 5, 1898) की धारा 480 और 482 के अर्थ में वह दीवानी न्यायालय समझा जायेगा और ऐसी जांच में कोई कार्यवाही भारतीय दंड संहिता (ऐक्ट संख्या 45, 1860) की धारा 193 और 228 के अर्थ में न्यायिक कार्यवाही समझी जायेगी।

(8) यदि कोई व्यक्ति आदेश के दिनांक से तीस दिन या ऐसे अधिक समय के भीतर, जिसकी नियत प्राधिकारी अनुमति दे उपधारा (5) के अधीन बेदखली के आदेश का पालन करने से इंकार करता है अथवा पालन नहीं करता है, तो नियत प्राधिकारी अथवा उसके द्वारा तदर्थ यथोचित रूप से प्राधिकृत कोई अन्य अधिकारी उसे परिषद् के भू-गृहादि से बेदखल कर सकता है, और उसका कब्जा ले सकता है, और उस प्रयोजन के लिये ऐसे बल का प्रयोग कर सकता है जो आवश्यक हो।

(9) किराया या क्षतिमूल्य का कोई बकाया जिसका उपधारा (5) के अधीन भुगतान करने का आदेश दिया गया हो, मालगुजारी की बकाया के रूप में वसूल किया जा सकता है।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लिये, कोई व्यक्ति परिषद् के किसी भू-गृहादि पर उस प्राधिकार के जिसके अधीन अथवा जिस हैसियत से, उसे भू-गृहादि पर कब्जा करने की अनुमति दी गयी थी, यथोचित रूप से समाप्त किये जाने या जैसी भी स्थिति हो, समाप्त हो जाने के पश्चात् कब्जा जारी रखे, तो वह "अनधिकृत रूप से काबिज" समझा जायेगा, और कोई व्यक्ति केवल इस कारण से कि उसने किराये के रूप में कोई धनराशि अदा की है, अधिकृत रूप से काबिज नहीं समझा जायेगा।

[1]**[70. अपील.**—(1) नियत प्राधिकारी के धारा 69 की उपधारा (5) के अधीन किसी आदेश से क्षुब्ध कोई व्यक्ति, ऐसे आदेश के दिनांक से तीस दिन के भीतर न्यायाधिकरण को अपील दायर कर सकता है :

प्रतिबन्ध यह है कि न्यायाधिकरण ऐसी अवधि की समाप्ति के पश्चात् अपील ग्रहण कर सकता है यदि उसका यह समाधान हो जाये कि अपीलार्थी नियत समय के भीतर पर्याप्त कारण से अपील न दायर कर सका।

(2) यदि नियत प्राधिकारी के किसी आदेश के विरुद्ध कोई अपील दायर की गयी हो तो न्यायाधिकरण उस आदेश के प्रवर्तन को ऐसी अवधि के लिये और ऐसी शर्तों पर, जो वह उचित समझे, रोक सकता है।

(3) न्यायाधिकरण, पक्षों को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात्, अपील के अधीन आदेश की पुष्टि कर सकता है, उसे रद्द कर सकता है, या उसमें परिष्कार कर सकता है अथवा वाद को नियत प्राधिकारी के पास प्रतिप्रेषित कर सकता है।

71. वेतन या मजदूरियों से कटौतियां करके किराये की वसूली.—(1) यदि परिषद का कोई भू-गृहादि किसी ऐसे व्यक्ति को किराये पर दिया जाये जो राज्य सरकार या किसी

---

1. धारा 70 उ०प्र० अधिनियम संख्या 22 सन् 1972 द्वारा निरस्त।

स्थानीय प्राधिकरण द्वारा अथवा किसी कारखाने या औद्योगिक अधिष्ठान में सेवायोजित हो, तो वह परिषद् के पक्ष में एक अनुबन्ध ऐसे प्रपत्र में निष्पादित कर सकता है जो नियत किया जाये, और उसमें इस बात की व्यवस्था होगी कि राज्य सरकार, या स्थानीय प्राधिकारी अथवा अन्य सेवायोजक, जैसी भी दशा हो, जिसके द्वारा वह सेवायोजित हो, उसे देय वेतन या मजदूरी से ऐसी धनराशि, जो अनुबन्ध में निर्दिष्ट की जाये, काटने के लिये और इस प्रकार काटी गयी धनराशि का परिषद् को, ऐसे भू-गृहादि के संबंध में उसके द्वारा देय किराये के निस्तारण के रूप में भुगतान करने के लिये सक्षम होगा।

(2) ऐसा अनुबन्ध निष्पादित हो जाने पर राज्य सरकार या स्थानीय प्राधिकारी अथवा अन्य सेवा योजक, जैसी भी दशा हो, यदि परिषद् द्वारा लिखित रूप में अपेक्षा की जाये तो, कर्मचारी के वेतन या मजदूरी से अनुबन्ध के अनुसार कटौती करेगा और इस प्रकार काटी गयी धनराशि का भुगतान परिषद् को करेगा, भले ही पेमेन्ट आफ वेजेज ऐक्ट, 1936 (ऐक्ट संख्या 4, 1936) में कोई बात दी हो।

(3) उपधारा (2) के अधीन काटी गयी धनराशि का यह प्रभाव होगा कि इस प्रकार काटी गयी धनराशि के संबंध में कर्मचारी परिषद के प्रति अपने दायित्व से पूर्णतया विमुक्त हो जायेगा।

स्पष्टीकरण—पद "कारखाना" और "औद्योगिक अधिष्ठान" के क्रमशः वही अर्थ होंगे जो पेमेन्ट ऑफ वेजेज ऐक्ट, 1936 (ऐक्ट संख्या 4, 1936) में क्रमशः पद "Factory" और "Industrial Establishment" के लिये दिये गये हों।

[1][71. क. [* * *]

[2]**[72. न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र पर रोक.**—नियत प्राधिकारी के किसी ऐसे आदेश पर, जो इस अध्याय द्वारा या उसके अधीन प्राप्त किसी अधिकार का प्रयोग करके दिया गया हो, किसी न्यायालय में आपत्ति न की जायेगी।

अध्याय 8

अपराध और शास्तियाँ

73. योजनाओं का उल्लंघन करके भवन निर्माण करने के लिये शास्ति.—यदि कोई व्यक्ति धारा 23 की उपधारा (3) के खण्ड (क), धारा 24 की उपधारा (4) या धारा 35 के उपबन्धों का उल्लंघन करके किसी भवन का निर्माण, या पुनर्निर्माण करे, या उसमें परिवर्द्धन या परिवर्तन करे तो उसे अर्थ दण्ड दिया जायेगा जो एक हजार रुपये तक हो सकता है और, यदि उल्लंघन निरन्तर जारी रहे तो प्रत्येक ऐसे दिन के लिये, जिसमें प्रथम बार सिद्धदोष ठहराये जाने के पश्चात् उल्लंघन जारी रहीं, पांच सौ रुपये तक हो सकता है।

74. ठेकेदार के कार्य में रुकावट डालने या चिन्ह हटाने के लिये शास्ति.—यदि कोई व्यक्ति—

(क) किसी ऐसे व्यक्ति को, जिसके साथ परिषद् ने ठेका किया हो, अपने कर्तव्य अथवा किसी ऐसे काम का पालन या निष्पादन करने में रुकावट डाले अथवा व्यथित करे जिसे वह इस अधिनियम या किसी नियम अथवा विनियम के आधार पर या उसके परिणाम स्वरूप करने के लिये अधिकृत अथवा जिसकी उससे इस प्रकार अपेक्षा की गयी हो; या

(ख) किसी सतह या दिशा को इंगित करने के प्रयोजन के लिये लगाये गये किसी ऐसे चिन्ह को हटाये जो इस अधिनियम या किसी नियम अथवा विनियम द्वारा प्राधिकृत निर्माण कार्य के निष्पादन के लिये आवश्यक हो तो,

---

1. धारा 71–क और 72 उ०प्र० अधिनियम संख्या 22 सन् 1972 द्वारा निरस्त।
2. धारा 71–क और 72 उ०प्र० अधिनियम संख्या 22 सन् 1972 द्वारा निरस्त।

उसे कारावास का दण्ड दिया जायेगा जो छः मास तक हो सकता है अथवा अर्थ-दण्ड दिया जायेगा जो एक हजार रुपये तक हो सकता है या दोनों दण्ड दिये जायेंगे।

75. परिषद् के साथ ठेके आदि में अंश या स्वत्व अर्जित करने के लिये शास्ति.—यदि परिषद् का अध्यक्ष या कोई सदस्य, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, स्वयं या किसी साझेदार, सेवायोजक अथवा कर्मचारी द्वारा, परिषद् के साथ, उसके द्वारा या उसकी ओर से, किसी ठेका या सेवायोजन में अर्थ संबंधी या किसी अन्य प्रकार का कोई अंश अथवा स्वत्व अर्जित करें, जो ऐसा अंश या स्वत्व न हो, जो अध्यक्ष अथवा सदस्य चुने जाने या बने रहने के लिये अनर्हित न करता हो, या

यदि परिषद् का कोई अधिकारी या सेवक, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, स्वयं या किसी साझेदार, सेवायोजक अथवा कर्मचारी द्वारा, परिषद् के साथ, उसके द्वारा या उसकी ओर से, किसी ठेका या जहां तक इसका संबंध ऐसे अधिकारी या सेवक के रूप में उसके सेवायोजन से है उसे छोड़कर किसी सेवायोजन में, धारा 4 के प्रतिबन्धात्मक खण्ड के खण्ड (1) या (2) उल्लिखित अंश या स्वत्व से भिन्न, अर्थ संबंधी या किसी अन्य प्रकार का कोई अंश या स्वत्व अर्जित करे तो, उसे साधारण कारावास का दण्ड दिया जायेगा जो एक वर्ष तक का हो सकता है, या अर्थ-दण्ड दिया जायेगा या दोनों दण्ड दिये जायेंगे।

76. अन्य मामलों में शास्ति.—यदि कोई व्यक्ति इस अधिनियम के या किसी नियम अथवा विनियम के किसी उपबन्ध का उल्लंघन करे तो उसे, यदि ऐसे उल्लंघन के लिये कोई अन्य शास्ति को व्यवस्था न की गयी हो अर्थ-दण्ड दिया जायेगा जो पांच सौ रुपये तक हो सकता है, और यदि उल्लंघन निरन्तर जारी रहे तो उसे अतिरिक्त अर्थ-दण्ड दिया जायेगा जो प्रत्येक ऐसे दिन के लिये, जिसमें प्रथम बार सिद्ध-दोष ठहराये जाने के पश्चात् उल्लंघन जारी रहे, पच्चीस रुपये तक हो सकता है।

77. अपराधी का प्रतिकर भुगतान करने का दायित्व.—(1) जब कोई व्यक्ति इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध के लिये सिद्ध-दोष ठहराया जाये, तो ऐसे व्यक्ति को सिद्ध-दोष ठहराने वाला न्यायालय, परिषद् द्वारा तदर्थ प्रार्थना-पत्र दिये जाने पर, ऐसे व्यक्ति से यह कारण तुरन्त बताने को कहेगा कि क्यों न वह अपने द्वारा किये गये कार्य से हुई क्षति के लिये, जिसके संबंध में वह सिद्ध दोष ठहराया गया है, परिषद् को प्रतिकर का भुगतान करे।

(2) न्यायालय ऐसे व्यक्ति द्वारा बताये गये किसी कारण पर विचार करेगा और ऐसी जांच करने के पश्चात् जो वह उचित समझे, यह निदेश दे सकता है कि एक हजार रुपये से अनधिक ऐसे प्रतिकर का, जो वह अवधारित करें, भुगतान परिषद् को किया जायेगा।

(3) उपधारा (2) के अधीन भुगतान किये जाने के लिये निदेशित प्रतिकर की धनराशि अर्थ-दण्ड के रूप में वसूल की जा सकेगी।

78. कम्पनियों द्वारा अपराध.—(1) यदि इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय अपराध करने वाला व्यक्ति कम्पनी हो, तो प्रत्येक ऐसा व्यक्ति जो अपराध किये जाने के समय कम्पनी का व्यवसाय चलाने के लिये कम्पनी का प्रभारी तथा उसके प्रति उत्तरदायी रहा हो और साथ ही कम्पनी भी, अपराध के दोषी समझे जायेंगे और तदनुसार उनके विरुद्ध कार्यवाही की जा सकेगी तथा उन्हें दण्ड दिया जा सकेगा :

प्रतिबन्ध यह है कि यदि कोई व्यक्ति यह सिद्ध कर दे कि अपराध उसकी जानकारी के बिना किया गया था अथवा उसने ऐसा अपराध किये जाने को रोकने के लिये सभी प्रकार की यथोचित सावधानी बरती थी तो इस उपधारा में दी गयी किसी बात से वह दण्ड का भागी नहीं होगा।

(2) उपधारा (1) में दी गयी किसी बात के होते हुये भी, यदि कोई ऐसा अपराध कम्पनी द्वारा किया गया हो और यह सिद्ध हो जाये कि वह अपराध कम्पनी के किसी मैनेजिंग एजेन्ट, सेक्रेटरीज एवं ट्रेजरर्स, निदेशक, प्रबन्धक, सचिव अथवा अन्य अधिकारी की सहमति या मौनानुकूलता से किया गया है तो वह मैनेजिंग एजेन्ट, सेक्रेटरीज एवं ट्रेजरर्स, निदेशक, प्रबन्धक, सचिव अथवा अन्य अधिकारी भी उस अपराध का दोषी समझा जायेगा तथा तदनुसार उसके विरुद्ध कार्यवाही की जा सकेगी और उसे दण्ड दिया जा सकेगा।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लिये—

(क) "कम्पनी" का तात्पर्य निगमित निकाय से है तथा इसके अन्तर्गत फर्म अथवा व्यक्तियों का अन्य संघ भी है; और

(ख) फर्म के संबंध में "निदेशक" का तात्पर्य फर्म के साझेदार से है।

79. प्रक्रिया.—(1) कोई भी न्यायालय इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय किसी अपराध का संज्ञान तब तक न करेगा जब तक कि अपराध किये जाने से छः मास के भीतर परिषद् या तदर्थ यथाविधि प्राधिकृत परिषद् के किसी अधिकारी द्वारा परिवाद न किया जाये अथवा उससे सूचना प्राप्त न हो।

(2) कोई भी न्यायालय जो प्रथम श्रेणी के मैजिस्ट्रेट के न्यायालय से निम्न श्रेणी का हो, इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय किसी अपराध की सुनवाई न करेगा।

80. पुलिस अधिकारियों के कर्तव्य.—प्रत्येक पुलिस अधिकारी का यह कर्तव्य होगा कि वह—

(क) इस अधिनियम और नियमों के उपबन्धों को कार्यान्वित तथा प्रचलित करने के लिये आवास आयुक्त को सहयोग दे;

(ख) इस अधिनियम या किसी नियम के विरुद्ध किये जाने वाले अथवा किये गये किसी अपराध की कोई सूचना, जो उसे प्राप्त हो, परिषद् के समुचित अधिकारी या सेवक को अवलिम्ब दे; तथा

(ग) आवास आयुक्त या परिषद् के किसी अधिकारी या सेवक को ऐसी सहायता दे जिसकी वह इस अधिनियम या किसी नियम के अधीन अपने में निहित किसी अधिकारी का विधिसंगत प्रयोग करने के लिये उससे अपेक्षा करे।

81. अपराधों का अभिसंधान करना.—इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय किसी अपराध का अभिसंधान, अभियोजन संस्थित किये जाने के पूर्व अथवा पश्चात् आवास आयुक्त द्वारा या उसके सामान्य या विशेष आदेश द्वारा तदर्थ प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा ऐसी शर्तों पर जो, यथास्थिति, आवास आयुक्त या अन्य अधिकारी उचित समझे, किया जा सकता है।

अध्याय 9

विविध

82. अनाधिकृत निर्माणों को हटाने के लिये निदेश देने का अधिकार.—(1) आवास आयुक्त नोटिस देकर धारा 73 के अभिदिष्ट भवन के स्वामी से यह अपेक्षा कर सकता है कि वह ऐसे भवन का आगे निर्माण करना रोक दे और उसमें ऐसी रीति से तथा ऐसे समय के भीतर, जो नोटिस में निर्दिष्ट किये जायें, परिवर्तन करे या उसे गिरा दे।

(2) यदि उपधारा (1) के अधीन नोटिस का पालन न किया जाये तो आवास आयुक्त भवन अथवा उसके किसी भाग में, यथास्थिति, परिवर्तन करा सकता है अथवा उसे गिरवा सकता है और ऐसा करने में जो व्यय हुआ हो उसे वह उसके स्वामी से ऐसी रीति से वसूल कर सकता है जो नियत की जाये।

83. स्थानीय प्राधिकारी के अधिकारों का प्रयोग तथा कृत्यों का सम्पादन.—राज्य सरकार किसी ऐसे क्षेत्र में जिसके संबंध में आवास या सुधार योजना, प्रचलित हो, गजट में विज्ञप्ति द्वारा यह घोषणा कर सकती है कि उस अवधि में जिसमें योजना प्रचलित रहे, ऐसे अधिकार और कृत्य जो किसी स्थानीय प्राधिकारी या उसके मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा उस अधिनियम के अधीन जिसके द्वारा ऐसे स्थानीय प्राधिकारी संघटित हों प्रयोक्तव्य हों, ऐसे अपवादों अथवा परिष्कारों के अधीन रहते हुये, जो विज्ञप्ति में निर्दिष्ट किये जायें, यथास्थिति, परिषद् या आवास आयुक्त द्वारा प्रयुक्त तथा संपादित किये जायेंगे।

84. प्रवेश करने का अधिकार.—(1) आवास आयुक्त या उसके द्वारा तदर्थ सामान्य या विशेष आदेश द्वारा प्राधिकृत कोई व्यक्ति सहायकों या कर्मकारों के साथ या उनके बिना किसी भूमि में या उस पर निम्नलिखित प्रयोजनों के लिये प्रवेश कर सकता है—

(क) कोई निरीक्षण, सर्वेक्षण, मापन, मूल्यांकन या जांच करने;

(ख) सतह मालूम करने;

(ग) अवभूमि खोदने या बेचने;

(घ) सीमाओं तथा निर्माण-कार्य की अभिप्रेत रेखाओं को नियत करने;

(ङ) चिन्ह बनाकर और खाइयां काटकर ऐसी सतहों, सीमाओं और रेखाओं को चिन्हांकित करने, या

(च) कोई अन्य कार्य करने जो इस अधिनियम या किसी नियम या विनियम के प्रयोजनार्थ आवश्यक हो;

प्रतिबन्ध यह है कि—

(क) सूर्यास्त और सूर्योदय के बीच इस प्रकार प्रवेश न किया जायेगा;

(ख) किसी निवास गृह या स्थान में उस पर काबिज व्यक्ति को इस प्रकार प्रवेश करने के अभिप्राय की चौबीस घंटे से कम की सूचना पर, बिना उसकी सहमति के प्रवेश नहीं किया जायेगा;

(ग) गृह के किसी भाग पर काबिज महिलाओं को हटाने के लिये समुचित अवसर तथा सुविधा दी जायेगी; और

(घ) जिस भू-गृहादि में प्रवेश किया जाये उसके काबिजों की सामाजिक और धार्मिक प्रथाओं का, जहाँ तक संभव हो, यथोचित ध्यान रखा जायेगा।

(2) जब कभी आवास आयुक्त या उपधारा (1) के अधीन प्राधिकृत कोई व्यक्ति, उक्त उपधारा के अनुसरण के किसी भूमि में या उस पर प्रवेश करे तो, वह इस प्रकार प्रवेश करने के समय उपर्युक्त किसी कार्य से होने वाली क्षति, यदि कोई हो, की पूर्ति करेगा या भुगतान के लिये प्रस्तुत करेगा; और, यदि इस प्रकार भुगतान की गयी अथवा प्रस्तुत धनराशि की पर्याप्तता के संबंध में विवाद हो तो वह, विवाद को तुरन्त परिषद् को अभिदिष्ट करेगा जिसका उस पर निर्णय अन्तिम होगा।

85. प्रतिकर का भुगतान करने के लिये सामान्य अधिकार.—किसी ऐसे मामले में, जिसकी इस अधिनियम के अन्यथा स्पष्ट रूप से व्यवस्था न की गयी हो, परिषद् किसी ऐसे व्यक्ति को समुचित प्रतिकर का भुगतान कर सकती है, जिसे परिषद् या आवास आयुक्त अथवा परिषद् के किसी अधिकारी या सेवक में इस अधिनियम द्वारा अथवा उसके अधीन निहित किसी अधिकार का प्रयोग करने के कारण क्षति पहुंची हो।

86. अध्यक्ष, आदि लोक-सेवक समझे जायेंगे.—[1][अध्यक्ष, उपाध्यक्ष] आवास, आयुक्त, परिषद् के समस्त सदस्य, अधिकारी और सेवक, इस अधिनियम के अधीन संघठित समितियों के सदस्य, न्यायाधिकरण, नियत प्राधिकारी तथा समस्त अन्य व्यक्ति जिन्हें इस अधिनियम के अधीन किन्हीं कृत्यों का निष्पादन करने का कार्य सौपा गया हो, भारतीय दण्ड संहिता की धारा 21 के अर्थ में लोक-सेवक समझे जायेंगे।

87. सद्भावना से किये गये कार्य का संरक्षण.—कोई वाद, अभियोग या अन्य विधिक कार्यवाही राज्य सरकार, परिषद् अथवा उसकी किसी समिति, अध्यक्ष, आवास आयुक्त, न्यायाधिकरण नियम प्राधिकारी या राज्य सरकार अथवा परिषद् के किसी अधिकारी या सेवक के विरुद्ध ऐसे कार्य के लिये नहीं की जा सकेगी जो इस अधिनियम या किसी नियम अथवा विनियम के अनुसरण में सद्भावना से किया गया हो या किये जाने के लिये अभिप्रेत हो।

88. वाद और विधिक कार्यवाहियाँ.—(1) आवास आयुक्त, परिषद् की ओर से और उसके नियंत्रण के अधीन रहते हुए—

(क) किन्हीं विधिक कार्यवाहियों को संस्थित कर सकता है अथवा उनका प्रतिवाद कर सकता है या उन्हें वापस ले सकता है, और

(ख) किसी दावे को स्वीकार कर सकता है, उसके संबंध में समझौता कर सकता है या उसे वापस ले सकता है।

(2) इस अधिनियम या किसी नियम अथवा विनियम के अधीन की गयी अथवा किये जाने के लिये अभिप्रेत किसी कार्यवाही के संबंध में परिषद् अध्यक्ष, आवास आयुक्त, न्यायाधिकरण या नियत प्राधिकारी अथवा परिषद् के किसी सदस्य, अधिकारी या सेवक के विरुद्ध कोई वाद तब तक संस्थित नहीं किया जायेगा, जब तक कि, यथास्थिति परिषद् अध्यक्ष, आवास आयुक्त न्यायाधिकरण, नियत प्राधिकारी, या ऐसे अधिकारी अथवा सेवक को एक ऐसे लिखित नोटिस देने अथवा उसके कार्यालय में छोड़े जाने के पश्चात्, दो महीने की अवधि व्यतीत न हो गयी हो, जिसमें वाद कारण, इच्छुक वादी का नाम और निवास-स्थान तथा अनुतोष जिसका वह दावा करे, का उल्लेख होगा और वाद-पत्र में यह भी लिखा जायेगा कि ऐसा नोटिस दे दिया गया है अथवा दिया गया है।

89. परिषद् के लेख्यों को सिद्ध करने की रीति.—(1) परिषद् के कब्जे को किसी रजिस्टर की प्रविष्टि या कोई रसीद, प्रार्थना-पत्र, नक्शा, नोटिस, आदेश या अन्य लेख्य की प्रतिलिपि, यदि वह तदर्थ प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा यथावत् प्रमाणित की गयी हो, ऐसी प्रविष्टियाँ लेख्य के प्रथम दृष्टि साक्ष्य के रूप में ग्रहण की जायेगी ओर उसमें अभिलिखित विषय तथा व्यवहार के लिये ऐसे प्रत्येक वाद में तथा उस सीमा तक साक्ष्य के रूप में ग्रहण की जायेगी जिसमें और जहां तक मूल प्रविष्टि या लेख्य, यदि वह प्रस्तुत किया गया होता, ऐसे विषयों को प्रमाणित करने के लिये ग्राह्य होता।

(2) परिषद् के किसी सदस्य, अधिकारी या सेवक से, किसी ऐसी विधिक कार्यवाही में, जिसमें परिषद् एक पक्ष न हो, कोई ऐसा रजिस्टर या लेख्य प्रस्तुत करने की, जिसकी

---

1. उ०प्र० अधिनियम संख्या 11 सन् 2007 द्वारा शब्द "अध्यक्ष" के स्थान पर शब्द "अध्यक्ष, उपाध्यक्ष" प्रतिस्थापित (15 जून, 2007 से प्रभावी)।

अन्तर्वस्तुयें उपधारा (1) के अधीन प्रमाणित प्रतिलिपि द्वारा सिद्ध की जा सकती हों अथवा उसमें अभिलिखित विषय या व्यवहार को सिद्ध करने के लिये साक्षी के रूप में उपस्थित होने की, तब तक अपेक्षा न की जायेगी, जब तक कि न्यायालय उन कारणों से, जो अभिलिखित किये जायेंगे, ऐसा आदेश देना आवश्यक न समझे।

90. स्थानीय प्राधिकारियों द्वारा परिषद् को कर निर्धारण पुस्तिकाओं से प्रतिलिपियाँ दी जायेंगी.—स्थानीय प्राधिकारी का मुख्य कार्यकारी अधिकारी, आवास आयुक्त के अनुरोध पर, उसे स्थानीय प्राधिकारी के किसी कर-निर्धारण की सूची की प्रतिलिपि अथवा उसका उद्धरण देगा।

91. देयों और शास्तियों की वसूली की रीति.—इस अधिनियम या तत्समय प्रचलित किसी अन्य विधि द्वारा अथवा उसके अधीन व्यवस्थित वसूली की किसी अन्य रीति पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, शास्ति, क्षति-मूल्य, कर या शुल्क के रूप में देय कोई धनराशि जो इस अधिनियम के अधीन वसूल की जा सकने योग्य हो, अथवा किराये या अधिमूल्य के कारण अथवा धारा 71 के अधीन की गयी किसी कटौती के या गृह-निर्माण या सुधार के लिये परिषद् द्वारा दिये गये ऋण, अथवा किराया किस्त पर बेचे गये गृहों के मूल्य के रूप में परिषद् को देय कोई धनराशि, मालगुजारी की बकाया के रूप में वसूल की जा सकेगी।

अध्याय 10

वाह्य नियंत्रण

92. परिषद् तथा अन्य स्थानीय प्राधिकारियों पर राज्य सरकार का नियंत्रण.—(1) परिषद—

(क) राज्य सरकार को ऐसे प्रतिवेदन और विवरणियों, ऐसे प्रपत्रों में और ऐसे अन्तरालों पर प्रस्तुत करेगी जो नियत किये जायें;

(ख) राज्य सरकार को परिषद् के नियंत्रणाधीन किसी विषय के संबंध में ऐसे लेख्य, विवरणियां, विवरण-पत्र, अनुमान प्रस्तुत करेगी या अन्य सूचना देगी जो राज्य सरकार द्वारा निदेशित की जाये।

(2) राज्य सरकार परिषद् को ऐसे निदेश दे सकती है जो उसकी राय में इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिये आवश्यक या इष्टकर हों, और तदुपरान्त परिषद् का यह कर्तव्य होगा कि वह ऐसे निदेशों का पालन करे।

(3) इस अधिनियम के अन्य उपबन्धों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना और तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुये भी राज्य सरकार किसी स्थानीय प्राधिकारी को ऐसे निदेश दे सकती है जो उसकी राय में परिषद् को इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिये समर्थ बनाने के निमित्त आवश्यक या इष्टकर हों और तदुपरान्त स्थानीय प्राधिकारी का यह कर्तव्य होगा कि वह ऐसे निदेशों का पालन करें।

93. परिषद् का विघटन.—(1) यदि राज्य सरकार की यह राय हो कि परिषद् इस अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों का संपादन करने में असफल रही है अथवा किसी अन्य कारण से परिषद् को कायम रखना आवश्यक नहीं है तो वह गजट में विज्ञप्ति द्वारा, परिषद् को ऐसे दिनांक से विघटित कर सकती है जो विज्ञप्ति में निर्दिष्ट किया जाये।

(2) परिषद् के विघटन के संबंध में उपधारा (1) के अधीन विज्ञप्ति प्रकाशित होने पर—

(क) अध्यक्ष, आवास आयुक्त और परिषद् के समस्त सदस्य विघटन के दिनांक से अपने पदों को रिक्त कर देंगे।

(ख) इस अधिनियम द्वारा या इसके अधीन समस्त अधिकार और कृत्य, जिनका प्रयोग तथा संपादन परिषद् या आवास आयुक्त द्वारा अथवा उसकी ओर से किया जाये, विघटन के दिनांक से, राज्य सरकार या ऐसे प्राधिकारी अथवा व्यक्ति द्वारा प्रयुक्त तथा संपादित किये जायेंगे जिसे वह तदर्थ नियुक्त करे और ऐसी समस्त विद्यमान संविदायें, अनुबन्ध तथा अन्य संलेख जिनमें परिषद् या आवास आयुक्त एक पक्ष हो अथवा जो परिषद् या आवास आयुक्त के पक्ष में हो, लागू किये जा सकते हैं अथवा उन पर कार्यवाही की जा सकती है, और परिषद् या आवास आयुक्त द्वारा अथवा उसके विरुद्ध विचाराधीन समस्त वाद, अपीलें तथा अन्य विधिक कार्यवाहियां, राज्य सरकार या ऐसे प्राधिकारी अथवा व्यक्ति, जिसे वह तदर्थ नियुक्त करे, द्वारा अथवा उसके विरुद्ध जारी रखी जा सकती है, अभियोजित की जा सकती है अथवा लागू की जा सकती है।

(ग) परिषद् में निहित निधि तथा अन्य संपत्तियां राज्य सरकार में निहित हो जायेंगी; और

(घ) समस्त दायित्व, जो परिषद् के विरुद्ध विधितः विद्यमान हो या प्रवर्तनीय हो, राज्य सरकार के विरुद्ध उस सीमा तक प्रवर्तनीय होंगे जिस सीमा तक परिषद् की निधि और संपत्तियाँ उसमें निहित हों।

(3) इस धारा की किसी बात से धारा 59 की उपधारा (2) के अधीन राज्य सरकार द्वारा प्रत्याभूत ऋण-पत्रों के संबंध में उसके दायित्व पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

(4) इस धारा के पूर्ववर्ती उपबन्धों में किसी बात के होते हुये भी, राज्य सरकार किसी समय फिर से धारा 3 के अधीन परिषद् की स्थापना और धारा 7 के अधीन आवास आयुक्त की नियुक्ति कर सकती है और तदुपरान्त—

(क) उपधारा (2) के खण्ड (ख) में निर्दिष्ट अधिकार और कृत्य तथा संविदाओं, अनुबन्धों, और अन्य संलेखों और वादों, अपीलों तथा अन्य विधिक कार्यवाहियों के संबंध में अधिकार और दायित्व, यथास्थिति, परिषद् या आवास आयुक्त में पुनर्निहित हो जायेंगे;

(ख) उपधारा (2) के खण्ड (ग) में निर्दिष्ट निधि तथा अन्य संपत्तियां जो राज्य सरकार के पास खण्ड (घ) में निर्दिष्ट दायित्वों को पूरा करने के पश्चात् शेष रह जायें, परिषद में पुनर्निहित हो जायेगी।

अध्याय 11

नियम और विनियम

94. नियम बनाने का अधिकार.—(1) राज्य सरकार, गजट में विज्ञप्ति द्वारा, इस अधिनियम के उपबन्धों को कार्यान्वित करने के लिये नियम बना सकती है।

(2) विशेषतः और पूर्वोक्त अधिकारी की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियमों में निम्नलिखित की व्यवस्था की जा सकती है—

(क) अध्यक्ष को देय पारिश्रमिक और परिषद् तथा आवास समितियों के सदस्यों को देय भत्ते, यदि कोई हो;

(ख) आवास आयुक्त की सेवा की शर्तें;

(ग) इकाइयों की आय तथा व्यय के लेखे रखने की रीति, जिसके अन्तर्गत विभिन्न इकाइयों के बीच सम्मिलित आय और व्यय का अभिभाजन भी है;

(घ) आवास समितियों का संघटन और वे शर्तें तथा प्रतिबन्ध जिनके अनुसार उनके सदस्य पद धारण करेंगे;

(ङ) विषय जिन पर परिषद् आवास समिति से परामर्श करेगी;

(च) परिषद् के अधिकारियों तथा सेवकों पर आवास आयुक्त द्वारा पर्यवेक्षण तथा नियंत्रण रखना;

(छ) धारा 12 की उपधारा (1) के अधीन परिषद् द्वारा या उपधारा (2) के अधीन आवास आयुक्त द्वारा अधिकारों का प्रतिनिधान;

(ज) आवास या सुधार योजना में व्यवस्थित किये जाने वाले विषय;

(झ) धारा 23 की उपधारा (3) के खंड (ख), धारा 24 की उपधारा (4) और धारा 43 की उपधारा (2) के अधीन परिषद् द्वारा प्रतिकर का अवधारण और भुगतान और उसके संबंध में विवाद की दशा में न्यायाधिकरण को अभिदेश करने की प्रक्रिया;

(ञ) प्रपत्र जिसमें और रीति जिसके अनुसार तथा व्यक्ति या व्यक्तियों के वर्गों जिन पर धारा 29 के अधीन या धारा 33 की उपधारा (1) के प्रतिबन्धात्मक खण्ड (ख) के अधीन नोटिस तामील किया जायेगा;

(ट) वे बातें जिन पर धारा 37 की उपधारा (2) के अधीन विचार किया जायेगा, वह समय जिसके भीतर उक्त धारा की उपधारा (4) के अधीन घोषणा की जा सकेगी, उपधारा (5) के अधीन योजनायें, अनुमान तथा अन्य विवरण प्रस्तुत किये जा सकेंगे तथा उपधारा (7) के अधीन सूचना दी जा सकेगी और रीति जिसके अनुसार उपधारा (6) के अधीन सूचना दी जायेगी;

(ठ) धारा 35 की उपधारा (2), धारा 36 की उपधारा (7) और धारा 51 की उपधारा (4) के अधीन अपीलों के लिये अवधि;

(ड) ब्याज की दर जिस पर और किस्तें जिनमें धारा 36 की उपधारा, (2) के अधीन के व्ययों को वसूल किया जायेगा;

(ढ) रीति जिसके अनुसार और सीमा जहां तक, धारा 36 की उपधारा, (6) के अधीन वैकल्पिक गृह-स्थान अर्पित किया जायेगा;

(ण) न्यायाधिकरण और नियत प्राधिकारी द्वारा अपने समक्ष कार्यवाहियों के अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया;

(त) धारा 51 की उपधारा (2) के अधीन आसुधार शुल्क निर्धारित करने की रीति;

(थ) धारा 52 की उपधारा (1) के प्रतिबन्धात्मक खंड के अधीन अनुमत छूट तथा उपधारा (2) के अधीन देय ब्याज की दर;

(द) धारा 53 की उपधारा (3) के अधीन किसी किस्त का भुगतान करने के लिये अनुग्रह अवधि;

(ध) शर्तें और परिसीमायें जिनके अधीन रहते हुये परिषद् अनुबन्ध द्वारा भूमि अर्जित और निस्तारित कर सकती है;

(न) वह सीमा जहां तक और वह रीति जिसके अनुसार अनुबन्धी द्वारा भूमि का निस्तारण करते समय उन व्यक्तियों को अधिमान दिया जायेगा जिनकी भूमि इस अधिनियम के अधीन किसी योजना के लिय अर्जित की गयी हो;

(प) परिषद् की ओर से संविदाओं और हस्तान्तरण-पत्रों का निष्पादन करने के लिये प्राधिकारी और उनके निष्पादन करने की रीति;

(फ) शर्तें और परिसीमायें जिनके अधीन रहते हुये, परिषद ऋण ले सकती है अथवा वित्तीय व्यवस्था कर सकती है;

(ब) परिषद् द्वारा जारी किये जाने वाले ऋण-पत्रों की शर्तें तथा प्रतिबन्ध और रीति जिसके अनुसार ऐसे ऋण-पत्र जारी व संक्रमित किये जायेंगे, तथा उनके संबंध में कार्यवाही की जायेगी और उनका मोचन किया जायेगा;

(भ) शर्तें और परिसीमायें जिनके अधीन रहते हुये परिषद् ऋण और अग्रिम धन दे सकती है;

(म) निक्षेप निधि की स्थापना, अनुरक्षण, विनियोजन और प्रयोग तथा धारा 60 की उपधारा (3) के अधीन न्यास का सृजन;

(य) रीति और सिद्धान्त जिनके अनुसार अतिरिक्त स्टाम्प शुल्क की शुद्ध वसूलियां धारा 62 की उपधारा (2) के अधीन राज्य, सरकार द्वारा परिषद् और नगरमहापालिका या नगरपालिका बोर्ड की प्रदिष्ट की जायेंगी अथवा दी जायेगी;

(कक) परिषद् के कार्यकलापों के कार्य-क्रम के विवरण-पत्र तथा अनुपूरक विवरण-पत्र और उनके संबंध में वित्तीय अनुमान प्रस्तुत करने की रीति और दिनांक जब तक वे राज्य सरकार को अनुमोदन के लिये प्रस्तुत किये जायेंगे;

(खख) प्रपत्र जिसमें और रीति जिसके अनुसार परिषद् का पक्का-चिट्ठा और उसके लेखे तैयार किये जायेंगे या रखे जायेंगे;

(गग) लेखा-परीक्षकों की अर्हतायें या उनका नाम निर्देशन, लेखा-परीक्षा करने की रीति और उसके अन्तराल, लेख्यों का अधियाचन करने और सूचना मांगने के संबंध में लेखा-परीक्षकों के अधिकार, वे विषय जिनके संबंध में वे लेख्य प्रस्तुत किये जाने और सूचना दी जाने की अपेक्षा करें, अस्वीकृति तथा अधिभार के संबंध में लेखा-परीक्षकों के अधिकार, रीति जिसके अनुसार अधिभार और अधिभारित धनराशि की वसूली के लिये कार्यवाहियां की जायेंगी तथा किसको और किसी रीति के अनुसार ऐसी अस्वीकृति तथा अधिभार के विरुद्ध अपील की जायेगी।

(घघ) परिषद् के लेखे को प्रकाशित करने की रीति;

(ङङ) विषय जिनका निर्णय न्यायाधिकरण धारा 64 की उपधारा (1) के खण्ड (ङ) के अधीन कर सकता है;

(चच) न्यायाधिकरण के पीठासीन अधिकारी को दिया जाने वाला परिश्रमिक, तथा न्यायाधिकरण के अन्य अधिकारियों और सेवकों की सेवा की शर्तें;

(छछ) न्यायालय जो धारा की उपधारा (4) के अधीन न्यायाधिकरण के किसी अभिनिर्णय या आदेश का निष्पादन करेगा;

(जज) धारा 69 की उपधारा (6) के अधीन कार्यवाहियों में देय व्यय;

(झझ) विषय, जिनके संबंध में नियत प्राधिकारी को धारा 69 की उपधारा (7) के अधीन दीवानी न्यायालय के अधिकार प्राप्त होंगे;

(ञञ) धारा 71 के अधीन अनुबन्ध का प्रपत्र;

(टट) रीति, जिसके अनुसार धारा 82 की उपधारा (2) के अधीन आवास आयुक्त द्वारा परिवर्तन करने या गिराने के व्यय वसूल किये जा सकते हैं;

(ठठ) प्रपत्र जिनमें और अन्तराल जिन पर परिषद् द्वारा राज्य सरकार को विवरणियां और प्रतिवेदन प्रस्तुत किये जायेंगे;

(डड) इस अधिनियम के अधीन नोटिसों का प्रपत्र और उनको तामील करने की रीति;

(ढढ) कोई विषय जिसके लिये धारा 95 के अधीन परिषद् द्वारा विनियम बनाया जाये;

(णण) कोई अन्य विषय जिसके लिये इस अधिनियम के अधीन नियम बनाये जायें अथवा बनाये जा सकते हैं।

(3) इस अधिनियम के अधीन बनाये गये सभी नियम, बनाये जाने के पश्चात्, यथाशक्य शीघ्र, राज्य विधान मंडल के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब उसका सत्र हो रहा हो, उसके एक सत्र या एकाधिक आनुक्रमिक सत्रों में कम से कम कुल चौदह दिन की अवधि पर्यन्त रखे जायेंगे और, जब तक कि कोई वाद का दिनांक निर्धारित न किया जाये, गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से, ऐसे परिष्कारों तथा अभिशून्यनों के अधीन रहते हुये प्रभावी होंगे, जो विधान मंडल के दोनों सदन करने के लिये सहमत हों, किन्तु इस प्रकार का कोई परिष्कार या अभिशून्यन सम्बद्ध नियमों के अधीन पहले की गयी बात की वैधता पर प्रतिकूल प्रभाव न डालेगा।

95. विनियम बनाने का अधिकार.—(1) परिषद् गजट में विज्ञप्ति द्वारा निम्नलिखित की व्यवस्था करने के लिये विनियम बना सकती है—

(क) परिषद् और उसकी समितियों तथा आवास समितियों की बैठकों का समय तथा स्थान और उनको बुलाने की रीति तथा प्रास्थगन और स्थगन;

(ख) परिषद् और उसकी समितियों तथा आवास समितियों की बैठकों की प्रक्रिया और कार्य संचालन;

(ग) समितियों की नियुक्ति, उनका संघटन और प्रक्रिया;

(घ) आवास आयुक्त और परिषद् के अधिकारियों द्वारा अधिकारों का प्रतिनिधान;

(ङ) परिषद् के अधिकारियों तथा सेवकों के कर्तव्य;

(च) परिषद् के अधिकारियों तथा सेवकों की सेवा की शर्तें;

(छ) निर्माण–कार्यों के लिये योजनायें और अनुमान तैयार करना;

(ज) आय–व्ययक तथा अनुमान तैयार करना;

(झ) वह प्राधिकार, जिसके आधार पर परिषद् की निधि से धन दिया जा सकता है;

(ञ) सार्वजनिक नोटिस के प्रकाशन की रीति;

(ट) नोटिसों, बिलों तथा अन्य लेख्यों पर आवास आयुक्त और परिषद् के अधिकारियों के हस्ताक्षरों के प्रतिरूप की मुहर लगाना;

(ठ) परिषद् द्वारा जारी किये गये लेख्यों, अनुमानों और योजनाओं की प्रतिलिपियों के लिये देय शुल्क;

(ड) किसी आवास या सुधार योजना के अधीन निर्मित भवनों का प्रबन्ध, उपयोग और प्रदेशन;

(ढ) कोई अन्य विषय जिसकी व्यवस्था इस अधिनियम या नियमों के अधीन विनियमों द्वारा की जाने वाली हो अथवा की जाये।

(2) यदि कोई विनियम, किसी नियम के प्रतिकूल हो तो वह नियम चाहे वह विनियम के पहले बनाया गया हो अथवा बाद में, अभिभावी होगा और विनियम प्रतिकूल होने की सीमा तक शून्य होगा।

अध्याय 12

निरसन तथा संक्रमणकालीन उपबन्ध

96. निरसन, संशोधन और अपवाद.—(1) इस अधिनियम के किसी क्षेत्र में प्रचलित होने के दिनांक को और उसी दिनांक से यू०पी० टाउन इम्प्रूवमेंट ऐक्ट, 1919 (यू०पी० ऐक्ट संख्या 8, 1919), यू०पी० टाउन इम्प्रूवमेंट (अपील्स) ऐक्ट, 1920 (यू०पी० ऐक्ट संख्या 20ए, 1920) और 1948 ई० (संयुक्त प्रान्तीय ऐक्ट संख्या 47, 1948 ई०) का यूनाइटेड प्राविन्सेज टाउन इम्प्रूवमेंट (अवस्थानुकूल परिवर्तन) ऐक्ट उस क्षेत्र में अपनी प्रवृत्ति के संबंध में निरस्त हो जायेंगे और किसी अन्य प्रचलित विधि में यू०पी० टाउन इम्प्रूवमेंट ऐक्ट, 1919 (उ०प्र० अधिनियम संख्या 8, 1919) के अधीन संघटित किसी इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट और उस ट्रस्ट के चेयरमैन का समस्त उल्लेख उस क्षेत्र के संबंध में क्रमशः परिषद् और आवास आयुक्त के संबंध में उल्लेख समझा जायेगा।

(2) किसी ऐसे क्षेत्र के संबंध में जिसमें मलिन बस्ती सुधार और निपातन योजना लागू हो, उत्तर प्रदेश मलिन बस्ती क्षेत्र (सुधार और निपातन) अधिनियम, 1962 (उ०प्र० अधिनियम संख्या 18, 1962) का प्रवर्तन उस अवधि के लिये निलम्बित रहेगा जिसमें ऐसी योजना लागू रहे, और यू०पी० जनरल क्लाजेज ऐक्ट, 1904 (उ०प्र० अधिनियम संख्या 1, 1904) की धारा 6 के उपबन्ध ऐसे निलम्बन के संबंध में इस प्रकार लागू होंगे मानों की निलम्बन इस अधिनियम द्वारा उक्त अधिनियमित का निरसन हो।

(3) किसी ऐसे क्षेत्र के संबंध में जिसमें कोई भावी सड़क योजना, प्रसार योजना अथवा मलिन बस्ती सुधार और निपातन योजना लागू हो, उत्तर प्रदेश (निर्माण–कार्य–विनियमन) अधिनियम, 1958 (उ०प्र० अधिनियम संख्या 34, 1958) [1][उत्तर प्रदेश नगर महापालिका

---

1. उत्तर प्रदेश असाधारण गजट 31 दिसम्बर, 1966 विज्ञप्ति संख्या 6471/17–10(1)(22)/66, दिनांक 31 दिसम्बर, 1966 उ०प्र० अधिनियम संख्या 29 सन् 1966।

अधिनियम, 1959 के (उ०प्र० अधिनियम संख्या 2, 1959) के अध्याय 13, यू०पी० म्यूनिसिपैलिटीज ऐक्ट, 1916 की धारा 178 से 186 तक (या उसकी धारा 338 के अधीन अथवा यू०पी० टाउन एरियाज ऐक्ट, 1914 की धारा 38 के अधीन यथा प्रसारित उक्त धारायें), या यथास्थिति, उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद् अधिनियम, 1961 की धारा 162 से 171 तक का प्रवर्तन उस अवधि के लिये निलम्बित रहेगा जिसमें कोई ऐसी योजना लागू रहे और यू०पी० जनरल क्लाजेज ऐक्ट, 1904 (यू०पी० ऐक्ट संख्या 1, 1904) की धारा 6 के उपबन्ध ऐसे निलम्बन के संबंध में इस प्रकार लागू होंगे मानों कि निलम्बन इस अधिनियम द्वारा उक्त अधिनियमिति का निरसन हो।

[1][(4) उत्तर प्रदेश औद्योगिक गृह व्यवस्था अधिनियम, 1955 (उ०प्र० अधिनियम संख्या 23, 1955) में—

(1) जहां-जहां भी पद "गृह आयुक्त", गृह उपायुक्त" तथा "सहायक गृह आयुक्त" आये हों, उनके स्थान पर क्रमशः पद "श्रम आयुक्त", "उपश्रम आयुक्त (गृह)" तथा "सहायक श्रम आयुक्त (गृह)" रख दिये जायें;

(2) धारा 2 खण्ड (ग) में शब्द तथा अंक "की उपधारा (1) निकाल दिये जाये;

(3) धारा 3 में

(क) उपधारा (1) में शब्द "अ वा" और शब्द "किसी स्थानीय प्राधिकारी" के बीच में शब्द "उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद् से भिन्न" रख दिये जायें;

(ख) उपधारा (2) के पश्चात् निम्नलिखित नयी उपधारा (3) बढ़ा दी जाये—

"(3) यह अधिनियम, ऐसे गृहों पर भी लागू होगा जो उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद् अधिनियम, 1965 के अधीन किसी योजना के निष्पादन में निर्मित हो और जिन्हें उक्त परिषद् सरकारी गजट में विज्ञप्ति प्रकाशित करके इस अधिनियम के अधीन गृह घोषित करे"।

97. इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट का विघटन और उसके परिणाम.—(1) इस अधिनियम के किसी क्षेत्र में प्रचलित होने के दिनांक को और उसी दिनांक से, उस क्षेत्र या उसके भाग के लिये संघटित इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट विघटित हो जायेगा और उसकी समस्त परिसंपत्तियां तथा दायित्व परिषद् को संक्रमित और उसमें निहित हो जायेंगी।

(2) किसी भूमि के संबंध में आसुधार कर जिसे इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट निश्चित दिनांक के ठीक पूर्व लगाने, निर्धारित या वसूल करने का हकदार रहा हो, परिषद् द्वारा लगाया, निर्धारित अथवा वसूल किया जा सकता है, मानो वह इस अधिनियम के अधीन लगाये जाने योग्य कोई आसुधार शुल्क हो।

(3) यू०पी० टाउन इम्प्रूवमेंट ऐक्ट, 1919 (उ०प्र० अधिनियम संख्या 8, 1919) के अधीन प्रत्येक योजना और उससे सम्बद्ध समस्त कार्यवाहियाँ, जिसके अन्तर्गत आसुधार कर लगाने, निर्धारित तथा वसूल करने की कार्यबाहियां भी है, जो निश्चित दिनांक को विचाराधीन हों परिषद् को संक्रमित हो जायेगी जो इस अधिनियम के तदनुरूप उपबन्धों के अनुसार योजना अथवा उसके निष्पादन या उससे सम्बद्ध आसुधार शुल्क लगाने, निर्धारित तथा वसूल करने के संबंध में आगे की कार्यवाही उस प्रक्रम से करेगी, जिस पर वह उसे संक्रमित की गयी हो :

---

1. उपधारा (4) उ०प्र० अधिनियम संख्या 22 सन् 1972 द्वारा निरस्त।

प्रतिबन्ध यह है कि परिषद्, यदि उचित समझे तो उक्त ऐक्ट के अधीन पहले से किये गये किसी उपाय या कार्यवाही को वापस ले सकती है और इस अधिनियम के तदनुरूप उपबन्धों के अधीन नये सिरे से उपाय या कार्यवाही कर सकती है।

स्पष्टीकरण—संदेह होने की दशा में, पद "इस अधिनियम के तदनुरूप उपबन्ध" का तात्पर्य उस उपबंध से है जो राज्य सरकार द्वारा सामान्य या विशेष आदेश द्वारा उस प्रयोजन के लिये तदनुरूप उपबन्ध निर्दिष्ट किया जाये।

(4) जब तक कि इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन अन्यथा स्पष्ट रूप से व्यवस्था न की जाये, किसी भी प्रकार की सभी संविदायें, अनुबन्ध तथा अन्य संलेख जो निश्चित दिनांक के ठीक पूर्व विद्यमान हों अथवा प्रभावी हों, और जिनमें इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट एक पक्ष हो अथवा जो ऐसे ट्रस्ट के पक्ष में हो, यथास्थिति, परिषद् के विरुद्ध या पक्ष में लागू और प्रभावी होंगे और उन्हें लागू किया जा सकता है या उन पर कार्यवाही की जा सकती है मानों इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट के बजाय परिषद् उनमें एक पक्ष रहा हो अथवा मानों वे परिषद के पक्ष में किये गये हों।

(5) यदि निश्चित दिनांक को किसी इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट या उसके विरुद्ध किसी प्रकार का कोई वाद, अपील या अन्य विधिक कार्यवाही विचाराधीन हो तो उसे परिषद् द्वारा या उसके विरुद्ध जारी रखी जा सकती है, अभियोजित की जा सकती है अथवा प्रवर्तित की जा सकती है।

स्पष्टीकरण—इस उपधारा के प्रयोजनों के लिये "विधिक कार्यवाही" के अन्तर्गत लैंड एक्वीजीशन ऐक्ट, 1894 (ऐक्ट संख्या 1, 1894) के अधीन कोई कार्यवाही भी सम्मिलित है।

(6) किसी इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट का प्रत्येक पूर्णकालिक कर्मचारी, निश्चित दिनांक को और उसी दिनांक से, परिषद् का कर्मचारी हो जायेगा तथा उसी कार्यकाल के अनुसार, उसी पारिश्रमिक पर और उन्हीं शर्तों तथा प्रतिबन्धों पर और आनुतोषिक, यदि कोई हो, तथा अन्य विषयों के संबंध में उन्हीं अधिकारों तथा विशेषाधिकारों के साथ अपना पद धारा करेगा जो वह निश्चित दिनांक को धारण किये होता, यदि वह अधिनियम प्रचलित न हुआ होता, और वह तब तक इस प्रकार पद धारण करता रहेगा जब तक कि परिषद् द्वारा उसके पारिश्रमिक, शर्तों तथा प्रतिबन्धों में यथोचित रूप से परिवर्तन न कर दिया जाये।

(7) यदि निश्चित दिनांक के ठीक पूर्व किसी व्यक्ति का इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट का पूर्णकालिक कर्मचारी होने अथवा न होने या उसके पारिश्रमिक और सेवा की शर्तों तथा प्रतिबन्धों के संबंध में कोई विवाद उठे तो उसे राज्य सरकार को अभिदिष्ट किया जायेगा जिसका उस पर निर्णय अन्तिम होगा।

(8) तत्समय प्रचलित किसी विधि में किसी बात के होते हुये भी, किसी इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट के किसी कर्मचारी की सेंवायें परिषद् को संक्रमित किये जाने से ऐसा कर्मचारी किसी प्रतिकर का हकदार न होगा, और इस प्रकार का कोई दावा किसी न्यायालय, न्यायाधिकरण या अन्य प्राधिकारी द्वारा ग्रहण नहीं किया जायेगा।

(9) यदि किसी इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट अपने कर्मचारियों के लाभार्थ भविष्य निधि या अधिवार्षिक निधि या कोई अन्य निधि स्थापित की हो तो निश्चित दिनांक को किसी ऐसी निधि में जमा धनराशियां, ऐसी निधि की अन्य परिसम्पत्तियों सहित, परिषद् को संक्रमित हो जायेगी और उसमें निहित हो जायेंगी।

98. कठिनाइयां दूर करने का अधिकार.—(1) यदि इस अधिनियम के उपबन्धों को, या इस अधिनियम में किसी बात के होने के कारण, तत्समय प्रचलित किसी अन्य, अधिनियमिति को प्रभावी बनाने में कोई कठिनाई उत्पन्न हो, तो राज्य सरकार, अवसर की अपेक्षानुसार, आदेश द्वारा यह निदेश दे सकती है कि यह अधिनियम आदेश में निर्दिष्ट अवधि पर्यन्त ऐसे अनुकूलनों के अधीन रहते हुए, चाहे वह परिष्कार, परिवर्द्धन या लोप के रूप में हो, प्रभावी होगा जिन्हें वह आवश्यक या इष्टकर समझे।

(2) उपधारा (1) के अधीन कोई आदेश इस प्रकार दिया जा सकता है कि वह किसी ऐसे दिनांक से, जो कि निश्चित दिनांक से पहले का न हो, भूतलक्षी हो।

(3) किसी क्षेत्र के संबंध में उपधारा (1) के अधीन कोई आदेश निश्चित दिनांक से तीन वर्ष की समाप्ति पर नहीं दिया जायेगा।

(4) उपधारा (1) के अधीन दिया गया आदेश, यथासंभव शीघ्र, राज्य विधान मंडल के दोनों सदनों के समक्ष रखा जायेगा।

अनुसूची

(धारा 55 देखिए)

उत्तर प्रदेश में अपनी प्रवृत्ति के संबंध में यथासंशोधित लैंड एक्वीजीशन ऐक्ट, 1894 (ऐक्ट संख्या 1, 1894) (जिसे आगे "उक्त ऐक्ट" कहा गया है।) में परिष्कार।

1. उक्त ऐक्ट की धारा 3 का संशोधन.—उक्त ऐक्ट की धारा 3 के खंड (एच) के पश्चात् निम्नलिखित नये खंड बढ़ा दिये गये समझे जायं, अर्थात्—

"(झ) "स्थानीय प्राधिकारी" के अन्तर्गत परिषद भी है;

(ञ) "परिषद्" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद् अधिनियम 1965 के अधीन स्थापित उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद् से है।"

2. इस अधिनियम के अधीन नोटिसों का प्रभाव.—(1) इस अधिनियम की धारा 28 अथवा धारा 31 की उपधारा (3) के खंड (क) के अधीन किसी आवास या सुधार योजना का सरकारी गजट में प्रथम प्रकाशित नोटिस, योजना के अन्तर्गत अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के संबंध में, उक्त ऐक्ट की धारा 4 की उपधारा (1) के अधीन सरकारी गजट में तथा सम्बद्ध क्षेत्र में प्रकाशित विज्ञप्ति का स्थान ले लेगा, और उसी के समान प्रभावी होगा, सिवाय उस दशा के जब उक्त ऐक्ट की धारा 4 के अधीन विज्ञप्ति या धारा 6 के अधीन घोषणा पहले की जा चुकी हो और उस समय भी लागू हो, और उक्त ऐक्ट की धारा 5-ए के उपबन्ध ऐसी भूमि की दशा में लागू नहीं होंगे।

(2) भावी सड़क योजना के अन्तर्गत अर्जित भूमि की दशा में इस अधिनियम की धारा 23 की उपधारा (3) के खंड (ग) के अधीन जारी किया गया नोटिस और इस अधिनियम के अधीन किसी अन्य आवास या सुधार योजना के अन्तर्गत अर्जित भूमि की दशा में इस अधिनियम की धारा 32 की उपधारा (1) या उपधारा (4), जैसी भी दशा हो, के अधीन प्रकाशित विज्ञप्ति उक्त ऐक्ट की धारा 6 के अधीन राज्य सरकार द्वारा की गयी घोषणा का स्थान ले लेगी तथा उसी के समान प्रभावी होगी, जब तक कि अन्तिम उल्लिखित धारा के अधीन घोषणा पहले ही न की जा चुकी हो और वह अब भी प्रचलित न हो।

SCHEDULE

(See Section 55)

Modification in the land Acquisition Act, 1894(Act No. 1 of 1894), as amended in its application to Uttar Pradesh (here in after called "the said

1. Amendment of Section 3 of the said Act-

After clause(h) of section 3 of the said, Act, the following new clauses shall be deemed to be added, namely-

(i) 'local authority' includes the Board;

(j) 'Board' means the Utter Pradesh Avas Evam Vikas Parishad established under the Utter Pradesh Avas Evam Vikas ParishadAdhiniyam,1965."

2. Effect of notices under this Act-

(1) The first publication, in the Official Gazette, of a notice of anyhousing or improvement scheme under Section 28 or under clause(a) of sub section(3) of section 31 of the Act shall be substituted for and have, in relation to any land proposed to be acquired under the scheme, the same effect as publication in the Official Gazette, and in the locality, of a notification under subsection(1) of section 4of the said Act, except where a notification under section 4 or a declaration under section 6 of the made and is still in force.

(2) notification under In a case to which sub-paragraph(1) or sub-paragraph(2) said Act has previously been made and is still in force, and the provisions of section 5-A of the said Act shall be inapplicable in the case of such land.

(3) The issue of a notice clause(c) of sub section (3) of section 23 of this Act in the case of land acquired under a Bhavi Sarak Yojana and the publication of a notification under sub section(1) or, as the case may be, under sub section (4) of section 32 of this Act in the case of landacquired under any other housing or improvement scheme underthis Act shall be substituted for and have the same effect as a declaration by the State Government under section 6 of the said Act, unless a declaration under the last mentioned section has previously been applies, a sub section(2) of section 33 or under sub section(3) of section 49of this Act involving alteration of the extent of the land proposed to be acquired shall have the effect of correspondingly modifying the notification under sub section(1) of Section 4 and the declaration under Section 6 of the said Act, so, however, that any such modification shall be without prejudice to the validity of anything previously done the original notification or declaration.

3. Amendment of Section 17 of the said act.- In Section 17 of the said act-

(i) for the existing sub sections(1) and (1-A), the following sub section shall be deemed to be substituted, namely-

"(1) Whenever the State Government so directs in the interest of the expeditious execution of a housing or improvement scheme under the Uttar Pradesh Avas evam vikas Parishad Adhiniyam,1965 the Collector, though no such award has been made, may on the expiration of fifteen days from the publication of the notice mentioned in sub-section(1) of Section 9 take possession of any land needed for the purposes of the said Adhiniyam. Such land shall thereupon vest absolutely in the Government free from all encumbrances"

(ii) sub section (4) shall be deemed to be omitted.

4. Addition of new Section 17-A in the said Act-

After Section 17 of the said Act, the following shall be deemed to be added as a new section, namely-

—17-A *Transfer of land to Board*- In every case referred to in Section 16 or Section 17, the Collector shall upon payment of the cost of acquisition make over charge of the land to the Housing Commissioner, or an officer authorized in this behalf under the Uttar Pradesh Avas Evam Vikas Parishad Adhiniyam, 1965, and the land shall thereupon vest in the Board subject to the liability of the Board to pay any further costs which may be incurred on account of its acquisition.‖

5. Amendment of Section 23 of the said Act.- In Section 23 of the said Act-

(i) for the existing explanation to the clause —firstly‖ , the following shall be deemed to be *substituted:*

—Explanation- In judging the market value aforesaid in any case where a land is acquired under a housing or improvement scheme under the Uttar Pradesh Avas Evam Vikas Parishad Adhiniyam, 1965 if any building has been erected, re-erected, added to or altered in contravention of the provisions of clause (a) of sub- section (3) of Section 23, sub-section (3) of Section 24 of Section

35 of the said Adhiniyam, any increase in the market value resulting from such erection re-erection, or alteration shall be disregarded.‖

(ii) After the existing sub-section (1) the following shall be added as sub-section (2), namely-

—(2) In addition to the market value of the land as above provided, the court shall in every case award a sum of fifteen per centum of such market value in consideration of the compulsory nature of the acquisition.‖

6. Amendment of Section 49 of the said Act.- After sub-section (1) of Section 49 of the said Act, the following new sub-section shall be deemed to be added namely-

-(1-a) For the purposes of sub-section (1), land which is held with and attached to a house and is reasonably required for the enjoyment and use of the house shall be deemed to be part of the house.‖